

उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड



उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

किसान मण्डी भवन, द्वितीय तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010
वेबसाइट : www.uperc.org

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

किसान मण्डी भवन, द्वितीय तल

विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ-226010

यू0पी0ई0आर0सी0 / सचिव / विनियमावली / 2007-432

लखनऊ 18 अप्रैल, 2007

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (1) (ज) के अधीन यह अपेक्षा है कि राज्य आयोग एक राज्य ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करे जो केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय ग्रिड कोड के अनुकूल हो। इसलिये आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की उक्त धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस नवीन ग्रिड कोड को विनिर्दिष्ट करता है, जिसे उत्तर प्रदेश ग्रिड कोड 2006 कहा जायेगा (एतद् पश्चात जिसे 'यू0 पी0 ई0 जी0 सी0) या ग्रिड कोड निर्दिष्ट किया जायेगा) यह उत्तर प्रदेश ग्रिड कोड, 2007 उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगा और विद्यमान उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड, 2000 एतद् पश्चात विखण्डित हो जायेगा।

अध्याय-1

सामान्य

1.1 प्रारम्भ

1.1.1 उत्पादन केन्द्र, पारेषण लाइनें एवं वितरण किसी विद्युत ऊर्जा प्रणाली के तीन मुख्य घटक बनाते हैं। विद्युत प्रणाली के दक्ष, विश्वसनीय, मितव्ययी और सुरक्षित संचालन के लिये, तीनों घटकों को समन्वित और संकालित ढंग से कार्य करना चाहिये। उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड, तदनुसार, उन नियमों, क्रियाविधियों और मानकों को विहित करता है जिनका अनुसरण विभिन्न प्रयोगकर्ता एवं भागीदार अनुकरण करेंगे ताकि विद्युत प्रणाली का संयुक्त रूप से नियोजन, विकास, अनुरक्षण हो सके और सर्वाधिक दक्ष, विश्वसनीय, मितव्ययी एवं सुरक्षित संचालन हो।

1.2 उद्देश्य

1.2.1 ग्रिड कोड इसलिये बनाया जा रहा है कि एक दक्ष, समन्वित, सुरक्षित और मितव्ययी राज्य विद्युत ग्रिड का विकास, संचालन और अनुरक्षण सुगम हो। ग्रिड कोड तदनुसार निम्नलिखित प्रदत्त है :

- (क) अन्तः राज्य पारेषण प्रणाली के विभिन्न प्रयोगकर्ताओं के मध्य संबंध।
- (ख) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण इकाई और राज्य विद्युत ग्रिड से जुड़े हुये प्रयोगकर्ताओं द्वारा अपनाये जाने वाले तकनीकी मानक, नियम और क्रियाविधियों (तकनीकी संचालनात्मक और सूचना में सहभाजन)।
- (ग) मुक्त उपगम और विद्युत के व्यापार को सुगम बनाने के लिये विद्युत प्रणाली के संचालन का एक सा आधार।

1.3 प्रयोज्यता की व्याप्ति एवं विस्तार

- 1.3.1 यह कोड राज्य पारेषण इकाई, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और अन्तः राज्य पारेषण प्रणाली से जुड़े हुये सभी प्रयोगकर्ताओं और/या उसका उपयोग करने वालों पर प्रवृत्त होगा।
- 1.3.2 राज्य पारेषण इकाई, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और सभी प्रयोगकर्ता इस कोड का उस सीमा तक अनुपालन करेंगे जहाँ तक उन पर प्रवृत्त होता है।
- 1.3.3 यह ग्रिड कोड अन्तःराज्यीय विद्युत पारेषण हेतु प्रवृत्त होगा एवं अन्तर्राज्यीय विद्युत पारेषण हेतु भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, जैसा कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है, प्रवृत्त होगा।
- 1.3.4 यह ग्रिड कोड केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और/ या विद्युत अधिनियम 2003 और उसके अधीन बनाई गयी नियमावली और विनियमावली के अधीन विहित राज्य पारेषण इकाई, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और प्रयोगकर्ताओं के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेंगा।

1.4 उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड का ढाँचा

- 1.4.1 योजना, संचालनात्मक और प्रक्रियागत विषयों से संबंधित प्राविधान यू0पी0ई0जी0सी0 के अध्याय-3 से अध्याय 8 में निहित है। इन अध्यायों की व्यापक विषयवस्तु निम्नप्रकार है:-

(एक) सामान्य

(दो) अध्याय-2: विभिन्न संगठनों की भूमिका और उनके अनुबंधन

इस अध्याय में विभिन्न संगठनों के कृत्यों की परिभाषा है जो यू0पी0ई0जी0सी0 से सुसंगत है।

(तीन) अध्याय-3: प्रणाली योजन कोड

इस अध्याय में थोक विद्युत अंतरण और सहयुक्त अन्तः राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना और विकास में अपनायी जाने वाली नीति एवं प्रक्रियायें उपलब्ध हैं। योजना कोड में एस0टी0यू0, एस0एल0डी0सी0, प्रयोगकर्ताओं एवं विभिन्न भागीदारों के मध्य, भार पूर्वानुमान और उत्पादन उपलब्धता और समग्र विद्युत प्रणाली की परियोजना आदि के लिये, आवश्यक सूचना आदान-प्रदान दिया गया है। योजना कोड योजना प्रक्रिया के दौरान अपनाये जाने वाले विभिन्न मानदण्डों को विहित करता है।

(चार) अध्याय-4: संयोजन शर्तों का कोड

यह अध्याय प्रणाली में एकरूपता और गुणवत्ता बनाये रखने के लिये एस0टी0एस0 से जुड़े हुये या संयोजन चाहने वाले विभिन्न प्रयोगकर्ताओं द्वारा अनुपालन किये जाने के लिये न्यूनतम तकनीकी और डिजाइन मापदण्ड विनिर्दिष्ट करता है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित करता है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(क) एस0टी0एस0संयोजन के लिये प्रक्रिया

(ख) स्थल उत्तरदायित्व सूची

(पाँच) अध्याय-5: संचालन योजना और प्रणाली सुरक्षा कोड

इस अध्याय में दक्ष सुरक्षित, मितव्ययी और विश्वसनीय ग्रिड संचालन के अनुरक्षण के लिये संचालनात्मक दर्शन का वर्णन है। यह अध्याय सुरक्षा पहलुओं माँग पूर्वानुमान, माँग प्रबन्धन, कठौती योजना, संचालनात्मक सम्पर्क, और राज्य विद्युत प्रणाली और उत्तरी ग्रिड में घटित होने वाली घटनाओं जो क्षेत्रीय ग्रिड और/ या राज्य विद्युत ग्रिड पर और/ या राज्य विद्युत से ग्रिड से जुड़े हुये प्रयोगकर्ताओं की प्रणाली पर प्रभाव रखती है या रख सकती है के संबंध में सूचना के विनिमय के लिये आवश्यकता को आच्छेदित करता है। यह अध्याय राज्य विद्युत ग्रिड और/ या उत्तरी ग्रिड की विफलता की स्थिति में (पूर्ण या आंशिक विफलता) जिससे तिमिराँधता हो, राज्य विद्युत ग्रिड से जुड़े हुये सभी प्रयोगकर्ताओं द्वारा अनुकरण की जाने वाली विद्युत आपूर्ति प्रक्रिया को पुनरुज्जीवित करने और सामान्य स्थिति में लाने की भी व्यवस्था करता है।

(छ) अध्याय-6: अनुसूचीकरण करना एवं प्रेषण (डिस्पैच) कोड

यह अध्याय दैनिक आधार पर उत्पादन केन्द्रों के, उत्पादन को अनुसूचीवद्ध करने और प्रेषण (डिस्पैच) के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का जिसमें उत्पादन स्टेशनों, राज्य भार प्रेषण (डिस्पैच) केन्द्रों, राज्य विद्युत ग्रिड से जुड़े हुये सभी प्रयोगकर्ताओं के मध्य अन्य बातों के साथ सूचना के प्रवाह की प्रकारता की प्रक्रिया का वर्णन करता है।

(ज) अध्याय-7: यू0पी0ई0जी0सी0 का प्रबन्ध

यह अध्याय यू0पी0ई0जी0सी0 और उसके उपान्तरण/संशोधन की व्यवस्था के लिये प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करता है।

1.5 अवमानना

यदि किसी प्रयोगकर्ता द्वारा यू0पी0ई0जी0सी0 की किन्ही शर्तों का लगातार अनुपालन हो, तो मामला किसी प्रयोगकर्ता/एस0एल0डी0सी0 द्वारा एस0पी0सी0 के सदस्य सचिव को रिपोर्ट किया जायेगा। सदस्य सचिव, एस0पी0सी0 मामले की पुष्टि करेगे और अनुपालन को शीघ्र समाप्त करने के लिये व्यतिक्रमी अभिकरण के साथ मामला उठायेगा। यदि सदस्य सचिव एस0पी0सी0 द्वारा किये गये प्रयासों का अपर्याप्त उत्तर मिले तो अनुपालन के विषय में यू0पी0ई0आर0सी0 को सूचित किया जायेगा। यू0पी0ई0आर0सी0 सम्यक प्रक्रिया के पश्चात व्यतिक्रमी प्रयोगकर्ता को अनुपालन के लिये आदेश देगा जिसमें विफलता बने रहने पर यू0पी0ई0आर0सी0 समुचित कार्यवाही करेगा। एस0पी0सी0 ऐसे उल्लंघनों के समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा। एस0एल0डी0सी0 या एस0पी0सी0 द्वारा यू0पी0ई0जी0सी0 की किन्ही शर्तों के अनुपालन की स्थिति में मामला यू0पी0ई0आर0सी0 को रिपोर्ट किया जायेगा।

1.6 नियन्त्रण मुक्त चालन ढंग

(एक) सभी तापीय और जलीय (शून्य पोन्डेज वाली इकाइयों के सिवा उत्पादन इकाइयों आयोग द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित किये जाने वाले दिनोंक संचालन के मुक्त चालक ढंग से संचालित होंगी।

(दो) उपर्युक्त से कोई छूट केवल आयोग द्वारा स्वीकृत की जा सकती है जिसके लिये संबंधित अभिकरण पहले से याचिका दाखिल करेगा।

(तीन) गैस टरबाइन/संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र और न्यूक्लियर विद्युत स्टेशनों को धारा 5.8.3, 5.8.4, 6.6.5, 6.6.6, 6.6.7 और 6.6.8 से छूट मिलेगी जबतक आयोग स्थिति का पुनरावलोकन न करे और अन्य व्यवस्था न दे।

1.7 **प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा विनियमों के लिये प्रभार/भुगतान**

प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा विनियमों के प्रभार/भुगतान की दर (धारा 6.6 में विनिर्दिष्ट योजना के अनुसार) 5.0 पैसा के0वी0ए0आर0एच0 वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिये होगी और उसे तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष 0.25 पैसा/ के0वी0ए0आर0एच0 की दर से या समय समय पर सी0ई0आर0सी0 द्वारा यथा पुनरीक्षित दर से बढ़ाया जायेगा।

1.8 **अपवाद**

यू0पी0ई0आर0सी0 के उपबंधों से कोई छूट आयोग द्वारा केवल संबोधित व्यक्ति से तर्क देते हुये /चाही गयी छूट के लिये औचित्य बताते हुये संबंधित प्रयोगकर्ता से याचिकों की प्राप्ति पर आयोग द्वारा अनुमति दी जायेगी। आयोग किसी ऐसी छूट की अनुमति देने से पूर्व विभिन्न जोखिम उठाने वालों से टीका-टिप्पणी आमंत्रित कर सकता है।

1.9 **परिभाषाये और निर्वचन**

क. परिभाषायें

यू0पी0ई0जी0सी0 में निम्नलिखित शब्दों का निम्नलिखित अर्थ होगा जब कि विषयवस्तु या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो या उसके प्रतिकूल न हो:

| मद | परिभाषा |
|---------------------------|---|
| अधिनियम | विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 वर्ष 2003) |
| अभिकरण | एस0एस0जी0एस0/ लाइसेंसधारी को जो एस0टी0एस0 का उपयोग करते हैं, निर्दिष्ट करने के लिये यू0पी0ई0जी0सी0 की विभिन्न धाराओं में प्रयुक्त पद। |
| प्राधिकरण | अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण |
| स्वचलित वोल्टेज नियन्त्रक | उत्पादन संयंत्र के वोल्टेज को नियन्त्रित करने के लिये जिसे जनरेटर के छोरों पर नापा जाये, अनवरत कार्यरत स्वचलित ऊर्जन नियन्त्रण प्रणाली |
| उपलब्धता | किसी अवधि के लिये तापीय उत्पादन स्टेशन के संबंध में उपलब्धता का तात्पर्य सभी दिनों के लिये दैनिक औसत घोषित क्षमताओं के औसत से होगा जो उस अवधि के दौरान उत्पादन स्टेशन की स्थापित क्षमता प्रतिशत के रूप में व्यक्त हो जिसमें से मेगावाट में मानकीय सहायक |

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>उपभोग घटा दिया जाये। उत्पादन स्टेशन के मामले में उपलब्धता समय-समय पर यथा संशोधित यू0पी0ई0आर0सी0 (उत्पादन टैरिफ के निबंधन और शर्तों) विनियमावली 2004 में विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार संगणना की जायेगी।</p> <p>किसी दी हुयी अवधि के लिये पारेषण प्रणाली के सम्बन्ध में 'उपलब्धता' का तात्पर्य घंटों में उस अवधि से होगा जिसके दौरान पारेषण प्रणाली अपने रेटेड वोल्टेज पर विद्युत पारेषण करने के लिये सक्षम है और दी हुयी अवधि में कुल घंटों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जायेगी और इसकी गणना समय समय पर यथा संशोधित यू0पी0ई0आर0सी0 (पारेषण टैरिफ के अवधारण के निबंधन और शर्तों) विनियमावली 2006 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।</p> |
| पश्चगमन | उच्च आवृत्ति, प्रणाली मॉग का निम्नस्तर या नेटवर्क के बंधनों जैसी असामान्य शर्तों के अधीन एस0एल0डी0सी0 अनुदेशों के अधीन उत्पादन इकाई द्वारा उत्पादन में कमी। |
| तिमिर समाप्ति प्रक्रिया | ऑशिक या पूर्ण तिमिरांधता से वापस आने के लिये आवश्यक प्रक्रिया |
| लाभ भोगी | वह व्यक्ति जिसका आई0एस0जी0एस0/एस0एस0जी0एस0 में अंश हो। |
| बी0आई0एस0 | भारतीय मानक व्यूरो |
| थोक विद्युत पारेषण अनुबंध | पारेषण सेवाओ का उपभोग करने के लिये पारेषण लाइसेंसधारी और दीर्घ/अल्प अवधि उपभोक्ता के मध्य (जिसमे वितरण लाइसेंसधारी सम्मिलित है।) हस्तान्तरित वाणिज्यिक अनुबंध। । |
| कैप्टिव उत्पादन संयंत्र | कैप्टिव उत्पादन संयंत्र का तात्पर्य ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विद्युत नियमावली में यथा परिभाषित कैप्टिव विद्युत संयंत्र से है। |
| कैपेसिटर | क्रियाशील विद्युत उत्पादन के लिये लगाया गया विद्युतीय यंत्र। |
| सी0ई0ए0 | केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण |
| सी0ई0आर0सी0 | विद्युत अधिनियमए 2003 की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग। |
| केन्द्रीय पारेषण सेवा प्रदाता | केन्द्रीय पारेषण सेवा प्रदाता का तात्पर्य किसी सरकारी कंपनी से है जिसे केन्द्र सरकार अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित करे। |

| | |
|--|--|
| संयोजन अनुबंध | राज्य पारेषण इकाई (राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0))और किसी प्रयोगकर्ता के मध्य कोई अनुबंध जिसमें अन्तः राज्य पारेषण प्रणाली से संयोजन और /या उसके प्रयोग के संबंध में निबंधन निर्धारित हों। |
| संयोजन बिन्दु | वह बिन्दु जिससे किसी प्रयोगकर्ता का संयंत्र और/या साधित्र राज्य पारेषण प्रणाली/अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली से संयोजित होता है। |
| मॉग | सक्रिय ऊर्जा की मेगावाट में और क्रियाशील ऊर्जा की एम0वी0ए0आर0 में मॉग, जब तक कि अन्यथा उपबन्धित न हो। |
| प्रेषण (डिस्पैच) अनुसूची | उत्पादन स्टेशन का कुल शुद्ध मेगावाट और एम0डब्लू0एच0 उत्पादन जिसे समय-समय पर ग्रिड को निर्यात /प्रेषित किये जाने के लिये अनुसूचित किया गया हो। |
| व्यवधान अभिलेखी | किसी घटना के दौरान पूर्व चयनित प्रणाली पैरामीटरों के डिजिटल और एनालॉग मूल्यों के परिवर्तन को अभिलिखित करने के लिये व्यवस्थित यन्त्र |
| ऑकडे अर्जन प्रणाली | किसी एक स्थिति में समय के साथ रिले / उपकरण/ प्रणाली पैरामीटरों के संचालन के क्रम को अभिलिखित करने के लिये व्यवस्थित यन्त्र। |
| आहरण अनुसूची | उभयपक्षीय विनिमय को सम्मिलित करते हुये, समय-समय पर ऊर्जा संयन्त्र से मेगावाट जिन्हे लाभार्थी एस0एस0जी0एस0/आई0एस0जी0एस0 से प्राप्त करने के लिये अनुसूचित है। |
| हकदारी | एस0एस0जी0एस0/आई0एस0जी0एस0 की स्थापित क्षमता/ उत्पादन योग्यता में लाभार्थी का अंश (मेगावाट या एम0वी0ए0 में) |
| घटना | ग्रिड में अनुसूचित या गैर योजनागत घटना जिसमे दोष, दुर्घटनाये और विफलतायें सम्मिलित है। |
| घटना अभिलेखी | किसी घटना के घटित होने के दौरान किसी स्थिति में रिले/उपस्कर की उस समय में संचालन के क्रमों को अभिलिखित करने के लिये व्यवस्थित युक्ति। |
| ऊर्जा संयंत्र से मेगावाट /एम0डब्लू0एच0 | उत्पादन स्टेशन का कुल मेगावाट/एम0डब्लू0एच0 उत्पादन जिसमे से सहायक उपभोग और रुपान्तरण हानियाँ काट दी जाये। |

| | |
|---------------------------------|--|
| अति उच्च वोल्टेज | प्राधिकरण द्वारा अनुमत प्रतिशत उतार-चढ़ाव के अधीन रहते हुये सामान्य स्थितियों के अधीन जहाँ वोल्टेज 33,000 वोल्ट से अधिक हो। |
| दोष निर्धारक | उस दूरी को मापने/इंगित करने के लिये जिस पर लाइन में दोष हुआ है, पारेषण लाइन के अंत में व्यवस्थित यन्त्र। |
| लोचदार प्रत्यावर्ती धारा पारेषण | प्रत्यावर्ती धारा पारेषण प्रणाली/लाइन जो स्टेटिक यन्त्र का उपयोग विद्युत प्रवाह/लाइन के भार, लूप प्रवाह एवं क्रियाशील ऊर्जा प्रतिपूरण द्वारा वोल्टेज प्रबंधन हेतु करती है। |
| बलात कटौती | उत्पादन इकाई या पारेषण सुविधा की कटौती जो किसी दोष या अन्य कारण से हो जिसकी योजना न बनाई गई हो। |
| उत्पादन कंपनी | उत्पादन कम्पनी का तात्पर्य किसी कम्पनी या निगमित निकाय या संघ या व्यक्तियों का निकाय चाहे निर्गत हो या नही, या काल्पनिक न्यायिक व्यक्ति जिसका उत्पादन स्टेशन पर स्वामित्व हो या संचालन या अनुरक्षण करता हो। |
| उत्पादन इकाई | विद्युत स्टेशन के भीतर सभी संयंत्र और साधित्रों के साथ एक विद्युतीय उत्पादन इकाई जो कि टरबाइन के साथ जुड़ी हो (संयोजन बिन्दु तक) जो उस टरबो जनरेटर के संचालन से ही संबंधित हो। |
| स्वस्थ सेवा प्रदाता प्रथाये | प्रथाये, ढंग और कार्य जो विद्युत सेवा प्रदाता उद्योग के महत्वपूर्ण भाग में सुसंगत समयावधि के दौरान प्रयुक्त या उसके द्वारा अनुमोदित हो जिनकी युक्ति युक्त मूल्स पर वॉछित परिणाम प्राप्त करने की आशा की जा सकती हो और जो विश्वसनीय सुरक्षात्मक और तीव्रता से स्वस्थ व्यापार प्रथाओं के अनुरूप हो। |
| नियन्त्रक झुकाव | उत्पादन इकाई के चालक के संचालन के संबंध में प्रणाली आवृत्ति में प्रतिशत गिरावट जो मुक्त चालक कार्यवाही के अधीन उत्पादन इकाई को शून्य से पूर्ण भार तक अपने उत्पादन को परिवर्तित करने के योग्य बनाये। |
| ग्रिड कोड | ग्रिड को का तात्पर्य विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (1) (ज) के अधीन आयोग द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड, 2007 से है। |
| ग्रिड मानक | अधिनियम की धारा 73 के खण्ड (घ) के अधीन प्राधिकरण द्वारा |

| | |
|---------------------------------|---|
| | विनिर्दिष्ट ग्रिड मानक। |
| आई0ई0सी0 | अन्तर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग। |
| स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक | उत्पादन कम्पनी जो केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व/नियन्त्रण में न हो। |
| भारतीय विद्युत ग्रिड कोड | अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) (ज) के अनुसार सी0ई0आर0सी0 द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय विद्युत प्रणाली की योजना और संचालन के लिये दर्शन और उत्तरदायित्वों का वर्णन करने वाला दस्तावेज। |
| अन्तः राज्यीय पारेषण प्रणाली | अन्तः राज्यीय पारेषण प्रणाली में निम्नलिखित सम्मिलित है। (एक) एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य को मुख्य पारेषण लाइन के द्वारा विद्युत के प्रेषण (डिस्पैच) के लिये कोई प्रणाली। (दो) मध्यवर्ती राज्य की सीमा के ऊपर से ऊर्जा का प्रेषण (डिस्पैच) और उस राज्य के भीतर प्रेषण (डिस्पैच) और ऊर्जा के ऐसे अन्तः राज्य पारेषण के लिये प्रासंगिक है। (तीन) सी0टी0यू0 द्वारा निर्मित स्वामित्वाधीन संचालित अनुरक्षित या नियंत्रित प्रणाली पर राज्य की सीमा के भीतर हवद्युत का पारेषण। |
| राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली | राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली में राज्य के भीतर पूर्ण पारेषण प्रणाली सम्मिलित नहीं है। इस ग्रिड कोड के प्रयोजन के लिये राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली को एस0टी0एस0 के रूप में संक्षिप्त किया गया है। |
| लाइसेंसधारी | लाइसेंसधारी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे विद्युत अधिनियम 203 की धारा 14 के अधीन लाइसेंस स्वीकृत किया गया है। |
| भार | सेवा प्रदाता /अवस्थापन द्वारा उपभोग किये गये मेगावाट/मेगावाट घंटा। |
| दीर्घावधि निर्बाध उपगम उपभोक्ता | समय-समय पर यथा संशोधित यू0पी0ई0आर0सी0 (निर्बाध उपगमके लिये निबंधन और शर्तें) विनियमावली के अधीन यथा परिभाषित दीर्घावधि निर्बाध उपगम उपभोक्ता। |
| अधिकतम अनवरत रेटिंग | किसी उत्पादन इकाई की सामान्य रेटेड पूर्ण भाग मेगावाट उत्पादन क्षमता जिसे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अनवरत आधार पर बनाये रखा जा सकता है। |
| राष्ट्रीय ग्रिड | देश का सम्पूर्ण अन्त संयोजित विद्युत ऊर्जा नेटवर्क जो क्षेत्रीय ग्रिडों के |

| | |
|--|--|
| | अन्तः संयोजन के पश्चात विकसित होगा। |
| गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत (एन0सी0ई0एस0) | एन0सी0ई0सी0 का तात्पर्य गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन संयंत्रों से है अर्थात् सौर्य, हवा, बगैस, बायो, मास, बायो गैस, औद्योगिक उच्छिष्ट, नगरपालिका उच्छिष्ट, और लघु जल उत्पादन स्टेशन। |
| शुद्ध आहरण अनुसूची | विभाजित पारेषण हानियाँ (अनुमानित) की कटौती के पश्चात लाभार्थी की आहरण अनुसूची। |
| संचालन | किसी प्रणाली के संचालन से संबंधित अनुसूचित या योजनाबद्ध कार्यवाही। |
| संचालन रेंज | संचालन कोड के अधीन यथाविनिर्दिष्ट आवृत्ति और वोल्टेज की संचालन रेंज। |
| व्यक्ति | व्यक्ति में को कम्पनी या निगमित निकाय या संघ या व्यष्टियों का निकाय चाहे निगमित हो या नही, या काल्पनिक न्यायिक व्यक्ति। |
| पूल लेखा | निम्नलिखित के लिये क्षेत्रीय/राज्य लेखा (एक) अनुसूचित अंतः विनियमों के संबंध में भुगतान (यू0आई0लेखा) या (दो) यथास्थिति, क्रियाशील ऊर्जा विनियम (क्रियाशील ऊर्जा लेखा) |
| ऊर्जा प्रणाली | ऊर्जा प्रणाली का तात्पर्य उत्पादन, पारेषण, वितरण और विद्युत की आपूर्ति के सभी पहलुओं से है और निम्नलिखित में से एक या अधिक सम्मिलित है अर्थात् :- (क) उत्पादन स्टेशन (ख) पारेषण या मुख्य पारेषण लाइनें (ग) उप-केन्द्र (घ) टाई लाइनें (ङ) भार प्रेषण (डिस्पैच) किया-कलाप (च) मेन्स या वितरण मेन्स (छ) विद्युत आपूर्ति लाइनें (ज) सिर के ऊपर से जाने वाली लाइनें (झ) सेवा लाइनें निर्माण (अ) निर्माण |

| | |
|---------------------------------------|--|
| रियेक्टर | क्रियाशील ऊर्जा को शोषित करने के लिये विशेष रूप से तैयार किया गया विद्युत संयंत्र। |
| क्षेत्रीय ऊर्जा समिति | 'क्षेत्रीय ऊर्जा समिति' का तात्पर्य ऐसी समिति से है जो किसी क्षेत्र में ऊर्जा प्रणाली के एकीकृत संचालन को सुकर बनाने के लिये उस विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित की जाये। |
| क्षेत्रीय/राज्य ऊर्जा लेखा | 'क्षमता प्रभार' 'ऊर्जा प्रभार' 'यू0आई0प्रभार' और 'क्रियाशील प्रभार' का बिल बनाने और निपटारा करने के लिये क्षेत्रीय/राज्य ऊर्जा लेखा |
| क्षेत्रीय ग्रिड | संबंधित क्षेत्र का संपूर्ण समक्रमण रूप से संयोजित विद्युत ऊर्जा नेटवर्क जिसमें एस0टी0एस0, आई0एस0जी0एस0 और राज्य के भीतर की प्रणाली समाविष्ट है। |
| क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र | क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र का तात्पर्य अधिनियम की धारा 27 की उपधारा के अधीन स्थापित केन्द्र से है। |
| अंश | भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित एस0एस0जी0एस0/आई0एस0जी0एस0 में लाभार्थी का प्रतिशत अंश या जितना एस0एस0जी0एस0/आई0एस0जी0एस0 और उसके लाभार्थियों के मध्य अनुबंध में सहमति हो। |
| अल्पावधि निर्बाध उपगम उपभोक्ता | समय-समय पर यथा संशोधित यू0पी0ई0आर0सी0 (निर्बाध उपगम के निबंधन और शर्तें) विनियमावली के अधीन यथा परिभाषित अल्पावधि निर्बाध उपगम उपभोक्ता। |
| एकल लाइन आरेख | आरेख जो संयोजन बिन्दु पर सभी बाहरी परिपथों के संयोजन और एच0वी0/ई0एच0वी0 संयंत्रों के योजना संबंधी प्रतिनिधित्व है। जिसमें उन संयोजनों की संख्या और नामकरण समाविष्ट है। |
| स्थल का सामान्य चित्रांकन | प्रत्येक संयोजन बिन्दु के लिये तैयार किये गये चित्रांकन, जिसमें अभिन्यास चित्रांकन, विद्युतीय अभिन्यास चित्रांकन, सामान्य/सुरक्षा नियन्त्रण चित्रांकन एवं सामान्य सेवा चित्रांकन समाविष्ट है। |
| चक्रण के लिये आरक्षित उत्पादन केन्द्र | कुछ आरक्षित अंतर के साथ भारित उत्पादन क्षमता जो प्रणाली में समक्रमित की जाये और प्रेषण (डिस्पैच) के अनुदेश के अनुसरण में या आवृत्ति में एक साथ गिरावट के कारण अल्प सूचना पर बढे हुये उत्पादन की व्यवस्था करने के लिये तैयार रहे। |

| | |
|--|--|
| राज्य भार प्रेषण केन्द्र | राज्य भार प्रेषण केन्द्र का तात्पर्य अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित केन्द्र से है। |
| राज्य पारेषण इकाई | 'राज्य पारेषण इकाई' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 39 की धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट सरकारी कम्पनी से है। |
| राज्य क्षेत्र उत्पादन केन्द्र (एस0एस0जी0एस0) | एस0एस0जी0एस0 का तात्पर्य राज्य पारेषण प्रणाली से जुड़े हुये ऐसे उत्पादन केन्द्रों से है जिसमें आई0पी0पी0, कैप्टिव उत्पादन केन्द्र, सह-उत्पादन केन्द्र और वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन केन्द्र सम्मिलित है। |
| राज्य ऊर्जा समिति (एस0पी0सी0) | इस ग्रिड कोड के उपबंध संख्या-2.14 के अधीन गठित समिति। |
| राज्य ऊर्जा ग्रिड | राज्य के भीतर अंतः संयोजित पारेषण लाइनों उप-केन्द्रों और उत्पादन संयंत्रों की उच्च वोल्टेज आधार स्तम्भ प्रणाली |
| राज्य ऊर्जा प्रणाली | राज्य ऊर्जा प्रणाली में राज्य ऊर्जा ग्रिड में आच्छादित उच्च वोल्टेज आधार-स्तम्भ प्रणाली के अतिरिक्त राज्य के भीतर सम्पूर्ण वितरण प्रणाली सम्मिलित है। |
| स्थिर वी0ए0आर0 प्रतिपूरक | क्रियाशील ऊर्जा के उत्पादन या शोषित करने के प्रयोजन के लिये बनाई गई विद्युतीय सुविधा। |
| समय खण्ड | प्रत्येक 15 मिनट का खण्ड जिसके लिये विशिष्ट ऊर्जा मीटर विनिर्दिष्ट विद्युतीय पैरामीटर्स और मात्रायें दर्ज करेगा जिसका प्रथम समय खण्ड 00:00 घंटे से प्रारम्भ होगा। |
| पारेषण लाइसेंस | अधिनियम की धारा 14 के अधीन विद्युत का पारेषण करने के लिये स्वीकृत लाइसेंस। |
| पारेषण योजना मापदण्ड | सी0ई0ए0 द्वारा पारेषण प्रणाली की योजना और स्वरूप के लिये जारी नीति मानक और दिशा निर्देश |
| यू0पी0ई0आर0सी0 | उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग |
| प्रयोगकर्ता | एस0टी0एस0को प्रयोग करने वाले व्यक्ति /अभिकरण को निर्दिष्ट करने के लिये यू0पी0ई0जी0सी0 की विभिन्न धाराओं में प्रयुक्त पद जो यू0पी0ई0जी0सी0 को प्रत्येक धारा में अधिक विशिष्ट रूप से अभिनिर्धारित है। |

इस कोड में प्रयुक्त और अपरिभाषित परन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में उनके लिये दिया गया है। यहाँ प्रयुक्त किन्तु इस कोड या उक्त अधिनियम में विशिष्टतया तथा अपरिभाषित लेकिन सक्षम विधान मण्डल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन परिभाषित और राज्य में विद्युत उद्योग में प्रयोज्य पदों का वही अर्थ होगा जो ऐसी विधि में उनके लिये दिया गया है। उपर्युक्त के अध्यक्षीन रहते हुये इसमें प्रयुक्त लेकिन इस कोड या अधिनियम या किसी सक्षम विधान मण्डल द्वारा पारित किसी विधि में विशिष्टतया अपरिभाषित पदों का वही अर्थ होगा जैसा कि विद्युत उद्योग में सामान्य रूप में दिया गया है।

(ख) निर्वचन

इस कोड के निर्वचन में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) यथास्थिति एक वचन या बहुवचन में प्रयुक्त शब्दों को क्रमशः बहुवचन या एक वचन पद को सम्मिलित हुआ समझा जायेगा।
- (ख) शीर्षों को सुविधा की दृष्टि से लिखा गया है। और इस ग्रिड कोड के निर्वचन के प्रयोजन के लिये नहीं समझा जायें।
- (ग) परिनियमावली, विनियमावली या दिशा निर्देशों के सन्दर्भ से यह समझा जायेगा कि इसमें सीमा संविधिक उपबंध जो यथास्थित ऐसी परिनियमावली, विनियमावली या दिशा निर्देशों को पुष्ट करें, या विस्थापित करें, सम्मिलित है।
- (घ) इस ग्रिड कोड के निर्वचन में अंग्रेजी और हिन्दी रूप में विवाद होने की स्थिति में, अंग्रेजी रूप मान्य होगा।

अध्याय-2

विभिन्न संगठनों की भूमिका और उनका अनुबंधन

2.1 प्रारम्भ

2.1.1 विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों के आलोक में यह आवश्यक हो गया कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण इकाई, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय विद्युत समितियाँ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य समन्वय फोरम, केन्द्रीय पारेषण सेवा प्रदाता आदि और उसके संगठनात्मक अनुबंधनों की भूमिका को विनिर्दिष्ट किया जाये जिससे राज्य विद्युत ग्रिड और क्षेत्रीय ग्रिड का विकास और सहज संचालन सुकर हो सके। यह अध्याय विद्युत अधिनियम 2003 और उसके अधीन बनाई गई नियमावली और विनियमावली में यथा परिकल्पित राज्य विद्युत ग्रिड के कृत्यों और संचालनो से जुड़े विभिन्न संगठनो के कृत्यों को परिभाषित करता है।

2.2 क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र

2.2.1 क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, संबंधित क्षेत्रीय ग्रिड के भीतर विद्युत प्रणाली के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिये शीर्ष निकाय है। विद्युत का चक्रण, अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के माध्यम से विद्युत के अनुकूलतम अनुसूचीकरण एवं प्रेषण (डिस्पैच) के सम्बन्ध में आर0एल0डी0सी0 भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में या अन्यथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सिद्धांतो, दिशा निर्देशों और कार्य प्रणाली का अनुपालन करेगा। क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र ऐसे निर्देश दे सकती है और ऐसा परिवेक्षण और नियन्त्रण कर सकती है जो एकीकृत ग्रिड संचालन को सुनिश्चित करने और अपने नियन्त्रण के अधीन क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के संचालन में मितव्यता और दक्षता प्राप्त करने के लिये आपेक्षित हो। सभी लाइसेंसधारी, उत्पादन कम्पनियों और अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ और या उपभोग करने वाला कोई अन्य व्यक्ति क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा।

2.3 क्षेत्रीय विद्युत समिति

2.3.1 क्षेत्रीय विद्युत समितियों का गठन केन्द्र सरकार के संकल्प दिनांक 25.05.2005 द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के एकीकृत संचालन को सुकर बनाने के लिये सभी पाँचों क्षेत्रों के लिये किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र के लिये भारत सरकार द्वारा स्थापित क्षेत्रीय विद्युत समिति, समय-समय पर ग्रिड में स्थायित्व और सह संचालन और उस क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के संचालन में मितव्ययता और दक्षता संबंधित विषयों पर दिशा निर्देश दे सकता है। ऐसे निर्देश इस कोड द्वारा आच्छादित

सभी इकाईयों पर उस सीमा तक बाध्यकारी होंगे जहाँ तक वे राज्य विद्युत ग्रिड पर प्रयोज्य हैं और उन पर लाभ होते हैं।

2.3.2 आर0पी0सी0 निम्नलिखित कृत्यों का संपादन करेगा जिससे समन्वित ग्रिड का स्थायित्व और सहज कार्य चालन सुकर हो सके।

(क) ग्रिड सम्पादन में सुधार करने के लिये क्षेत्रीय स्तर संचालन का विश्लेषण।

(ख) विद्युत के अन्तः राज्यीय/अन्तर् क्षेत्रीय स्थानान्तरण को सुकर बनाना।

(ग) केन्द्रीय प्रेक्षण इकाई /राज्य प्रेषण इकाई के साथ अन्तरराज्यीय/अन्तः राज्य पारेषण प्रणाली से संबंधित योजना के सभी कृत्यों को सुकर बनाना।

(घ) क्षेत्र की विभिन्न उत्पादन कम्पनियों की उत्पादन मशीनों के अनुरक्षण की योजना का समन्वय करना जिसमें अन्तरराज्यीय उत्पादन कम्पनियाँ भी सम्मिलित हैं, जो वार्षिक आधार पर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति करती हैं और मासिक आधार पर बनाये गये अनुरक्षण कार्यक्रम का पुनरावलोकन करना।

(ङ) पारेषण प्रणाली की अनुपलब्धता के संबंध में मासिक आधार पर योजना तैयार करना।

(च) संचालन योजना संबंधी अध्ययन को प्रारम्भ करना जिसमें ग्रिड के स्थायी संचालन के लिये सुरक्षा संबंधी अध्ययन भी सम्मिलित हैं।

(छ) प्रणाली अध्ययन समिति के माध्यम से क्रियाशील विद्युत की प्रतिपूर्ति प्रतिकर अपेक्षा के पुनरावलोकन कर उचित वोल्टेज बनाये रखने के लिये योजना बनाना और स्थापित कैपेसिटर का अनुश्रवण करना।

(ज) क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के संचालन में मितव्ययता और दक्षता से संबंधित सभी मुद्दों पर मतैक्य विकसित करना।

2.4 केन्द्रीय पारेषण सेवा प्रदाता

2.4.1 पावर ग्रिड कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय पारेषण इकाई है। केन्द्रीय पारेषण इकाई सम्पूर्ण अन्तरराज्यीय पारेषण के लिये उत्तरदायी है और उस संदर्भ में इस कोड की सुसंगता अन्तः राज्यीय पारेषण प्रणाली और अन्तरराज्यीय पारेषण प्रणाली के मध्य संयोजन तक सीमित होगी।

2.5 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

2.5.1 विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 3 के अधीन स्थापित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 70 (2) अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है।

- 2.5.2 अधिनियम की धारा 3 (4) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार पाँच वर्ष में एक बार राष्ट्रीय विद्युत योजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तैयार करेगा और अधिसूचित करेगा।
- 2.5.3 अधिनियम की धारा 177 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमावली बना सकता है, जिसमें निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था होगी:-
- (क) अधिनियम की धारा 34 में शर्तों के अनुसार ग्रिड मानक,
- (ख) अधिनियम की धारा 53 की शर्तानुसार विद्युत आपूर्ति की सुरक्षा से संबंधित उपाय।
- (ग) अधिनियम की धारा 55 के अनुरूप मीटरों की अवस्थापना और संचालन।
- (घ) विद्युत संयंत्रों, विद्युत लाइनों के निर्माण के लिये और ग्रिड से संयोजन के लिये तकनीकी मानक और अधिनियम की धारा 73 की शर्तानुसार सभी अन्य विषय।
- (ङ) किस रूप में कैसे और किस समय राज्य सरकार और लाइसेंसधारियों को अधिनियम की धारा 74 के अधीन ऑकडे विवरणी और अन्य सूचना प्रस्तुत करनी होंगी।
- (च) कोई अन्य विषय जो अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाये।
- 2.5.4 ऊपर लिखित विनियमावली के अधीन उपबंधों की इस ग्रिड कोड में चाहे स्पष्टतया व्यवस्था की गयी हो या नही पर ध्यान दिये बिना वे इस कोड द्वारा आच्छादित सभी इकाइयों पर उस सीमा तक प्रवृत्त होंगे जहाँ तक यह उन पर प्रवृत्त होता है।

2.6 राज्य भार प्रेषण केन्द्र

- 2.6.1 राज्य सरकार एक केन्द्र की स्थापना करेगी जिसे अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये और कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ राज्य भार प्रेषण केन्द्र जाना जायेगा। इस राज्य भार प्रेषण केन्द्र का संचालन किसी सरकारी कम्पनी या किसी प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगम द्वारा किया जायेगा जब तक कि ऐसी कम्पनी या प्राधिकरण या निगम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न हो जाये, राज्य पारेषण सेवा प्रदाता राज्य भार प्रेषण केन्द्र का संचालन करेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य में ऊर्जा प्रणाली के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिये शीर्ष निकाय होगा। एस0एल0डी0सी0 निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगा:-
- (क) राज्य में लाइसेंसधारियों या कार्यरत उत्पादन कम्पनियों के साथ हुये अनुबन्धों के अनुसार राज्य के भीतर विद्युत की अनुकूलतम अनुसूची तैयार करना और प्रेषण।
- (ख) ग्रिड संचालन का अनुश्रवण करना।
- (ग) राज्य पावर ग्रिड के माध्यम से पारेषित विद्युत का लेखा रखना।
- (घ) अन्तः राज्यीय पारेषण प्रणाली का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण।

- (ड.) ग्रिड मानको और ग्रिड कोड के अनुसार राज्य पावर ग्रिड के सुरक्षित और मितव्ययी संचालन के माध्यम से राज्य के भीतर विद्युत के ग्रिड नियन्त्रण और प्रेषण (डिस्पैच) के लिये यथार्थ समय में संचालन।
- 2.6.2 अधिनियम के अधीन ऊपर दिये गये कृत्यों के अतिरिक्त एस0एल0डी0सी0 इस ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित कृत्यों का भी निर्वहन करेगा:-
- (क) प्रणाली संचालन एवं नियन्त्रण, यथार्थ समय के आधार पर आकस्मिकता विश्लेषण और संचालन योजना, को सम्मिलित करते हुये।
- (ख) प्रणाली शर्तों और उत्पादन स्टेशनों और वितरण लाइसेंसधारियों के अनुरोध के अनुसार प्रेषण (डिस्पैच) और आहरण अनुसूचियों की पुनः निर्धारण
- (ग) ग्रिड व्यवधान के पश्चात प्रणाली की पुनः स्थापना,
- (घ) मीटर के बिन्दुओं और ऑकडा संग्रह को विनिर्दिष्ट करना,
- (ड.) प्रणाली संचालन से संबंधित ऑकडों का संकलन एवं प्रस्तुतीकरण
- (च) राज्य यू0आई0 पूल लेखा और राज्य क्रियाशील ऊर्जा लेखा का संचालन,
- (छ) अन्तरराज्य पारेषण में निर्बाध उपगम के मामले में एस0एल0डी0सी0 लघु अवधि निर्बाध उपगम के लिये नोडल अभिकरण होगा। लघु अवधि निर्बाध उपगम के संबंध में प्रक्रिया और रुपात्मकता समय-समय पर यथा संशोधित यू0पी0ई0आर0सी0 (निर्बाध उपगम के लिये निबंधन और शर्तों) विनियमावली, 2004 के अनुसार होगी।
- 2.6.3 राज्य भार प्रेषण केन्द्र ऐसे निर्देश दे सकता है और ऐसे पर्यवेक्षण और नियन्त्रण का प्रयोग कर सकता है जो एकीकृत ग्रिड संचालन सुनिश्चित करने के लिये और राज्य ऊर्जा प्रणाली के संचालन में अधिकतम मितव्यता और दक्षता प्राप्त करने के लिये अपेक्षित हो। सभी प्रयोगकर्ता राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करेगे।
- 2.6.4 राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रयोगकर्ताओं को समुचित निर्देश जारी करके क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगा।
- 2.6.5 यदि विद्युत की गुणवत्ता या राज्य ऊर्जा ग्रिड के सुरक्षित एकीकृत संचालन या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिये गये किसी निर्देश के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे विनिश्चित करने के लिये आयोग को प्रेषित किया जायेगा। आयोग के निर्णय के लम्बित रहने तक लाइसेंसधारी या उत्पादन कम्पनी राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशों का अनुपालन करेगी।
- 2.6.6 यदि कोई लाइसेंसधारी, उत्पादन कम्पनी या कोई अन्य व्यक्ति एस0एल0डी0सी0 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शास्ति का दायी होगा।

2.7 राज्य पारेषण इकाई (एस0टी0यू0)

2.7.1 राज्य पारेषण इकाई (एस0टी0यू0) " का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सरकारी कम्पनी से है। यू0पी0पी0सी0एल0, जिसे भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1910, की धारा 27- ख की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकारी गजट संख्या-151/पी0-1/2000-24 दिनांक 14 जनवरी 2000 द्वारा राज्य पारेषण इकाई (राज्य पारेषण इकाई (एस0टी0यू0) घोषित किया गया था। अधिनियम की धारा 172 (ख) के कारण राज्य पारेषण सेवा प्रदाता बनी हुयी है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अधीन राज्य पारेषण इकाई (एस0टी0यू0) डीम्ड पारेषण लाइसेंसधारी भी है।

2.7.2 अधिनियम के अनुसार, राज्य पारेषण इकाई (एस0टी0यू0) निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगा:

- (क) अन्तरराज्य पारेषण प्रणाली के माध्यम से विद्युत का पारेषण
- (ख) निम्नलिखित के साथ अन्तर राज्य पारेषण प्रणाली से संबंधित योजना और समन्वय के सभी कृत्यों का निर्वहन,
- एक- केन्द्रीय पारेषण सेवा प्रदाता
- दो- राज्य सरकार
- तीन- उत्पादन कंपनियों,
- चार- क्षेत्रीय विद्युत समिति,
- पाँच- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण,
- छ:- सभी लाइसेंसधारी,
- सात- इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति।
- (ग) उत्पादन स्टेशनों से भार केन्द्रों तक विद्युत के सहज प्रवाह के लिये अन्तर पारेषण लाइनों के दक्ष, समन्वित और मितव्ययी प्रणाली के विकास को सुनिश्चित करना।
- (घ) निम्नलिखित के द्वारा प्रयोग के लिये अपनी पारेषण लाइनों को भेदभाव रहित निर्बाध उपगम की व्यवस्था करना:
- एक- पारेषण प्रभागों के भुगतान पर किसी लाइसेंसधारी या उत्पादन कम्पनी या,
- दो- पारेषण प्रभागों और उन पर अधिभार के भुगतान पर जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये, किसी उपभोक्ता को जैसे ही और जब अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा निर्बाध उपगम की व्यवस्था की जाये।
- 2.7.3 अधिनियम और इस कोड के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में राज्य पारेषण इकाई (एस0टी0यू0) राज्य समन्वय फोरम की संस्तुतियों पर विचार करेगा।

2.7.4 राज्य पारेषण इकाई (एस0टी0यू0) सभी दीर्घ अवधि निर्बाध उपगम उपभोक्ताओं के लिये नोडल अभिकरण का कार्य करेगा।

2.8 पारेषण लाइसेंसधारी

2.8.1 प्रत्येक पारेषण लाइसेंसधारी विद्युत संयंत्रों, विद्युत लाइनों के निर्माण और ग्रिड के साथ संयोजन के तकनीकी मानको और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा और इस कोड और या भारतीय विद्युत ग्रिड में जैसा अन्तर राज्य पारेषण प्रणाली पर प्रयोज्य है, यथा विनिर्दिष्ट सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का अनुकरण करेगा।

2.8.2 पारेषण लाइसेंसधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह

(क) दक्ष, समन्वित और मितव्ययी अन्तःराज्यीय पारेषण प्रणाली का निर्माण, अनुरक्षण और संचालन करे और यथास्थिति क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देश का अनुपालन करेगा।

(ख) किसी लाइसेंसधारी या उत्पादन कम्पनी या किसी अन्य उपभोक्ता को आयोग द्वारा यथा निर्धारित प्रभारों के भुगतान पर प्रयोग के लिये अपनी पारेषण प्रणाली तक भेदभाव रहित निर्बाध उपगम की व्यवस्था करेगा।

2.9 उत्पादन कम्पनी

2.9.1 कोई उत्पादन कम्पनी अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी उत्पादन स्टेशन की स्थापना, संचालन और अनुरक्षण कर सकता है। यदि वह अधिनियम की धारा 73 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट ग्रिड के साथ संयोजन से संबंधित तकनीकी मानको का अनुपालन करें।

2.9.2 अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अनुसार उत्पादन कम्पनी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-

एक- अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई नियमावली या विनियमावली के उपबंधों के अनुसार एक दूसरे से जुड़ी हुये उत्पादन स्टेशन, हाई लाइनें उपकेन्द्रों और समर्पित पारेषण लाइनों की स्थापना, संचालन और अनुरक्षण,

दो- अधिनियम और उसके अधीन बनाई गयी नियमावली और विनियमावली के अनुसार किसी लाइसेंसधारी को विद्युत की आपूर्ति करना और धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन विनियमावली के अधीन किसी उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति करना।

तीन- अपने उत्पादन स्टेशनों के संबंध में समुचित आयोग और प्राधिकरण को तकनीकी विवरण प्रस्तुत करना।

चार- उसके द्वारा उत्पादित विद्युत के पारेषण के लिये यथा-स्थिति, केन्द्रीय पारेषण इकाई या राज्य पारेषण इकाई के साथ समन्वय करना।

2.10 वितरण लाइसेंसधारी

2.10.1 किसी विशिष्ट क्षेत्र में विद्युत के वितरण के लिये अधिनियम की धारा 14 के अधीन लाइसेंस प्राप्त कोई व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आपूर्ति के अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के लिये दक्ष, समन्वित और मितव्ययी वितरण प्रणाली का विकास और अनुसंधान करेगा।

2.10.2 वितरण लाइसेंसधारी के निम्नलिखित भी कर्तव्य होंगे :

क. आयोग द्वारा निर्धारित किये गये चक्रण प्रभार अधिभार और अतिरिक्त अधिभार के भुगतान पर, अपने आपूर्ति क्षेत्र के उपभोक्ताओं हेतु निर्बाध उपगम की व्यवस्था, उस समय आवधि के अनुसार जैसी आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

ख. किसी परिसर के स्वामी या अध्यासी द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदन प्राप्ति के एक मास की अवधि के भीतर विद्युत की आपूर्ति करना :

परन्तु यह कि जहाँ ऐसी आपूर्ति के लिये वितरण की मुख्य लाइन के विस्तार या नये उपकेन्द्र को प्रारम्भ करने की अपेक्षा हो तो वितरण लाइसेंसधारी ऐसे विस्तार या प्रारम्भ के पश्चात या ऐसी अवधि के भीतर, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, शीघ्र ही ऐसे परिसर को विद्युत की आपूर्ति करेगा।

2.11 राज्य समन्वय फोरम

2.11.1 अधिनियम की धारा 166 (4) के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में ऊर्जा प्रणाली के सहज और समन्वित विकास के लिये राज्य समन्वय फोरम का गठन किया है। राज्य समन्वय फोरम राज्य ऊर्जा प्रणाली के समग्र नियोजन और विकास से संबंधित विषयों पर अपनी संस्तुतियाँ देगा।

2.12 उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

2.12.1 यू0पी0ई0जी0सी0 से संबंधित यू0पी0ई0आर0सी0 के कृत्य निम्न प्रकार हैं:-

- क- लाइसेंसधारी की पारिषण सुविधाओं के प्रयोग के लिये दर, प्रभार और निबंधन निर्धारित करना,
- ख- एस0एल0डी0सी0 को देय फीस और प्रभारों को विनिर्दिष्ट करना,
- ग- किसी विवाद का, जो विद्युत की गुणवत्ता या राज्य पावर ग्रिड की संरक्षा, सुरक्षा और एकीकृत संचालन के संबंध में या एस0एल0डी0सी0 द्वारा दिये गये किसी निर्देश के संबंध में उत्पन्न हो, निर्णय करना,
- घ- पारिषण/वितरण लाइसेंसों को जारी करना ।
- ड.- जैसे ही और जब अपेक्षा हो, यू0पी0ई0जी0सी0 के सम्बन्ध में संशोधन करना।

2.13 उत्तर प्रदेश सरकार

2.13.1 उन उपायों की व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकार एस0एल0डी0सी0 को निर्देश जारी कर सकती है जो राज्य में सहज और स्थायी पारेषण का अनुरक्षण करने और विद्युत की आपूर्ति करने के लिये आवश्यक हो। एस0एल0डी0सी0 ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा यदि वे अधिनियम और इस कोड के उपबंधों के प्रतिकूल न हो।

2.14 राज्य विद्युत समिति (एस0पी0सी0)

2.14.1 राज्य भार प्रेषण केन्द्र का मुखिया राज्य विद्युत समिति का अध्यक्ष होगा और उसमें निम्नलिखित सदस्य समविष्ट होंगे:

- क- एक सदस्य राज्य पारेषण इकाई से।
- ख- राज्य स्वामित्व के उत्पादन स्टेशन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतिनिधि,
- ग- सह उत्पादन केन्द्रों, वैकल्पिक ऊर्जा इकाईयों और स्वतन्त्र विद्युत उत्पादन केन्द्रों जिनकी स्थापित क्षमता 300 मेगावाट से कम हो, का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतिनिधि जिसे आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा।
- घ- 300 मेगावाट से अधिक स्थापित क्षमता वाले प्रत्येक स्वतन्त्र विद्युत उत्पादन केन्द्रों से एक प्रतिनिधि,
- ङ- राज्य पारेषण इकाई से भिन्न राज्य के प्रत्येक पारेषण लाइसेंसधारी से एक सदस्य,
- च- राज्य में प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी से एक सदस्य,
- छ- राज्य में प्रत्येक विद्युत व्यापारी का एक सदस्य,
- ज- सदस्य सचिव, राज्य भार प्रेषण केन्द्र का वरिष्ठ अधिकारी जिसे अध्यक्ष राज्य विद्युत समिति ने नामित किया हो – संयोजक
- झ- ऐसे अन्य व्यक्ति जो आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायें।

2.14.2 समिति का अपना निजी सचिवालय होगा। सचिवालय के लिये अन्य कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था एस0एल0डी0सी0 द्वारा की जायेगी।

2.14.3 समिति का मुख्यालय लखनऊ में स्थापित होगा।

2.14.4 समिति कार्य संचालन

एक- अध्यक्ष, राज्य विद्युत समिति, विभिन्न संगठनों / आयोग से नाम आमंत्रित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि विनियम 2.14.1 के खण्ड (ब) से (झ) के अन्तर्गत नामांकन इस विनियमावली

की अधिसूचना के तीस दिन के भीतर प्राप्त हो जाये और समिति इस विनियमावली की अधिसूचना के दिनोंक से साठ दिन के भीतर कार्यशील हो जाये।

दो- समिति अपनी बैठको और अन्य संबंधित विषयों के लिये अपनी निजी कार्यसंचालन नियमावली बनायेगी।

तीन- सदस्यों की पदावधि उनके अपने संगठन के साथ बने रहने तक होगी। तथापि, कोई संगठन/समूह उचित प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को राज्य विद्युत समिति में प्रतिनिधित्व हेतु नामित कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में पूर्व में नामित व्यक्ति राज्य विद्युत समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

चार- प्रत्येक संगठन द्वारा नामित सदस्य अपने अपने संगठन में ज्येष्ठ पदधारी होंगे।

2.14.5 समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी:

एक- ग्रिड सम्पादन को उन्नत बनाने के लिये राज्य स्तरीय संचालन विश्लेषण।

दो- विद्युत का अन्तःराज्यीय अन्तरण सुकर बनाना।

तीन- राज्य पारेषण इकाई के साथ अन्तःराज्यीय पारेषण प्रणाली से संबंधित नियोजन संबंधी कृत्यों को सुकर बनाना और महत्वपूर्ण पारेषण परियोजनाओं का पुनरावलोकन करना।

चार- वार्षिक आधार पर राज्य की विभिन्न उत्पादन कंपनियों की उत्पादन मशीनों के अनुरक्षण के नियोजन का समन्वय करना और मासिक आधार पर अनुरक्षण कार्यक्रम का पुनरावलोकन प्रारम्भ करना।

पाँच- मासिक आधार पर पारेषण प्रणाली की अनुपलब्धता का नियोजन।

छ- संचालन नियोजन संबंधी अध्ययन कराना जिसमें ग्रिड का स्थायी संचालन के लिये सुरक्षा अध्ययन सम्मिलित है।

सात- क्रियाशील विद्युत प्रतिपूर्ति अपेक्षा का पुनरावलोकन कर उचित वोल्टेज बनाये रखने के लिये नियोजन और स्थापित कैपेसिटरम का अनुश्रवण।

आठ- राज्य में विद्युत प्रणाली के संचालन में मितव्ययता और दक्षता के संबंध में सभी मुद्दों पर मतैक्य विकसित करना।

2.14.6 समित ग्रिड कोड के अधीन यथा परिकल्पित या दक्ष कार्य शीलता के लिये आवश्यक समझी गयी अपनी उपसमितियों, टास्क बल, तदर्थ समितियों और स्थायी समितियों का गठन कर सकती है। यदि अपेक्षित हो तो यह विनिर्दिष्ट प्रकृति के विषयों पर परामर्श देने के लिये अतिविशिष्ट विशेषज्ञों के समूहों /समितियों की भी स्थापना कर सकती है। उप समितियों आदि के प्रतिनिधियों का स्तर संबंधित विषय की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

- 2.14.7 राज्य ऊर्जा ग्रिड के संचालन और विद्युत के अनुसूचीकरण और प्रेषण (डिस्पैच) के संबंध में मतैक्य द्वारा पारित समिति के विनिश्चयों का अनुकरण राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा राज्य नियामक आयोग के, यदि कोई हो, निर्देशों के अधीन रहते हुये, किया जायेगा।
- 2.14.8 समिति तीन मास में कम से कम एक बार और ऐसे अन्य समय पर, जो आवश्यक समझा जाये, बैठक करेंगी।
- 2.14.9 अन्तर्राज्य पारेषण में निर्बाध उपगम से संबंधित अनुचित प्रथाये, विलम्ब, भेद-भाव, सूचना का अभाव, गलत सूचना की आपूर्ति या किसी अन्य विषय से संबंधित सभी शिकायते सदस्य सचिव, राज्य विद्युत समिति को निदेशित की जायेगी। सदस्य सचिव, राज्य विद्युत समिति आयोग द्वारा नियुक्ति माध्यस्थम के रूप में शिकायत की जाँच करेगा और उसे निपटाने का प्रयास करेगा। सदस्य सचिव, राज्य विद्युत समिति आयोग द्वारा औपचारिक आदेश के निर्गम के लिये आयोग को अपने अन्तिम आदेश की प्रति अग्रसारित करेगा। यदि सदस्य सचिव, राज्य विद्युत समिति मामले को निपटाने में असमर्थ रहे, तो उसे निर्धारित करने के लिये आयोग को प्रेषित किया जायेगा।
- 2.14.10 सदस्य सचिव, राज्य विद्युत समिति पारेषण प्रभारो/क्षमता प्रभारो और प्रोत्साहन के भुगतान के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित को प्रमाणित करेगा :-
- एक- अन्तर्राज्य एस0सी0 और एच0वी0डी0सी0 पारेषण प्रणाली की उपलब्धता
- दो- उपलब्धता और एस0एस0जी0एस0 (तापीय) के लिये संयंत्र भार घटक
- तीन- एस0एस0जी0एस0 (जलीय) के लिये क्षमता सूचकॉक

टिप्पणी :- ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्रयोगकर्ताओं/संगठनों की भूमिका और कृत्यों की अधिनियम और अधिनियम के अधीन अधिसूचित केन्द्रीय और राज्य विद्युत नियामक आयोग की विभिन्न विनियमावली के उपबंधो के साथ पढा जायेगा।

अध्याय-3 नियोजन कोड अन्तःराज्यीय पारेषण

यह अध्याय राज्य ऊर्जा प्रणाली जिसमें कि अन्तःराज्यीय पारेषण प्रणाली सम्मिलित है के नियोजन एवं विकास से संबंधित विभिन्न पक्षों को समाहित करता है।

3.1 प्रारम्भ

- 3.1.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 (2) (ख) के अनुसार राज्य पारेषण इकाई (एस0टी0यू0) केन्द्रीय पारेषण इकाई (सी0टी0यू0), राज्य सरकार उत्पादन कंपनिया, क्षेत्रीय विद्युत समितियाँ, , राज्य विद्युत समिति, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, लाइसेंसधारी और इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य व्यक्ति के साथ समन्वय में अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली से संबंधित नियोजन और समन्वय के सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा।
- 3.1.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 (4) के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करेगा और ऐसी योजना की अधिसूचना 5 वर्ष में एक बार करेगा। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 (5) के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना का पुनरावलोकन या पुनरीक्षण करेगा। उत्पादन कंपनियों और लाइसेंसधारी अपनी प्रणाली के विकास में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार राष्ट्रीय विद्युत योजना को संज्ञान में लेकर करेंगे।
- 3.1.3 प्रवर्तन / विस्तार / नई पारेषण लाइन के लिये आवश्यकता अनेक कारणों से हो सकती है। जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है लेकिन उन तक सीमित नहीं है :
- क- राज्य पारेषण प्रणाली से पहले से जुड़े हुये किसी प्रयोगकर्ता की प्रणाली पर विकास।
 - ख- प्रयोगकर्ता की प्रणाली और राज्य पारेषण प्रणाली के बीच नये संयोजन बिन्दु का प्रारम्भ।
 - ग- प्रणाली क्षमता में वृद्धि, संचालन संबंधी बंधनों को दूर करना और मॉग में सामान्य वृद्धि को समायोजित करने के लिये सुरक्षा के मानको का अनुरक्षण करने की आवश्यकता।

- घ- राज्य के भीतर और बाहर उत्पादन केन्द्रों से विद्युत का निष्क्रमण,
 - ड.- क्रियाशील विद्युत प्रतिपूर्ति
 - च- विद्युत व्यापार और निर्बाध उपगम आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिये।
 - छ- अस्थायी और स्थायी अवस्था स्थायित्व पर विचार विमर्श,
 - ज- ऊपर (क) से (ज) तक के किसी के संयोजन का संचयी प्रभाव।
- 3.1.4 तदनुसार राज्य पारेषण प्रणाली का प्रवर्तन या विस्तार में जनरेटर के अंतः संयोजन बिन्दुओं या राज्य पारेषण प्रणाली पर अन्य लाइसेंसधारियों के प्रवेश बिन्दु पर कार्य आवश्यक हो सकता है।
- 3.1.5 इसलिये राज्य पारेषण प्रणाली के विकास की पर्याप्त अग्रिम समय के साथ योजना बनानी चाहिये जिसे किसी आवश्यक सॉविधिक सहमति, प्राप्त की जाने वाली/ मार्ग के अधिकार की अनुमति और पूर्ण किये जाने वाले विस्तृत अभियन्त्रण डिजाइन /निर्माण कार्य के लिये पर्याप्त समय मिल सके। इसलिये यह प्रणाली नियोजन कोड राज्य भार प्रेषण केन्द्र , राज्य प्रेषण इकाई और प्रयोगकर्ताओं के मध्य सूचना के विनिमय के लिये समय रेखा अधिरोपित करता है। जो ऐसी सूचना के संबंध में विश्वसनीयता का ध्यान रखने वाले सभी पक्षों, जहाँ समुचित हो, के अधीन राज्य पावर ग्रिड से जुड़े हुये और या प्रयोग करने वाले हों।

3.2 उद्देश्य

- 3.2.1 प्रणाली नियोजन कोड के भीतर मानक और क्रियाविधियाँ इसलिये दी गयी है ताकि, राज्य प्रेषण इकाई और प्रयोगकर्ताओं को संयुक्त रूप से दक्ष समन्वित, सुरक्षित और मितव्ययी अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली का विकास करने में समर्थ हों जो कि आकस्मिकताओं से निपटने के लिये पर्याप्त अतिरिक्त मात्रा के साथ भविष्य की माँग को पूरा करने के लिये उत्पादन स्टेशनों से भार केन्द्रों तक विद्युत के निष्क्रमण की अपेक्षाओं का समाधान करता हो। इसलिये प्रणाली का नियोजन कोड का उद्देश्य अधोलिखित है:
- क- राज्य पारेषण प्रणाली के नियोजन और विकास में लागू किये जाने वाले सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं और मानदण्ड को विनिर्दिष्ट करना।

- ख- राज्य पारेषण प्रणाली के किसी प्रस्तावित विकास में सभी उपयोगकर्ताओं के बीच समन्वय के विकास को।
- ग- राज्य पारेषण प्रणाली के नियोजन और विकास में सभी प्रयोगकर्ताओं के मध्य रीति विधान और सूचना विनिमय अपेक्षा की व्यवस्था करना।

3.3 क्षेत्र

यह नियोजन कोड राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण इकाई अन्य लाइसेंसधारियों, राज्य क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों जो कि राज्य पारेषण प्रणाली से जुड़े हुये और/या प्रयोग कर रहे / या उसके विकास से जुड़े हुये है पर प्रवृत्त होगा।

3.4 नियोजन नीति

राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) इस ग्रिड कोड की अधिसूचना के दिनोंक से तीन मास के भीतर भविष्य की माँग को पूरा करने के लिये राज्य पावर ग्रिड के विस्तार के लिये दीर्घ अवधि पारेषण प्रणाली योजना (5 वर्ष की अवधि) तैयार करेगा और आयोग को प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त योजना को तैयार करने में राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) को निम्नलिखित पर विचार करना चाहिये।

- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73 (1) के अधीन सी0ई0ए0 द्वारा यथा तैयार की गयी विद्युत प्रणाली के विकास के लिये भावी योजना।
- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित भारतीय विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण।
- पारेषण नियोजन मानदण्ड और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देश।
- अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली के विकास पर प्रयोज्य सीमा तक भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय विद्युत नीति।

- 3.4.2** राज्य प्रेषण इकाई पुनरीक्षित विद्युत भार प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन) और उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुये नवीनीकृत दीर्घावधि पारेषण प्रणाली योजना प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी तक आयोग को प्रस्तुत करेगा ।
- 3.4.3** किसी विशिष्ट आपूर्ति क्षेत्र के भार पूर्वानुमान का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित वितरण लाइसेंसधारी का होगा। वितरण लाइसेंसधारी अनुवर्ती 5 वर्षों के लिये भार की प्रत्येक श्रेणी के लिये अपने क्षेत्रों के शीर्ष भार और ऊर्जा आवश्यकता को पूर्वघोषित करेगा और पूर्व घोषणा रीति विधान, पूर्वानुमानों और दैनिक भार वक्र के साथ, जिस पर पूर्वानुमान आधारित है, 31 दिसम्बर तक वार्षिक से रूप राज्य पारेषण इकाई (एसटी0यू0) को प्रस्तुत करेगा। इन पूर्वानुमानों को वार्षिक रूप से या जब कभी विद्यमान प्रणाली में वृहद् परिवर्तन किये जाये और तदनुसार पुनरीक्षित किया जाये। वृहद माँग (एक मेगावाट या उच्चतर) एकल उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को इंगित करते समय वितरण लाइसेंसधारी स्वयं को संतुष्ट करेगा किस सीमा तक माँग पूर्ति की जा सकेगी। राज्य प्रेषण इकाई समुचित विविधता घटक को लगाकर और संबंधित वितरण लाइसेंसधारी (क) साथ परामर्श करके 1 मेगावाट से ऊपर की माँग के साथ उपभोक्ताओं के थोक भारों की पूर्ति की संभावना को सुनिश्चित करेगा। वितरण लाइसेंसधारी वोल्टेजवार वितरण हानियों के संबंध में राज्य प्रेषण इकाई को आँकड़े भी प्रस्तुत करेगा।
- 3.4.4** राज्य प्रेषण इकाई, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और संबंधित वितरण लाइसेंसधारी के साथ परामर्श करके, भार पूर्वानुमान घोषित करने में प्रयुक्त रीति-विधान और पूर्वानुमानों का पुनरावलोकन करेगा और आगे पुनः आँकलित करेगा:
- क- पूर्वानुमानित भार और प्रणाली की हानियाँ, कुल ऊर्जा आवश्यकता और उत्पादन केन्द्र पर शीर्ष भार। स्थापित क्षमता, शीर्ष उपलब्धता, उत्पादन और माँग दोनों में आधिक्य और घाटे का भी राज्य प्रेषण इकाई द्वारा निश्चय किया जायेगा।
- ख- विद्यमान क्षमता, निर्माणाधीन परियोजनायें, कैप्टिव पावर संयंत्रों से उपलब्धता, सह उत्पादनकेन्द्रों, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, उभयपक्षीय व्यापार और राज्य के भीतर और बाहर दोनों में केन्द्रीय क्षेत्र पावर परियोजनाओं से राज्य का अंश को ध्यान में रखकर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की गणना । राज्य प्रेषण इकाई सभी उपलब्ध विकल्पों के आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरण पहलुओं का भी परीक्षण करेगा।

- 3.4.5** अन्तःराज्यीय पारेषण प्रणाली में वृद्धि के अलावा, राज्य प्रेषण इकाई समय-समय पर, प्रणाली सुदृढीकरण योजनाये तैयार करेगा जिसकी आवश्यकता पावर अन्तरण में बंधनों को समाप्त करने और ग्रिड के समग्र संपादन को उन्नत बनाने के लिये उत्पन्न हो सकती है। अन्तःराज्यीय पारेषण प्रस्तावों जिसमें नियोजन अध्ययनों के आधार पर चिन्हित प्रणाली सुदृढीकरण योजना सम्मिलित है, को राज्य प्रेषण इकाई द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा जो विभिन्न जोखिम उठाने वालों से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित हो अर्थात् उत्पादन कंपनियों और वितरण लाइसेंसधारी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और आयोग द्वारा पारेषण नियोजन उद्देश्यों के लिये सृजित कोई समिति।
- 3.4.6** सभी मामलों में दीर्घावधि निर्बाध उपगम की व्यवस्था करने के लिये नोडल अभिकरण राज्य प्रेषण इकाई होगा चाहे उसकी प्रणाली प्रयोग जाये या नही और उस प्रयोजन के लिये कोई वितरण लाइसेंसधारी और/या कोई पारेषण लाइसेंसधारी, जिसकी प्रणाली ऐसे दीर्घावधि निर्बाध उपगम से सहयुक्त हो, राज्य प्रेषण इकाई के साथ समन्वय करने के लिये उत्तरदायी होगा और निर्बाध उपगम की व्यवस्था के संबंध में किसी विनिश्चय को अंतिम रूप देने के लिये अपेक्षित सभी सुसंगत सूचना की व्यवस्था करेगा।
- इसी प्रकार अल्पावधि के लिये निर्बाध उपगम की व्यवस्था के लिये नोडल अभिकरण राज्य भार प्रेषण केन्द्र होगा और ऐसे मामलों में प्रयोगकर्ता राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ समन्वय कराने के लिये उत्तरदायी होंगे। अल्पावधि निर्बाध उपगम की व्यवस्था के संबंध में निर्णय लेने में प्रयोगकर्ता सभी सुसंगत सूचना राज्य भार प्रेषण केन्द्र को देगे।
- 3.4.7** यदि प्रणाली गत रुकावटों के कारण दीर्घावधि निर्बाध उपगम की अनुमति नहीं दी जा सकती तो भावी निर्बाध उपगम उपभोक्ता राज्य भार प्रेषण केन्द्र से अनुरोध कर सकते हैं, कि वह प्रणाली सुदृढीकरण अपेक्षाओं और लागत अनुमानों को चिन्हित करने के लिये प्रणाली अध्ययन प्रारम्भ करें। दीर्घावधि निर्बाध उपगम आवेदकों के मामले में जिन्हें राज्य पारेषण प्रणाली से आगे विद्युत को शोषित/निष्क्रमण के लिये अन्तःराज्यीय पारेषण प्रणाली में किसी सुदृढीकरण की अपेक्षा हो, तो आवेदक केन्द्रीय प्रेषण इकाई के साथ भी समन्वय करेगा।

- 3.4.8** सभी प्रयोगकर्ता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक राज्य भार प्रेषण केन्द्र को वॉछित नियोजन ऑकडों की आपूर्ति करेगे जिससे राज्य भार प्रेषण केन्द्र दीर्घावधि पारेषण प्रणाली योजना के पुनरावलोकन और पुनरीक्षण के लिये समर्थ हो सके।
- 3.4.9** राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा तैयार की गयी दीर्घावधि पारेषण प्रणाली योजना में अतिरिक्त पारेषण आवश्यकता पर एक अध्याय होगा जिसमें केवल अंतःराज्यीय पारेषण लाइनें ही सम्मिलित नही होगी अपितु ट्रांसफारमर, कैपेसिटस और रियेक्टर्स आदि जैसे अतिरिक्त उपस्कर की आवश्यकता भी होगी।
- 3.4.10** दीर्घावधि पारेषण प्रणाली योजना में अतिरिक्त आवश्यकता को पूर्ण करने और नई योजनाओं पर हुयी यथार्थ प्रगति पर की गयी कार्यवाही भी इंगित होगी। नियोजन रिपोर्ट और विद्युत नक्शा राज्य पारेषण प्रणाली के साथ निवेश निर्णय / संयोजन निर्णय करने में हितबद्ध किसी भी पक्षकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 3.4.11** ऊर्जा के अन्तःराज्यीय पारेषण में वोल्टेज प्रबंधन की एक अहं भूमिका है, कैपेसिटर्स, रियेक्टर्स, एस0वी0सी0 और लोचदार प्रत्यावर्ती धारा पारेषण प्रणाली आदि के नियोजन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- 3.4.12** राज्य प्रेषण इकाई द्वारा तैयार की गयी योजना के आधार पर, अन्य पारेषण लाइसेंसधारी राज्य पारेषण प्रणाली से अग्रतर विद्युत के निष्क्रमण के लिये अपनी प्रणाली की योजना बनायेगे।
- 3.4.13** अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली और सहयुक्त अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली एक दूसरे की अनुपूरक और अन्योन्य आश्रित है इसलिये एक का नियोजन दूसरे के नियोजन और संपादन को प्रभावित करता है। राज्य प्रेषण इकाई अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के विकास के अनुसार सहयुक्त अंतःराज्यीय पारेषण प्रणाली के विकास की तदनुसार योजना बनायेगा।
- 3.4.14** राज्य प्रेषण इकाई को राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा आपूर्त ऑकडो पर आधारित ऐतिहासिक डाटाबेस का अनुरक्षण करना चाहिये और माँग पूर्वानुमान के लिये उन्नत साफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहियें।
- 3.4.15** राज्य प्रेषण इकाई का नियोजन विभाग भार प्रवाह, शार्ट सर्किट अल्पकालिक स्थिरता अध्ययन, रिले समन्वय अध्ययन और पारेषण प्रणाली नियोजन के लिये अन्य तकनीकों का प्रयोग करेगे।

- 3.4.16** राज्य प्रेषण इकाई का नियोजन विभाग राज्य पारेषण प्रणाली के लिये आकस्मिकता और प्रणाली रुकावट स्थितियों का अभिनित (सिमिलेट) करेगा और दीर्घावधि पारेषण प्रणाली योजना में परिणामों को सन्निहित करेगा।
- 3.4.17** राज्य प्रेषण इकाई, क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली नियोजन में केन्द्रीय प्रेषण इकाई को पूर्ण समर्थन देगा। राज्य प्रेषण इकाई अन्तरराज्यीय पारेषण परियोजनाओं की पहचान में केन्द्रीय पारेषण इकाई की सहायता करेगा। जिसमें अन्तः क्षेत्रीय योजनाये सम्मिलित है जो कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विकसित दीर्घावधि योजना के अनुरूप होगी।
- 3.4.18** राज्य प्रेषण इकाई समय-समय पर केन्द्रीय प्रेषण इकाई द्वारा अपेक्षित नियोजन आँकड़े उसे प्रस्तुत करेगा।

3.5 नियोजन मानदण्ड

3.5.1 नियोजन मापदण्ड सुरक्षा दर्शन पर आधारित है। जिस पर राज्य पारेषण प्रणाली की योजना बनायी गयी है। सुरक्षा दर्शन पारेषण नियोजन मानदण्ड और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिये गये अन्य दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। सामान्य मानदण्ड नीचे सविस्तार दिये हैं।

क- सामान्य नियम के अनुसार, राज्य पारेषण प्रणाली, निम्न आकस्मिक आउटटेज के विरुद्ध बिना भार कम करे या स्थायी संचालन के दौरान उत्पादन की पुनः अनुसूची तैयार करने की आवश्यकता के, सुरक्षित एवं सामना करने में समर्थ होगी।

- 132 किलो वोल्ट द्विपथीय लाइन का व्यवधान या,
- 220 किलो वोल्ट द्विपथीय लाइन का व्यवधान या,
- 400 किलो वोल्ट एकपथीय लाइन का व्यवधान या,
- एकल अर्न्तसंयोजित ट्रॉसफार्मर का व्यवधान,
- 765 किलो वोल्ट एकपथीय लाइन का व्यवधान ।

ख- उपर्युक्त आकस्मिकताओं को, आकस्मिकता से पूर्व अन्य 220 किलो वोल्ट द्विपथीय लाइन या दूसरे कॉरीडार में 400 किलो वोल्ट एकपथीय की सुनियोजित कटौती, जो उसी उपकेन्द्र से निस्सारित न हो, को ध्यान में रखते हुये माना जायेगा। सभी

उत्पादन संयन्त्र अपने क्रियाशील क्षमता वक के भीतर संचालन करेगे और नेटवर्क वोल्टेज प्रोफाइल को विनिर्दिष्ट वोल्टेज सीमाओं के भीतर व्यवस्थित किया जायेगा।

- 3.5.2 राज्य पारेषण प्रणाली स्थायित्व की हानि के बिना, आपूर्ति करने वाले अत्यधिक तीव्र एकल प्रणाली की हानि को सहने में सक्षम होगी।
- 3.5.3 ऊपर परिभाषित घटनाओं में से कोई भी निम्नलिखित का कारण नहीं होगी :-
- एक- आपूर्ति की हानि,
 - दो- प्रणाली बारंबारता का विनिर्दिष्ट सीमाओं के नीचे या ऊपर की दीर्घ संचालन,
 - तीन- अस्वीकार्य उच्च या निम्न वोल्टेज,
 - चार- प्रणाली अस्थिरता,
 - पाँच- राज्य पारेषण प्रणाली के अंगों की अस्वीकार्य अधिभारिता
- 3.5.4 इसलिये पारेषण प्रणाली में उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता और अतिरिक्तता होनी चाहिये।
- 3.5.5 राज्य प्रेषण इकाई, राज्य पारेषण प्रणाली के क्रियाशील विद्युत प्रतिपूर्ति के लिये नियोजन अध्ययनों को प्रारम्भ करेगा जिसमें राज्य उत्पादन केन्द्रों के स्वीचयार्ड में क्रियाशील विद्युत प्रतिपूर्ति की आवश्यकता सम्मिलित होगी।

3.6 नियोजन आँकड़े

- 3.6.1 प्रणाली अध्ययन करने और दीर्घावधि पारेषण प्रणाली योजना तैयार करने के अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में राज्य पारेषण इकाई (एस0टी0यू0) को समर्थ बनाने के लिये प्रयोगकर्ता विद्युत माँग पारेषण क्षमता और राज्य प्रेषण इकाई को उत्पादन उपलब्धता से संबंधित आवश्यक आँकड़े प्रस्तुत करेगे। सभी प्रयोगकर्ता उन प्रारूपों में आपेक्षित नियोजन आँकड़े /सूचना की व्यवस्था करेंगे जो राज्य प्रेषण इकाई द्वारा निर्धारित किये जायेगे। तथापि, राज्य प्रेषण इकाई, अपनी निजी सुविधा के लिये, उन प्रारूपों को भी अपना सकता है जो यू0पी0ई0जी0सी, 2000 में पहले से विनिर्दिष्ट है।
- 3.6.2 इस ग्रिड कोड की अधिसूचना के दिनोंक से 6 मास के भीतर एक मुस्त आँकड़े सभी प्रयोगकर्ताओं द्वारा राज्य पारेषण इकाई (एस0टी0यू0) को प्रस्तुत किये जायेगे तत्पश्चात

- प्रयोगकर्ता अगले वर्ष के लिये अधिकतम 31 दिसम्बर तक राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) को वार्षिक ऑकड़े प्रस्तुत करेगे।
- 3.6.3 राज्य प्रेषण इकाई प्रयोगकर्ताओं द्वारा चाहे गये ऑकड़ों की आपूर्ति करेगा जिससे कि पारेषण प्रणाली के साथ उनके संयंत्रों का समन्वित नियोजन, डिजाइन और संचालन हो सके।
- 3.7 पारेषण योजना का कार्यान्वयन**
- 3.7.1 पारेषण लाइनों, अन्तर्संयोजित टॉसफारमरों, रियेक्टर्स कैपेसिटर्स और अन्य पारेषण अवयवों के कार्यान्वयन का यथार्थ कार्यक्रम राज्य प्रेषण इकाई द्वारा संबंधित प्रयोगकर्ता से परामर्श करके निर्धारित किया जायेगा। इन कार्यों की समयानुसार पूर्णता, राज्य प्रेषण इकाई द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

अध्याय-4 संयोजन शर्तें

4.1 प्रारम्भ

संयोजन शर्तें कोड न्यूनतम तकनीकी और डिजाइन मानदण्ड को विनिर्दिष्ट करता है जिनका अनुपालन राज्य प्रेषण इकाई /पारेषण लाइसेंसधारी और राज्य पारेषण प्रणाली से जुड़े हुये या संयोजन चाहने वाले सभी प्रयोगकर्ता करेंगे। इस अध्याय में उस प्रक्रिया की भी व्यवस्था है जिससे राज्य प्रेषण इकाई किसी संयोजन की स्थापना सहमति के लिये, पूर्व आपेक्षित के रूप में, उपर्युक्त मानदण्डों का अनुपालन सभी प्रयोगकर्ताओं द्वारा सुनिश्चित करायेगा।

4.2 उद्देश्य

संयोजन शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिये प्रारूपित की गयी है कि :

- क- संयोजन के मूल नियमों का अनुपालन किया जाये और सभी प्रयोगकर्ताओं के साथ भेद-भाव रहित रीति से व्यवहार हो।
- ख- कोई नये या उपांतरित संयोजन जब स्थापित किये जाये, तो विद्यमान प्रयोगकर्ताओं पर न तो प्रतिपूर्ति प्रभाव पड़े और न ही नये संयोजन विद्यमान प्रयोगकर्ताओं के कारण प्रतिकूल हानि उठाये।
- ग- सभी उपस्करों का स्वामित्व और उत्तरदायित्व प्रत्येक स्थल के लिये जहाँ संयोजन किया जाये, अनुसूची में (स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची) स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट हो।

4.3 क्षेत्र

यह संयोजन शर्त कोड राज्य भार प्रेषण केन्द्र और राज्य ऊर्जा ग्रिड से जुड़े हुये और /या उसके विकास में लगे हुये सभी प्रयोगकर्ताओं पर लागू होगा और इसमें वे उत्पादन कंपनियां / पारेषण लाइसेंसधारी /वितरण लाइसेंसधारी सम्मिलित है जो राज्य ऊर्जा प्रणाली के माध्यम से विद्युत उत्पादन /पारेषण /वितरण में लगे है या लगने का इरादा कर रहे है।

4.4 संयोजन के लिये प्रक्रिया

- 4.4.1 राज्य पारेषण प्रणाली से जोड़े जाने के पहले, प्रयोगकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि आपस में तस की गयी आवश्यकताओं के अतिरिक्त यू0पी0ई0जी0सी0 मे दी गयी सभी आवश्यक शर्तों

का अनुपालन किया गया है। कोई प्रयोगकर्ता जो कि अन्तःराज्यीय पारेषण प्रणाली से नया या उपांतरित व्यवस्थाओं के साथ संयोजन स्थापित करना चाहता है या अन्तः राज्यीय पारेषण प्रणाली की आस्तियों का उपभोग करना चाहता है निम्नलिखित विवरणों के साथ मानक प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करेगा।

एक— प्रस्तावित संयोजन और /या रूपान्तरण के प्रयोजन को बताने वाली रिपोर्ट, पारेषण लाइसेंसधारी जिसके नेटवर्क में संयोजन प्रस्तावित हैं, संयोजन स्थल, आयोजित किये जाने वाले संयंत्रों का वर्णन या पहले से संयोजित संयंत्रों में रूपान्तरण और प्रस्तावित संयोजन के लाभार्थी।

दो— वचनबद्धता की भावी अवस्थापना इस ग्रिड कोड, भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 37 के अधीन बनायी गयी भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के उपबंधों का जो कि इस समय पृवृत्त है और तत्पश्चात अधिनियम की धारा 53 के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमावली और विभिन्न मानकों जैसे कि ग्रिड मानक और विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिये तकनीकी मानक और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड से संयोजन का अनुपालन करेगा।

तीन— निर्माण अनुसूची और लक्ष्य पूर्णता दिनांक

चार— आर्क भट्टियाँ रोलिंग मिल्स आदि जैसे विशेष भारों के लिये समय के साथ यथार्थ और क्रियाशील विद्युत भार और हार्मोनिक स्तर।

4.4.2 नये संयोजन/विद्यमान संयोजन के उपांतरण के लिये सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, राज्य प्रेषण इकाई /पारेषण लाइसेंसधारी, सभी विवरणों की प्राप्ति के दिनांक के तीस दिन के भीतर प्रयोगकर्ता को औपचारिक प्रस्ताव प्रेषित करेगा। राज्य प्रेषण इकाई /पारेषण लाइसेंसधारी के औपचारिक प्रस्ताव में उपर्युक्त सभी जानकारी के साथ ऐसी जानकारियाँ जो आवश्यक हो उपलब्ध होंगी। किसी उपयोगकर्ता द्वारा ग्रिड से जुड़ने हेतु किसी विशिष्ट जानकारी/अध्ययन/ऑकडे के राज्य प्रेषण इकाई/पारेषण लाइसेंसधारी, से मागे जाने पर, राज्य प्रेषण इकाई/पारेषण लाइसेंसधारी उसे उस उस प्रयोगकर्ता को उपलब्ध करायेगा। दिया गया प्रस्ताव आवश्यक सहमति, स्वीकृति और मार्ग के अधिकार के लिये

- अनुमति या इस ग्रिड कोड, विद्युत अधिनियम 2003 और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के अनुसार अन्य आवश्यकताओं को प्राप्त करने के अधीन (निर्भर) होगा।
- 4.4.3 कोई प्रयोगकर्ता जिसके विस्तार/संयोजन के लिये यदि एस0टी0यू0/पारेषण लाइसेंसधारी को किसी सहमति, अनुमोदन और मार्ग का अधिकार प्राप्त करने या इस ग्रिड कोड में उल्लिखित किसी अन्य अपेक्षा के अनुपालन की आवश्यकता होगी, अधोलिखित करेगा,
- आवश्यक सहायता, समर्थनकारी सूचना या साक्ष्य की व्यवस्था करेगा, और
 - ऐसे साक्ष्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा जिनके लिये राज्य प्रेषण इकाई/पारेषण लाइसेंसधारी तर्कसंगत रूप से अनुरोध करे।
- 4.4.4 प्रस्तावों आवेदक के प्रस्ताव के कारण आवश्यक पारेषण प्रणाली के विस्तार या सुदृढीकरण के लिये और /या आपूर्ति प्रणाली के लिये आपेक्षित किसी निर्माण विनिर्दिष्ट करेगा और उसको ध्यान में रखेगा।
- 4.4.5 साविधिक अनापत्तियाँ आदि, जहाँ आवश्यक हो, को प्राप्त करने के लिये आपेक्षित समय को भी ध्यान में रखते हुए निर्माण की पूर्णता के लिये अनुमानित समय प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट किया जायेगा। विद्यमान संयोजनों के रूपान्तर संबंधित प्रस्तावों हेतु, प्रस्ताव में विद्यमान संयोजन अनुबंध के, यदि कोई हो, की शर्तों को ध्यान में रखकर दिया जायेगा।
- 4.4.6 यदि प्रस्तावित विकास की जटिलता की पृकृति इस प्रकार की है कि प्रस्ताव देने के लिये विहित समय सीमा को पर्याप्त न समझी जाये, तो राज्य प्रेषण इकाई/पारेषण लाइसेंसधारी विहित समय सीमा के भीतर प्रारम्भिक प्रस्ताव देगा जिसमें मुद्दों के अधिक विस्तृत विश्लेषण के लिये आपेक्षित अग्रतर सीमा इंगित होगी:
- क— प्रारम्भिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रयोगकर्ता यह इंगित करेगा कि क्या लाइसेंसधारी को बढी हुयी समय सीमा के भीतर अन्तिम प्रस्ताव के लिये अग्रतर कार्यवाही करनी चाहिये,
- ख— राज्य प्रेषण इकाई/पारेषण लाइसेंसधारी प्रयोगकर्ता से अपेक्षा कर सकता है कि वह इस अवस्था में पर अर्थात् सामान्य समय सीमा के पूर्व नियोजन ऑकड़ों में से कुछ या सभी प्रस्तुत करें।

- 4.4.7 सभी प्रस्ताव (प्रारम्भिक प्रस्तावों से भिन्न), जिसमें पुनारक्षित प्रस्ताव सम्मिलित है, प्रस्तावों के जारी होने के दिनांक से 120 दिन (एक सौ बीस दिन) तक वैध रहेंगे। पारेषण लाइसेंसधारी, यदि किसी प्रयोगकर्ता द्वारा पूर्व में दिये गये आँकड़ों में परिवर्तन के कारण आवश्यक हो तो प्रयोगकर्ता के अनुरोध पर पुनरिक्षित प्रस्ताव देगा।
- 4.4.8 राज्य प्रेषण इकाई/पारेषण लाइसेंसधारी प्रयोगकर्ता के साथ हुये संयोजन अनुबन्ध की एक प्रति राज्य प्रेषण इकाई, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और आयोग को अग्रसारित करेगा।
- 4.4.9 प्रस्ताव के अवैध होने या आवेदक द्वारा अस्वीकार करने की स्थिति में, राज्य प्रेषण इकाई/पारेषण लाइसेंसधारी से यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह प्रस्ताव पत्र के दिनांक से बारह मास के भीतर उसी प्रयोगकर्ता के किसी और आवेदन पर विचार करे जब तक वह मूल आवेदन से ठोस रूप में भिन्न न हो।
- 4.4.10 प्रयोगकर्ता प्रस्ताव की स्वीकृति से तीस दिन के भीतर या ऐसी अधिक अवधि के भीतर, जिसके लिये राज्य प्रेषण इकाई/पारेषण लाइसेंसधारी किसी विशिष्ट मामले में सहमत हो राज्य प्रेषण इकाई/पारेषण लाइसेंसधारी को सुसंगत नियोजन आँकड़े प्रस्तुत करेगा।
- 4.4.11 राज्य प्रेषण इकाई/पारेषण लाइसेंसधारी निम्नलिखित शर्तों पर पारेषण प्रणाली से संयोजन /या उसके प्रयोग के आवेदन को निरस्त कर सकता है:—
- क— यदि ऐसे प्रस्तावित संयोजन से पारेषण लाइसेंस/ग्रिड कोड/आई0ई0जी0सी0 /ग्रिड मानको और तकनीकी मानको के, जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत अधिनियम 2003, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 जहाँ तक विद्युत अधिनियम 2003 से असंगत नहीं है, या नियोजन मानदण्ड/किसी प्रसंविदा/दस्तावेज /विनियमावली के किसी उपबंध के प्रतिकूल न हो, जिससे राज्य प्रेषण इकाई /पारेषण लाइसेंसधारी बंधा है, या
- ख— यदि आवेदक ऊपर खण्ड 4.4.1 के अनुसार वचनवद्धता प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
- 4.4.12 राज्य प्रेषण इकाई /पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा आवेदन के निरस्तीकरण के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में, प्रयोगकर्ता/पारेषण लाइसेंसधारी आयोग में आ सकते हैं।

4.5 संयोजन अनुबंध

4.5.1 राज्य पारेषण प्रणाली से संयोजित या संयोजन चाहने वाले सभी प्रयोगकर्ता राज्य प्रेषण इकाई /पारेषण लाइसेंसधारी के साथ संयोजन अनुबंध करेंगे।

तथापि, विद्यमान संयोजनों के संबंध में एक वर्ष की छूट अनुमन्य है, जिससे वर्तमान व्यवस्था अंतरिम रूप में जारी रहे। संयोजन शर्तों के संबंध में पुनः वार्ता की प्रक्रिया इस एक वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण की जायेगी। यदि यह निर्धारित किया जाये कि संयोजन शर्तों का अनुपालन में और विलम्ब होगा, आयोग अग्रतर छूट पर विचार कर सकता है जिसके लिये राज्य प्रेषण इकाई की संस्तुतियों/टीका-टिप्पणी के साथ संबंधित प्रयोगकर्ता द्वारा याचिका दाखिल की जानी होगी। उपांतरण का मूल्य, यदि कोई हो, संबंधित प्रयोगकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

4.5.2 संयोजन अनुबंधन में, जैसी कि उसके निबंधन और शर्तों के अन्तर्गत उचित हो (लेकिन उस तक ही सीमित नहीं) निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

क- ग्रिड कोड के उपबंधों का अनुपालन करने के लिये दोनों पक्षकारों से अपेक्षा वाली शर्तें।

ख- संयोजनों, तकनीकी अपेक्षाएँ और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं का विवरण।

ग- प्रणाली, ऑकडे संचार, आर0टी0यू0 आदि के आवश्यक विस्तार के कारण उत्पन्न किसी पूँजी व्यय का विवरण और उसका संबंधित पक्षकारों में पृथक्करण।

घ- संयोजित किये जाने वाले उपस्कर और संयंत्र का विवरण।

ड- सुरक्षा और टेलीमीटरी के संबंध में सामान्य दर्शन, दिशा निर्देश आदि।

च- 'स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची' जिसमें संयंत्र और साधित्र के स्वामित्व, नियंत्रण, संचालन और अनुरक्षण और व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में संयोजन स्थलों पर उत्तरदायित्व के बटवारे का विवरण होगा।

टिप्पणी- केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग निकट भविष्य में आदर्श संयोजन अनुबंध को विनिर्दिष्ट करेगा। राज्य प्रेषण इकाई राज्य वशिष्ट परिवर्तनों के साथ उसे अपना सकता है या आयोग के अनुमोदन के लिये इस कोड के अनुकूल पृथक् से संयोजन अनुबंध प्रारूप का प्रस्ताव कर सकता है।

4.6 राज्य पारेषण प्रणाली पैरामीटर विभेद

क- सामान्य

विद्युत प्रणाली के अन्तर्गत, प्रणाली बारंबारता और वोल्टेज के तत्कालिक मान अपने सामान्य मानों से परिवर्तित होते रहते हैं। सभी प्रयोगकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि एस0टी0एस0 से/ को सेवा की अपेक्षा वाले संयंत्र और साधित्र इस डिजाइन और निर्माण के हो कि ऐसे परिवर्तन से उनके संतोषजनक संचालन में बाधा न पड़े।

ख- बारंबारता परिवर्तन

प्रणाली की रेटेड बारम्बारता 50.0 हर्टज होगी और उसे सामान्य रूप से प्राधिकरण द्वारा बनाई गयी विनियमावली /मानको निर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार नियंत्रित किया जायेगा।

ग- वोल्टेज परिवर्तन

एक- वोल्टेज का परिवर्तन प्राधिकरण द्वारा बनाई गयी विनियमावली/मानको में विनिर्दिष्ट वोल्टेज रेंज से अधिक नहीं होगा।

दो- उप-पारेषण और वितरण में लगे हुये अभिकरण जब संयोजित हो, क्रियाशील विद्युत प्रतिपूर्ति के लिये राज्य पारेषण प्रणाली पर निर्भर नहीं होंगे। अभिकरण अनुमान लगायेंगे और अपने पारेषण और वितरण नेटवर्क में अपेक्षित क्रियाशील विद्युत प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करेंगे जिससे उसकी पूर्ण क्रियाशील विद्युत आवश्यकता की पूर्ति हो जाये।

4.7 संयोजन बिन्दुओं पर उपस्कर

क- उपकेन्द्र उपस्कर

एक- सभी ई0एच0वी0 उपकेन्द्र उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो/आई0ई0सी0/प्रचलित प्रथा कोड का अनुपालन करें।

दो- सभी उपकरणों की डिजाइन, निर्माण परीक्षण और प्रमाणन, आई0ई0सी0/बी0आई0एस0 मानको में निर्दिष्ट गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुसार होगा।

तीन- प्रयोगकर्ता और एस0टी0एस0 के मध्य प्रत्येक संयोजन, एक सर्किट ब्रेकर द्वारा नियन्त्रित होगा , जो कि संयोजन बिन्दु पर, राज्य प्रेक्षण इकाई द्वारा संयोजन अनुबंध में निर्दिष्ट शार्ट सर्किट करंट के तोडने में सक्षम हो ।

ख- दोष निवारण समय

एक- प्राथमिक सुरक्षा प्रणाली ऐसी होगी कि, राज्य पारेषण प्रणाली से जुडे हुये सभी उपकरणो/लाइनों का, चाहे वे प्रयोगकर्ता या राज्य प्रेक्षण इकाई /पारेषण लाइसेंसधारी के हों, दोष निवारण समय निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :

क- 800 किलो वोल्ट और 400 किलो वोल्ट के लिये 100 मिली सेकेन्ड,

ख- 220 किलो वोल्ट और 132 किलो वोल्ट के लिये 160 मिली सेकेन्ड

दो- ऊपरोक्त दोष निवारण समयावधि में प्राथमिक सुरक्षा प्रणाली द्वारा दोषयुक्त अंग को पृथक न कर पाने की स्थिति के लिये बैकअप सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी। यदि कोई उत्पादन संयंत्र राज्य पारेषण प्रणाली से सीधे जुडा होगा, तो इसमें व्यवधानों का प्रतिरोध करने की क्षमता होगी, जब तक कि राज्य पारेषण प्रणाली की ओर से बैकअप सुरक्षा द्वारा दोष को दूर न कर दिया जाये।

ग- सुरक्षा नियोजन

एक- राज्य प्रेक्षण इकाई के समन्वय से सभी प्रयोगकर्ताओं के द्वारा सुरक्षा प्रणालियों की व्यवस्था किया जाना अपेक्षित है। किसी युक्ति की स्थापना की स्थिति में जिसमें नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा रिलेज/योजना के उपान्तर/प्रतिस्थापना की आवश्यकता हो, नेटवर्क के भाग का स्वामी ऐसे उपॉतर/प्रतिस्थापना को पूर्ण करेगा।

दो- सुरक्षा प्रणाली से दोषपूर्ण उपकरणों से पृथक करना और ऑंतरिक /बाहरी सभी प्रकार के दोषों के विरुद्ध प्रणाली के अन्य घटकों की विनिर्दिष्ट दोष

निवारण समय के भीतर सुरक्षा विश्वसनीयता, चयनात्मक और संवेदनशीलता के साथ करना अपेक्षित है।

तीन- राज्य पारेषण प्रणाली से संयोजित सभी प्रयोगकर्ता संयोजन अनुबंध में यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा प्रणालियों की व्यवस्था करेंगे।

चार- रिले सेटिंग समन्वय क्षेत्रीय ऊर्जा समिति द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर किया जायेगा। क्षेत्रीय ऊर्जा समिति महत्वपूर्ण स्थानों को भी चिन्हित करेंगे जहाँ बसबार सुरक्षा व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।

4.8 उत्पादन इकाइयों और विद्युत स्टेशन

4.8.1 निर्माता द्वारा विनिर्दिष्ट डिजाइन सीमाओं के अधीन रहते हुये ऊपर खण्ड 4.6 में इंगित प्रणाली बारम्बारता और वोल्टेज परिवर्तन आयाम के भीतर कोई उत्पादन संयंत्र अपने सामान्य रेटेड सक्रिय/क्रियाशील उत्पादन की लगातार आपूर्ति करने में समर्थ होगा।

4.8.2 उत्पादन संयंत्रों में संयोजन अनुबंध में यथा प्रस्तावित ए0वी0आर0 और सुरक्षात्मक एवं संरक्षात्मक युक्तियों की व्यवस्था की जायेगी।

4.8.3 प्रत्येक उत्पादन इकाई टरबाइन गति नियंत्रक से युक्त होगा जिसका कुल उतार चढाव 3 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के भीतर होगा और वह सर्वदा कार्यशील रहेगा।

4.8.4 प्रत्येक उत्पादन इकाई आवृत्ति में गिरावट होने की स्थिति में 5 प्रतिशत की एक साथ वृद्धि करने में समर्थ होगा, जो 105 प्रतिशत एम0सी0 आर तक सीमित होगा। पूर्ववर्ती मेगावाट स्तर तक वापस आना (यदि बढ़ा हुआ उत्पादन स्तर बनाये नहीं रखा जा सकता) 1 प्रति मिनट से अधिक नहीं होगा।

4.8.5 किसी भी उत्पादन इकाई को एस0एल0डी0सी0 से आवश्यक अनुदेश के बिना राज्य विद्युत ग्रिड के सिन्क्रोनाइज्ड नहीं किया जायेगा।

4.9 क्रियाशील विद्युत प्रतिपूर्ति

4.9.1 क्रियाशील विद्युत प्रतिपूर्ति और/या अन्य सुविधायें पारेषण लाइसेंसधारी /वितरणलाइसेंसधारी द्वारा व्यवस्थित की जानी चाहिये जहाँ तक हो भार बिन्दुओं के समीप होंनी चाहिये जिससे

- राज्य पारेषण प्रणाली को/से क्रियाशील विद्युत के विनियम की आवश्यकता से बचा जा सकता है और विनिर्दिष्ट रेंज के भीतर राज्य पारेषण प्रणाली वोल्टेज का बनाया रखा जा सके।
- 4.9.2 संयोजन अनुबंधों में यथा दी हुयी सीमाओं के भीतर अस्थायी रूप से अधिक वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिये लाइन रियेक्टर्स की व्यवस्था की जायेगी।
- 4.9.3 प्रयोगकर्ता द्वारा व्यवस्था की जाने वाले अतिरिक्त क्रियाशील प्रतिपूर्ति का कार्यान्वयन करने के लिये संयोजन अनुबंध में राज्य प्रेषण इकाई द्वारा इंगित किया जायेगा।

4.10 डाटा और संचार सुविधायें

- 4.10.1 विश्वसनीय और दक्ष वार्ता और डाटा संचार प्रणाली की व्यवस्था, आवश्यक संचार और ऑकडा विनियम, और सामान्य और असामान्य शर्तों के स्थिति एस0एल0डी0सी0 द्वारा ग्रिड के पर्यवेक्षण/नियंत्रण को सुकर बनाने के लिये की जायेगी। सभी प्रयोगकर्ता इन्टरफेस अपेक्षाओं और एस0एल0डी0सी0/आर0एल0डी0सी0 को उपलब्ध कराये गये अन्य दिशा निर्देशों के अनुसार विद्युत प्रवाह, वोल्टेज और स्विच /ट्रॉसफारमर टैप्स आदि के स्तर जैसे टेलीमीटर विद्युत प्रणाली पैरामीटर से प्रणाली को युक्त बनायेगे। यथा स्थिति, एस0एल0डी0सी0/आर0एल0डी0सी0 को डाटा अनुकरण को सुकर बनाने के लिये सहयुक्त संचार प्रणाली की स्थापना भी संबंधित प्रयोगकर्ता द्वारा की जायेगी जैसा कि संयोजन अनुबंध में राज्य पारेषण इकाई (एस0टी0यू0) द्वारा विनिर्दिष्ट है। राज्य पारेषण इकाई (एस0टी0यू0) के साथ समन्वय करके सभी प्रयोगकर्ता अपनी-अपनी सीमा और एस0एल0डी0 सी0 की सीमा में संयोजन अनुबंध में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे।

4.11 प्रणाली रिकार्डिंग उपकरण

- 4.11.1 डाटा अर्जन प्रणाली/व्यवधान रिकार्डर/इविन्ट लागर/दोष ज्ञापक (जिसमें समय निष्क्रमण उपस्कर सम्मिलित है) जैसे रिकार्ड करने वाले उपकरणों की प्रणाली के गतिज संपादन को रिकार्ड करने के लिये एस0टी0एस0 में व्यवस्था की जायेगी। सहमत समय अनुसूची के

अनुसार संयोजन अनुबंध में यथा विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षित रिकार्ड करने वाले उपकरणों की व्यवस्था प्रयोगकर्ता करेंगे।

4.12 चालन संबंधी सुरक्षा के लिये उत्तरदायित्व

एस0टी0यू0/पारेषण लाइसेंसधारी और संबंधित प्रयोगकर्ता प्रत्येक संयोजन बिन्दु के लिये स्थल उत्तरदायित्व अनुसूचियों में यथा इंगित सुरक्षा के लिये उत्तरदायी होंगे।

क- स्थल उत्तर दायित्व अनुसूची

एक- स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची एस0टी0यू0/पारेषण लाइसेंसधारी और प्रयोगकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जायेगी जिसमें सुरक्षा उत्तरदायित्वों को सम्मिलित करते हुये परियोजना या संयोजन के निष्पादन के पूर्व प्रत्येक के स्वामित्व उत्तरदायित्व का विवरण होगा।

एस0टी0एस0 से संयोजन के लिये, सुसंगत संयोजन अनुबंध के अनुरक्षण में एस0टी0यू0/पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा अनुसूची तैयारी जायेगी जो संयोजन बिन्दु पर संयंत्र और साधित्र की प्रत्येक मद के बारे में निम्नप्रकार बतायेगे:

- संयंत्र /साधित्र का स्वामित्व
- संयंत्र/साधित्र के नियंत्रण का उत्तरदायित्व
- संयंत्र/साधित्र के संचालन का उत्तरदायित्व
- संयंत्र/साधित्र के संरक्षण का उत्तरदायित्व
- संयोजन बिन्दु पर किसी व्यक्ति की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिये उत्तरदायित्व

दो- एस0टी0एस0 से संयोजित या संयोजन की योजना बनाने वाले सभी प्रयोगकर्ता आर0टी0यू0 और अन्य संचार उपकरण की, जैसा एस0एल0डी0सी0 द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, कम से कम एस0टी0एस0 से संयोजित किये जा रहे उत्पादन केन्द्रों या उपकेन्द्रों या लाइनों व्यवसायिक प्रचालन से पूर्व, व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

तीन- स्थल उत्तरदायित्वा अनुसूचियों की तैयारी में प्रयोग की जाने वाले प्ररूपों, सिद्धान्तों और मूल प्रक्रियाओं का निर्माण राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) द्वारा किया जायेगा और एस0टी0एस0 से संयोजन या विद्यमान संयोजन का उर्पंतरण चाहने वाले प्रत्येक प्रयोगकर्ता को दिया जायेगा।

चार- एस0टी0यू0/पारेषण लाइसेंसधारी और प्रयोगकर्ता प्रत्येक संयोजन बिन्दु के लिये स्थल उत्तरदायित्व अनुसूची में यथा इंगित सुरक्षा के लिये उत्तरदायी।

ख- एकल रेखा आरेखण

एक- एकल रेखा आरेखण राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) से संयोजित प्रयोग कर्ताओं प्रत्येक संयोजन बिन्दु के लिये एस0एल0डी सी0 को प्रस्तुत किया जायेगा। इन आरेखणों में सी0 एच0वी0 संयोजित उपकरण और सभी बाहरी परिपथों के संयोजन और समाविष्टि संख्या, नामकरण और लेबल लगाना आदि सम्मिलित होगा। आरेखण का आशय मानचित्र और परिपथ संयोजन, रेटिंग, संख्या और एच0वी0 साधित्र और संबंधित संयंत्र का नामकरण के ठीक अभिलेख की व्यवस्था करना।

दो- जब कभी किसी उपकरण का परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है, तो संबंधित प्रयोगकर्ता आवश्यक परिवर्तनों की सूचना राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) और सभी संबंधित को देगा। जब परिवर्तनों को कार्यान्वित किया जाये, तो पुनरीक्षित एकल लाइन आरेखण प्रयोगकर्ता द्वारा एस0एल0डी0सी0/राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) को परिचालित किया जायेगा।

ग- स्थल का सामान्य परिचय

एक- स्थल का सामान्य आरेख प्रत्येक संयोजन बिन्दु के लिये राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) द्वारा तैयार किया जायेगा और इसमें स्थल मानचित्र, विद्युतीय मानचित्र, संरक्षा और सामान्य सेवा आरेख का विवरण सम्मिलित होगा।

दो- प्रत्येक संयोजन बिन्दु पर प्रयोगकर्ता और राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) /पारेषण लाइसेंसधारी के भाग के लिये विस्तृत आरेख व्यक्तिशः तैयार किया जायेगा और प्रतियाँ दूसरे पक्ष को सौपी जायेगी।

तीन- यदि आरेख में किसी परिवर्तन को आवश्यक पाया जाये तो विवरण दूसरे पक्ष को यथा संभव शीघ्र दिये जायेगे।

4.13 स्थल उपगम, स्थल संचालन संबंधी क्रियाकलापों और अनुरक्षण मानको के लिये प्रक्रिया।

4.13.1 संयोजन अनुबंध, स्थल उपगम, स्थल संचालन संबंधी क्रियाकलापों के लिये आवश्यक प्रक्रिया को इंगित करेगा। और एस0टी0यू0 / प्रयोगकर्ता के परिसर और इसके विपरीत स्थिति होने पर राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) /पारेषण लाइसेंसधारी के उपकरणों के लिये अनुरक्षण मानको के लिये आवश्यक किसी प्रक्रिया के लिये भी इंगित करेगा।

4.14 राज्य विद्युत ग्रिड की परिसंपत्तियों की अनुसूची

4.14.1 राज्य प्रेक्षण इकाई प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक यू0पी0ई0आर0सी0 को पारेषण परिसंपत्तियों की एक अनुसूची प्रस्तुत करेगा जो उस वर्ष 31 मार्च को राज्य विद्युत ग्रिड का गठन करती है और उस स्वामित्व को इंगित करती है जिस पर एस0एल0डी0सी0 संचालन संबंधी नियंत्रण और उत्तरदायित्व रखता है।

अध्याय – 5 राज्य ग्रिड कोड के लिये संचालन संबंधी कोड

5.1 संचालन संबंधी नीति

- क- राज्य विद्युत ग्रिड के एकीकृत संचालन का प्राथमिक लक्ष्य राज्य के भौगोलिक क्षेत्र पर फैले हुये सम्पूर्ण विद्युत ऊर्जा तन्त्र की समग्र संचालन मितव्ययता और विश्वसनीयता में वृद्धि करना है। भागीदारी करने वाले सेवा प्रदाताओं को इसलिये एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिये और प्रत्येक समय राज्य विद्युत ग्रिड के संतोषजनक और लाभकारी संचालन के लिये स्वस्थ सेवा प्रदाता प्रथा को अपनाना चाहिये।
- ख- राज्य विद्युत ग्रिड के समग्र संचालन का पर्यवेक्षण राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जायेगा। तदनुसार सभी प्रयोगकर्ताओं से अपेक्षा है कि वे राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस0एल0डी0सी0) द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करें।
- ग- एकीकृत संचालन से अधिकतम लाभ लेने के लिये और दायित्वों की समान भागीदारी के लिये सभी प्रयोगकर्ता इस संचालन नियोजन और प्रणाली सुरक्षा कोड का अनुपालन करेंगे।
- घ- राज्य विद्युत ग्रिड के लिये विस्तृत ऑंतरिक संचालन प्रक्रियाओं के एक समुच्चय का एस0एल0डी0सी0 द्वारा, सभी प्रयोगकर्ताओं से परामर्श करके, विकास किया जायेगा जो कि यू0पी0 ई0जी0सी0 और आई0ई0जी0सी0 के उपबंधों के अनुकूल होगा जिससे ग्रिड कोड और आई0 ई0 जी0 सी0 की अपेक्षाओं के अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- ड.- राज्य विद्युत ग्रिड के दक्ष और सुरक्षित संचालन के लिये एस0एल0डी0सी0, ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों , 132 किलो वोल्ट और उससे ऊपर के सब स्टेशन के नियन्त्रण कक्ष और पारेषण लाइसेसधारी/प्रयोगकर्ताओं द्वारा स्थापित कोई अन्य नियन्त्रण केन्द्रों की देख-भाल चौबीस घंटे अर्ह और पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा की जायेगी।

5.2 प्रणाली सुरक्षा पहल

- 5.2.1 सभी प्रयोगकर्ता अपनी-अपनी विद्युत प्रणालियों और विद्युत उत्पादन केन्द्रों को हर समय एक दूसरे के साथ संकालित रूप से संचालन करने का प्रयास करेंगे जिससे राज्य के भीतर सम्पूर्ण ऊर्जा प्रणाली एक संकालित प्रणाली के रूप में संचालित हो।
- 5.2.2 राज्य विद्युत ग्रिड के किसी भी भाग को जानबूझकर राज्य विद्युत ग्रिड के शेष भाग से पृथक नहीं किया जायेगा, सिवाय (1) आकस्मिकता और ऐसी दशाओं में जिनमें ऐसा पृथक्करण सम्पूर्ण ग्रिड को बंद होने से रोकेगा और/या विद्युत आपूर्ति की शीघ्र वापसी बहाल करने में सहयोग देगा, (दो) जब किसी कीमती उपकरण के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो और ऐसा पृथक्करण इसे रोक दे, (तीन) जब ऐसे पृथक्करण के लिये एस0एल0डी0सी0 द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट किया जाये। ग्रिड के पूर्ण संकालन की बहाली, जैसे ही परिस्थितियाँ इसकी पुनः अनुमति दें, करनी चाहिये। बहाली प्रक्रिया का पर्यवेक्षण एस0एल0डी0सी0 द्वारा, उसके द्वारा पृथक रूप से बनाई गई संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
- 5.2.3 राज्य विद्युत ग्रिड का कोई महत्वपूर्ण घटक किसी भी समय जानबूझकर न खोला जायेगा न सेवा से हटाया जायेगा सिवाय उसके जब एस0एल0डी0सी0 द्वारा विशिष्ट रूप से निर्देशित किया गया हो या एस0एल0डी0सी0 की विशिष्ट और पूर्व अनापत्ति हो। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रिड घटकों की सूची, जिन पर उपर्युक्त शर्तें पृवृत्त होती हैं, राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) और प्रयोगकर्ताओं के परामर्श से एस0एल0डी0सी0 द्वारा तैयार की जायेगी और एस0एल0डी0सी0, राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) और प्रयोगकर्ताओं के पास उपलब्ध रहेगी। किसी आकस्मिक परिस्थिति में राज्य विद्युत ग्रिड के किसी महत्वपूर्ण घटक के खोलने या हटाने की स्थिति में उसकी संसूचना ऐसे होने के पश्चात शीघ्रतम संभव समय में एस0एल0डी0सी0 को दी जायेगी।
- 5.2.4 राज्य विद्युत ग्रिड के ऊपरी घटकों में से किसी का कोई व्यवधान चाहे मानवीय या स्वचालित हो, संबंधित अभिकरण द्वारा यथा संभव शीघ्र, जैसे कि घटना से दस मिनट के भीतर एस0एल0डी0सी0 को ठीक-ठीक सूचित किया जायेगा। कारण (जिस सीमा तक निर्धारित

- हुआ हो) और पुनः बहाली के समय को भी सूचित किया जायेगा। घटक की पुनः बहाली के लिये सभी युक्तिसंगत प्रयास यथा संभव शीघ्र किये जायेगे।
- 5.2.5 सभी उत्पादन इकाइयों, स्वामित्व, प्रकार और आकार पर ध्यान दिये बिना, जो ग्रिड के साथ संकालित है, के नियंत्रक हर समय सामान्य संचालन में रहेंगे। यदि (50) मेगावाट से ऊपर की किसी उत्पादन इकाई का सामान्य संचालन के दौरान उसके नियंत्रक के बिना संचालित किये जाने की अपेक्षा हो, तो एस0एल0डी0सी0 को तुरन्त ही उसके कारण और ऐसे संचालन की अवधि के बारे में सूचित किया जायेगा। सभी नियंत्रकों में 3 प्रतिशत और 6 प्रतिशत के मध्य का ड्रूप लगा होगा।
- 5.2.6 भार सीमक, स्वचलित टरबाइन रन-अप प्रणाली (ए0टी0आर0एस0), टरबाइन पर्यवेक्षणीय नियंत्रक, समन्वित नियन्त्रण प्रणाली के साथ/में उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग किसी भी प्रकार से सामान्य नियंत्रक के कार्य को दबाने के लिये नहीं किया जायेगा। कोई डैड बैडस और/या समय विलम्बकारी युक्तियों का जानबूझकर प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- 5.2.7 सभी उत्पादन इकाइयों, जो अपनी अधिकतम अनवरत रेटिंग के 100 प्रतिशत पर या तक संचालित हो रहे हैं, एक साथ पाँच प्रतिशत (5 प्रतिशत) के अतिरिक्त भार को सामान्यतया वहन करने में (और किसी प्रकार उन्हें रोका नहीं जायेगा) समर्थ होगी जब प्रणाली आकस्मिकता कारणों से आवृत्ति गिर जाये। अपने अधिकतम अविरत क्षमता (एस0सी0आर0) के 100 प्रतिशत से ऊपर संचालित होने वाली उत्पादन इकाइयों अपने एम0सी0आर0 के 105 प्रतिशत तक जाने में (और उन्हें किसी प्रकार रोका नहीं जायेगा) समर्थ होगी जब अचानक आवृत्ति में गिरावट आये। उपर्युक्त के अनुसार उत्पादन में वृद्धि के पश्चात, कोई उत्पादन इकाई लगभग एक प्रतिशत (1 प्रतिशत) प्रति मिनट की दर पर मूल स्तर पर वापस आ सकती है, यदि बढे हुये स्तर पर अनवरत संचालन बरदास्त करने योग्य नहीं है। उपर्युक्त अपेक्षाओं का अनुपालन न करने वाली पचास (50) मेगावाट आकार से ऊपर की कोई उत्पादन इकाई एस0एल0डी0सी0 से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही संचालन में (राज्य विद्युत ग्रिड के साथ समकर्मित) रखी जायेगी।
- 5.2.8 नियंत्रक की सेटिंग परिवर्तित करने के लिये संस्तुत दर अर्थात् उत्पादन इकाइयों के प्रकार और आकार पर ध्यान दिये बिना, सभी उत्पादन इकाइयों के लिये उत्पादन (उत्पादन स्तर) में

- वृद्धि या ह्रास के लिये अनुपूरक नियंत्रण एक (1.0) प्रति मिनट या निर्माता की सीमाओं के अनुसार होगी। तथापि, यदि आवृत्ति में 49.5 हर्टज से नीचे गिरावट हो, ऑशिक रूप से भारित सभी उत्पादन इकाइयों अपनी क्षमता के अनुसार, तीव्रतर दर पर अतिरिक्त भार को वहन करेंगी।
- 5.2.9 किसी आकस्मिकता के सिवाय, या कीमती उपकरण को सम्भावित क्षति से रोकने के लिये कोई भी एस0एस0जी0एस0 एक सौ (100) मेगावाट से अधिक अपनी उत्पादन इकाई के उत्पादन में एस0एल0डी0सी0 को पूर्व सूचना और उसकी सहमति के बिना अचानक कमी नहीं करेगा, विशिष्टता: जब आवृत्ति में गिरावट हो या 49.00 हर्टज से कम हो। इसी प्रकार, कोई प्रयोगकर्ता एस0एल0डी0सी0 को बिना पूर्व सूचना के और उसकी सहमति के एक सौ मेगावाट (100 मेगावाट) से अधिक अपने भार में अचानक वृद्धि नहीं करेगा।
- 5.2.10 सभी उत्पादन इकाइयों संचालन के दौरान सामान्यतया अपने स्वचलित वोल्टेज नियंत्रक (एवीआरएस) समुचित सेटिंग के साथ प्रयोग करेंगे। विशिष्टतः यदि पचास (50) मेगावाट से ऊपर आकार की किसी उत्पादन इकाई को जो प्रयोग में है, ए0वी0आर0 के बिना संचालित किये जाने की अपेक्षा है, एस0एल0डी0सी0 को कारण और अवधि के बारे में तुरन्त सूचित किया जायेगा और उसकी अनुमति प्राप्त की जायेगी। उत्पादन इकाइयों के ए0वी0 आर0एस0 में विद्युत प्रणाली स्टैबलाइजर्स को जहाँ कही व्यवस्था हो संबंधित उत्पादन इकाई स्वामी द्वारा समय-समय पर राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) द्वारा प्रयोजन के लिये तैयार की गई योजना के अनुसार समुचित रूप से टयून कराया जायेगा। राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) को पी0एस0एस0 की जाँच और अग्रतर ट्यूनिंग कराने की जहाँ आवश्यक समझा जाये, अनुमित होगी।
- 5.2.11 सुरक्षा और रिले सेटिंग्स की व्यवस्था का समन्वय एस0पी0सी0 द्वारा पृथकतः अंतिम रूप दिये जाने वाली योजना के अनुसार संपूर्ण राज्य विद्युत ग्रिड में नियतकालिक रूप से की जायेगी।
- 5.2.12 सभी प्रयोगकर्ता यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेंगे कि ग्रिड की आवृत्ति सर्वदा 49.0–50.5 हर्टज बैंड के भीतर ही रहे, यह वह आवृत्ति की रेंज है जिसके भीतर भाप (स्टीम) टरबाइनों को, जो आई0ई0सी0 विनिर्दिष्टियां के अनुरूप हो अनवरत रूप से सुरक्षा पूर्वक संचालित किया जा सकता है।

5.2.13 वितरण लाइसेंसधारी और थोक उपभोक्ता, एस0पी0सी0 द्वारा पृथक रूप से बनायी गयी योजना के अनुसार, अपनी-अपनी प्रणालियों में आवृत्ति पतन को रोकने के लिये स्वचालित निम्न आवृत्ति और डी0एफ0/डी0टी0 भार क्षय की व्यवस्था करेंगे, ताकि आवृत्ति पतन को रोका जा सके जोकि परिणाम स्वरूप ग्रिड का पूर्ण रूप से बंद / विघटित कर सकता है, और उसके प्रभावशाली प्रयोग को सुनिश्चित करेंगे ताकि आकस्मिकता की स्थिति में उत्पादन इकाइयों के कासकेड ट्रिपिंग को रोका जा सके । सभी प्रयोगकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि निम्न आवृत्ति और डी0एफ0/डी0टी0 भार क्षय/आई लैंडिंग योजनाये सर्वदा कार्य करें। तथापि, अत्यधिक आकस्मिकता की स्थिति में इन रिलेज को एस0एल0डी0सी0 की पूर्व अनुमति से अस्थायी रूप से प्रयोग से बाहर किया जा सकता है।

एस0एल0डी0सी0 इन घटनाक्रमों के बारे में एस0पी0सी0 सचिवालय को सूचित करेगा जब वॉछित भार राहत इन रिलेज के माध्यम से यथार्थ समय संचालन मे प्राप्त न हो। एस0एल0डी0सी0 कम आवृत्ति वाले रिलेज के नियत कालिक निरीक्षण करेगा और निरीक्षण के उचित अभिलेखो का अनुरक्षण करेगा।

5.2.14 सभी प्रयोगकर्ता प्रणाली सुरक्षा योजनाओं (जिसमें अंत- ट्रिपिंग और पश्चगति सम्मिलित है) को चिन्हित करने, ऊर्जा प्रणाली में अवस्थापना और प्रारम्भ को सुकर बनाने मे सहायता करेगे ताकि को वोल्टेज गिरावट और सोपानी पात जैसी परिस्थितियों के विरुद्ध सुरक्षा हो सके ।ऐसी योजनाओं को एस0पी0सी0 द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा और प्रयोग में रखा जायेगा। एस0एल0डी0सी0 को तुरन्त ही सूचित किया जायेगा यदि इनमें से किसी को प्रयोग से बाहर किया जाये।

5.2.15 ग्रिड की ऑशिक /पूर्ण विफलता से संभालने के लिये प्रक्रियाओं का विकास किया जायेगा और धारा 5.8 के अधीन दी गयी अपेक्षाओं के अनुसार नियतकालिक रूप से अद्यावधिक किया जायेगा। इन प्रक्रियाओं का अनुकरण सभी प्रयोगकर्ताओं द्वारा किया जायेगा जिससे अनवरत, विश्वसनीय और तीव्र बहाली सुनिश्चित हो सके।

5.2.16 प्रत्येक प्रयोगकर्ता ऑतरिक रूप से और एस0एल0डी0सी0 /अन्य प्रयोगकर्ताओं के साथ भी पर्याप्त और विश्वसनीय संचार सुविधा की व्यवस्था करेगा जिससे ग्रिड की विश्वसनीयता और सुरक्षा का अनुरक्षण करने के लिये आवश्यक डाटा /सूचना का आदान प्रदान सुनिश्चित हो

सके। जहाँ कहीं संभव हो, महत्वपूर्ण मार्गों पर संचार के लिये अतिरिक्त और वैकल्पिक तरीके का अनुरक्षण किया जायेगा।

- 5.2.17 सभी प्रयोगकर्ता सूचना/ऑकडे किसी ग्रिड व्यवधान/घटना के विश्लेषण के प्रयोजन के लिये एस0एल0डी0सी0को भेजेगें जिसमें व्यवधान रिकार्डर/क्रमिक घटना रिकार्डर परिणाम आदि सम्मिलित होंगे। कोई भी प्रयोगकर्ता ग्रिड की विश्वसनीयता और सुरक्षा के अनुकरण और किसी घटना के विश्लेषण के लिये एस0एल0डी0सी0 द्वारा अपेक्षित किसी डाटा / सूचना को बाधित करेगा।
- 5.2.18 सभी प्रयोगकर्ता यथासंभव प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ग्रिड का वोल्टेज सर्वदा निम्नलिखित संचालन क्षेत्र के भीतर रहे।

| वोल्टेज – (किलो वोल्ट, आर एम एस) | | |
|-----------------------------------|--------|---------|
| सामान्य | अधिकतम | न्यूनतम |
| 400 | 420 | 360 |
| 220 | 245 | 200 |
| 132 | 145 | 120 |

5.3 संचालन संबंधी उद्देश्यों के लिये माँग पूर्वानुमान

5.3.1 प्रारम्भ

- क- इस खण्ड में सक्रिय विद्युत और क्रियाशील विद्युत दोनों के लिये माँग पूर्वानुमान हेतु एस0एल0डी0सी0, राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) और अन्य प्रयोगकर्ताओं की प्रक्रिया/उत्तरदायित्वों का वर्णन है।
- ख- माँग पूर्वानुमान चालू वर्ष के लिये दैनिक /साप्ताहिक /मासिक आधार पर किया जाना है।
- ग- प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी ऐतिहासिक डाटा और मौसम भविष्यवाणी डाटा के आधार पर समय-समय पर अपनी निजी माँग का अनुमान लगायेगा।
- घ- जबकि प्रारम्भ में संचालन संबंधी प्रयोजनों के लिये माँग का पूर्वानुमान दैनिक/साप्ताहिक /मासिक आधार पर किया जाना है, एस0एल0डी0सी0 में उस

ढंग और सुविधाओं का सृजन शीघ्रतम किया जायेगा ताकि दैनिक संचालन संबंधी प्रयोग के लिये आनलाइन पूर्वानुमान सुकर बनाने के लिये ।

5.3.2 उद्देश्य

- क- इस प्रक्रिया का उद्देश्य एस0एल0डी0 सी0 को एक विशिष्ट अवधि में मॉग का पूर्वानुमान लगाने के लिये समर्थ बनाना है।
- ख- मॉग का पूर्वानुमान एस0एल0डी0सी0 को संचालन संबंधी नियोजन प्रयोजनों के लिये प्रणाली अध्ययनों को चलाने में समर्थ बनाने हेतु है।

5.3.3 प्रक्रिया

प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी संचालन संबंधी प्रयोजनों के लिये दैनिक /साप्ताहिक /मासिक /वार्षिक पूर्वानुमान (मेगावाट, एम0वी0आर0, और मेगावाट प्रति घंटा) के लिये प्रक्रिया /ढंग का विकास करेगा। ऑकड़ों के पूर्वानुमान में भार क्षय, विद्युत कटौतियों आदि भी सम्मिलित होंगी। लाइसेंसधारी मॉग पूर्वानुमान के लिये ऐतिहासिक डाटाबेस का भी अनुरक्षण करेगा।

वितरण लाइसेंसधारी प्रत्येक वर्ष अधिकतम 30 नवम्बर तक एस0एल0डी0सी0 को वार्षिक आधार पर अद्यतन दीर्घावधि ऊर्जा और मॉग का पूर्वानुमान यथार्थ डाटा पर आधारित प्रस्तुत करेगा। उक्त मॉग को प्रक्षेपित करने में, वितरण लाइसेंसधारी सर्वप्रथम जो भार पूर्ववर्ती भविष्यवाणी के अनुसार आ गये है, के स्तर का पुनरावलोकन करेगा। वितरण लाइसेंसधारी अग्रतर मूल ऑकडा लेगा (अर्थात पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की यथार्थ ऊर्जा और मॉग अपेक्षा) और इसे पिछले रुझान से संबंधित करेगा।

5.3.4 मॉग प्रबन्धन

5.3.1 प्रारम्भ

यह अनुभाग अपर्याप्त उत्पादन क्षमता की स्थिति में और बाहरी अंतः संयोजनों से विद्युत स्थानान्तरण अनुपलब्ध होने की स्थिति में, जो मॉग को पूरा करे, या ग्रिड के किसी भाग में विफलता या संचालन समस्याओं (जैसे कि आवृत्ति वोल्टेज स्तरों या तापीय अधिक भारों) की

स्थिति में, माँग को सीमित करने के लिये एस0एल0डी0सी0 द्वारा बनाये जाने वाले उपबंधों से संबंधित है ।

5.4.2 माँग प्रबंधन प्रक्रिया

- क— जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है, जब कभी प्रणाली आवृत्ति 49.5 हर्टज से कम हो, सभी प्रयोगकर्ता ग्रिड से शुद्ध विद्युत खिचाव (ड्राल) को अपनी-अपनी ड्राल अनुसूचियों के भीतर सीमित करने के लिये प्रयास करेंगे । जब आवृत्ति में 49.02 हर्टज से नीचे हो, तो राज्य में तुरन्त ही अपेक्षित भार क्षय (पृथक्करण) लागू किया जायेगा ।
- ख— प्रभावी और स्वचलित माँग नियंत्रण हेतु निम्न आवृत्ति रिलेज को एस0टी0यू0/पारेषण लाइसेंसधारी के उपकेन्द्रों पर स्थापित किया जायेगा । विभेदकारी ब्लाक्स की संख्या और आकार का, जिन्हे एक विशिष्ट आवृत्ति पर पृथक करना होगा, की अवधारणा प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी से परामर्श करके चकानुकम आधार पर किया जायेगा ।
- ग— जब कभी प्रभावी ग्रिड प्रबंधन के लिये माँग नियन्त्रण निम्न आवृत्ति रिलेज के माध्यम से नियत समय में संभव न हो सकेगा और ग्रिड के फेल हो जाने का खतरा होगा, एस0एल0डी0सी0 भार के मानविक विच्छेदन के लिये अनुदेश जारी करेगा । वितरण लाइसेंसधारी एस0एल0डी0सी0 द्वारा यथा अनुदेशित भार की मात्रा को शीघ्र ही विच्छेदित कर देंगे ।
- घ— अग्रतर, कतिपय आकस्मिकताओं और /या प्रणाली सुरक्षा को खतरा होने की दशा में एस0एल0डी0सी0 वितरण लाइसेंसधारियों, निर्बाध उपगम उपभोक्ताओं को अपने ड्राल को एक निश्चित मात्रा में कम करने के लिये आवश्यक निर्देश जारी करेगा । ऐसे निर्देशों पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी ।
- ड.— सभी प्रयोगकर्ता ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे वे सामान्य और /या आकस्मिक दशाओं में, एस0एल0डी0सी0 द्वारा यथा अनुदेशित मानविक माँग विच्छेदन में समर्थ हो सके ।

- च- वितरण लाइसेंसधारी एस0एल0डी0सी0 को अग्रिम रूप में भारों के उन अनुमानों को प्रदान करेगे, पृथककरण की व्यवस्थाओं के विवरणों के साथ, जिन्हे जब आपेक्षित हो, डिस्क्रीट ब्लाकों में, एस0एल0डी0सी0 के अनुदेश पर पृथक किया जा सकता है।
- छ- जब कभी उत्पादन में पतन हो या पारेषण प्रणाली में रुकावट हो या बाहरी संयोजन के माध्यम से आयात में कमी हो या कोई अन्य कारण हो, जिसमें लम्बी अवधि के लिये माँग नियन्त्रण की अपेक्षा हो, एस0एल0डी0सी0 द्वारा सुनियोजित मानविक विच्छेदन कार्यान्वित किये जायेगे । यद्यपि, ऐसे मामलों में एस0एल0डी0सी0 एक चक्रानुकूल भार पृथककरण योजना को अपनायेगा जिससे, जहाँ तक व्यवहार्य हो, सभी उपभोक्ताओं के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित हो ।
- ज- अस्वीकार्य वोल्टेज और आवृत्ति स्तरों आदि से निपटने के लिये आपातकालिक मानविक विच्छेदन एस0एल0डी0सी0 द्वारा तब ही कार्यान्वित किया जा सकता है जब उत्पादन की वृहद् हानि हो जिसके परिणामतः उत्पादन और ड्राल में सामन्जस्य न हो या पारेषण प्रणाली में रुकावट हो। एस0एल0डी0सी0 संबंधित ड्राल अनुसूची से ग्रिड से अनवरत अधिक ड्राल के मामलों में सीधे मानविक विच्छेदन के भी निर्देश दे सकता है जिसके कारण राज्य/क्षेत्रीय ग्रिड की आवृत्ति में 49.02 हर्टज के नीचे जाने लगे।
- झ. ग्रिड से प्रयोगकर्ताओं के ड्राल को घटाने के लिये किये गये उपायों को तब तक वापस नहीं लिया जायेगा जब तक आवृत्ति/वोल्टेज निम्नस्तर पर रहे, जब तक कि एस0एल0डी0सी0 द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमत न हो।

5.5 नियत कालिक रिपोर्ट

- 5.5.1 एस0एल0डी0सी0 द्वारा एक साप्ताहिक रिपोर्ट सभी प्रयोगकर्ताओं और एस0पी0सी0 सचिवालय को प्रेषित की जायेगी जो पूर्ववर्ती सप्ताह के लिये राज्य विद्युत ग्रिड के प्रदर्शन को आच्छादित करेगा। ऐसी साप्ताहिक रिपोर्ट एस0एल0डी0सी0 के बेबसाइट पर कम से कम 12 सप्ताह के लिये उपलब्ध होगी। साप्ताहिक रिपोर्ट में अनिवार्यतः निम्नलिखित रहेगा :-

- क. आवृत्ति प्रोफाइल
- ख. चयनित उपकेन्द्रों की वोल्टेज प्रोफाइल
- ग. वृहद उत्पादन और पारेषण कटौतियों
- घ. पारेषण रुकावटे
- ङ. यू0पी0ई0जी0सी0 के अनवरत/महत्वपूर्ण अनुपालन के उदाहारण।

5.5.2 अन्य रिपोर्ट

- क. एस0एल0डी0सी0 एक तिमाही रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें प्रणालीगत बाधाओं, सुरक्षा मानको एवं सेवा की गुणवत्ता की अपेक्षाओं के न पूर्ण होने के कारण, यदि कोई हो, का उल्लेख होगा और इसमें विभिन्न प्रयोगकर्ताओं द्वारा की गयी विभिन्न कार्यवाहियों का विवरण और बाधाओं के लिये उत्तरदायी प्रयोगकर्ता का विवरण भी होगा।
- ख. एस0एल0डी0सी0 राज्य विद्युत ग्रिड के सहज संचालन के हित में एस0पी0सी0 द्वारा यथा वॉछित सूचना/रिपोर्ट की भी व्यवस्था करेगा।

5.6 संचालन सम्पर्क

5.6.1 प्रारम्भ

- क. यह अध्याय संचालन और/या उत्तरी ग्रिड की, जिसमें राज्य विद्युत ग्रिड सम्मिलित है, जिसका निम्नलिखित पर प्रभाव रहा है या हो सकता है, घटनाओं के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान की अपेक्षा की व्यवस्था करता है:
 1. क्षेत्रीय ग्रिड
 2. राज्य विद्युत ग्रिड
 3. प्रयोगकर्ता प्रणाली
- ख. संचालन सम्पर्क कार्य एस0एल0डी0सी0 और राज्यप्रयोग कर्ताओं का अन्तःसंरचनात्मक श्रेणी बद्ध कार्य है जो कि सूचना के कर्मचारी वर्ग तक तीव्र अंतरण को

सुकर बनाने के लिये आवश्यक है। यह अनुकूलतम निर्णय और कार्यवाही करने के लिये आपेक्षित सूचना सहयोग को सहयोजित करता है।

5.6.2 संचालन सम्पर्क संबंधी प्रक्रिया

- क. राज्य विद्युत ग्रिड में संचालन और घटनायें
- राज्य विद्युत ग्रिड पर किसी क्रिया (संचालन) को किये जाने के पूर्व एस0एल0डी0सी0 सभी प्रयोगकर्ताओं को, जिनकी प्रणाली इस क्रिया संबंधी परिणाम का अनुभव कर सकती है या करेगी, किये जाने वाली क्रिया का विवरण देगा। एस0एल0डी0सी0 आर0एल0डी0सी0 को भी सूचित करेगी यदि ऐसा संचालन क्षेत्रीय ग्रिड को प्रभावित करे।
 - राज्य विद्युत ग्रिड पर किसी घटना के तुरन्त बाद, एस0एल0डी0सी0 सभी प्रयोगकर्ताओं को, जिनकी प्रणाली घटना के पश्चात संचालन संबंधी परिणाम अनुभव कर सकती है या करेगी, और वे विवरण देंगी जो घटना में घटित हुआ था लेकिन घटना के कारण नहीं। एस0एल0डी0सी0, आर0एल0डी0सी0 को भी सूचित करेगा यदि ऐसी घटना क्षेत्रीय ग्रिड को प्रभावित करे।
- ख. उपयोगकर्ताओं की प्रणाली में संचालन और घटनायें
- उपयोगकर्ताओं की प्रणाली में किसी क्रिया (संचालन) को किये जाने के पूर्व उपयोगकर्ता एस0एल0डी0सी0 को सूचित करेगा , यदि उसके कारण राज्य विद्युत ग्रिड क्रिया संबंधी परिणाम का अनुभव कर सकती है या करेगी। उपयोगकर्ता एस0एल0डी0सी0 को किये जाने वाली क्रिया का विवरण भी देगा। एस0एल0डी0सी0 आर0एल0डी0सी0 को भी सूचित करेगी यदि ऐसा संचालन क्षेत्रीय ग्रिड को प्रभावित करे।
 - उपयोगकर्ताओं की प्रणाली में किसी घटना के तुरन्त बाद, उपयोगकर्ता एस0एल0डी0सी0 को सूचित करेगा यदि उसके कारण राज्य विद्युत ग्रिड क्रिया संबंधी परिणाम का, घटना के पश्चात, अनुभव कर सकती है या करेगी और वे विवरण देगा

जो घटना में घटित हुआ था। एस0एल0डी0सी0, आर0एल0डी0सी0 को भी सूचित करेगा यदि ऐसी घटना क्षेत्रीय ग्रिड को प्रभावित करे।

5.7 कटौती (आउटेज) नियोजन

5.7.1 प्रारम्भ

- क. यह अनुभाग राज्य विद्युत प्रणाली के संचालन की शर्तों और उत्पादन एवं माँग के संतुलन की दृष्टि से समन्वित और अनुकूलतम रीति से राज्य विद्युत ग्रिड के अवयवों के लिये कटौती (आउटेज) अनुसूची की तैयारी की प्रक्रिया का उल्लेख करता है (इन शर्तों के अधीन आच्छादित ग्रिड के घटकों की सूची राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) और सभी अन्य प्रयोगकर्ताओं से परामर्श करके एस0एल0डी0सी0 द्वारा तैयार की जायेगी)
- ख. सुरक्षा मानको को प्राप्त करने के लिये कटौतियों (आउटेज) की स्थिति को ध्यान में रखने के पश्चात पर्याप्त उत्पादन क्षमता और पारेषण प्रणाली होनी चाहिये।
- ग. राज्य की वार्षिक कटौती (आउटेज) योजना को वित्तीय वर्ष के लिये एस0पी0सी0 द्वारा अग्रिम रूप से तैयार किया जायेगा और वर्ष के दौरान त्रैमासिक और मासिक आधार पर पुनरीक्षित किया जायेगा।

5.7.2 उद्देश्य

- क. सभी उपलब्ध स्रोतों पर विचार करते हुये और पारेषण सीमाओं और सिंचाई संबंधी अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुये राज्य विद्युत ग्रिड के लिये समन्वित उत्पादन कटौती (आउटेज) कार्यक्रम प्रस्तुत करना।
- ख. प्रणाली में विद्युत माँग और ऊर्जा के आधिक्य या घाटों, यदि कोई हो, को न्यूनतम करना और सुरक्षा मानको के भीतर प्रणाली संचालन में सहायता करना।

ग. ग्रिड संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पारेषण अनुपलब्धता की अलुकूलतम व्यवस्था हेतु, लेकिन उत्पादन कटौती (आउटेज) अनुसूची, वितरण प्रणाली और पारेषण प्रणाली की अनुपलब्धता को ध्यान रखते हुये और प्रणाली सुरक्षा मानको का अनुरक्षण करते हुये ।

5.73 क्षेत्र

यह अनुभाग सभी प्रयोगकर्ताओं के लिये प्रयोज्य है जिसमें एस0एल0डी0सी0, एस0टी0यू0, एस0एस0जी0एस0 और राज्य विद्युत ग्रिड से संयोजित सभी अन्य प्रयोगकर्ता सम्मिलित है।

5.7.4 कटौती (आउटेज) नियोजन प्रक्रिया

क. एस0पी0सी सभी प्रयोगकर्ताओं द्वारा दी गयी कटौती (आउटेज) अनुसूची के विश्लेषण के लिये, वार्षिक कटौती अनुसूची का प्रारूप और वार्षिक कटौती (आउटेज)योजना को तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा, जो कि क्षेत्रीय वार्षिक कटौती (आउटेज) योजना के अनुसार होगा जिसे आर0पी0सी0 द्वारा अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 15 फरवरी तक अंतिम रूप दिया गया हो।

ख। राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) सहित सभी उत्पादन कंपनियों और लाइसेंसधारी अपना प्रस्तावित अनुसूचित कटौती (आउटेज) कार्यक्रम, जिसमें इकाइयों/लाइनें/उपकेन्द्र /आई0सी0टी0एस0 आदि, कटौती के प्रारम्भ का दिनांक और कटौती की अवधि लिखित इंगित होगी, एस0पी0सी0 सचिवालय, प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर तक अगले वित्तीय वर्ष के लिये प्रेषित करेंगे। तथापि, वितरण लाइसेंसधारियों से यह अपेक्षा नहीं है कि वे उन कटौतियों (आउटेज) को सूचित करें जिनसे आपूर्ति के उनके क्षेत्र में 20 मेगावाट माँग से कम भार हानि हो सकती हो।

ग. एस0पी0सी0 उत्पादन कंपनियों और लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत ऑकड़ों के आधार पर उपभोक्ताओं के व्यवधान को न्यूनतम करते हुये एक अनुकूलतम कटौती (आउटेज) योजना का प्रारूप तैयार करेगा। एस0पी0सी0 अनुसूचित कटौती (आउटेज) योजना के प्रारूप को प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर तक आर0पी0सी0 को उपलब्ध करायेगा।

- घ. अन्तर्राज्यीय कटौती (आउटेज) योजना प्रारूप में आर०पी०सी० सचिवालय द्वारा परिमार्जन पर, एस०पी०सी० राज्य की अनुसूचित कटौती योजना का पुनरावलोकन और पुनरीक्षण भी करेगा और सभी प्रयोगकर्ताओं और एस०एल०डी०सी० को प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 फरवरी तक कार्यान्वयन के लिये अंतिम अनुसूचित कटौती योजना सूचित करेगा।
- ड. एस०एल०डी०सी०, साँविधिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये, निम्नलिखित में से किसी भी मामले में सुनियोजित कटौती (आउटेज) को स्थगित करने के लिये प्राधिकृत है:
- एक. वृहद् ग्रिड व्यवधान (राज्य/क्षेत्र में पूर्ण अन्धकार होने पर)
- दो- प्रणाली पृथक्करण
- तीन- राज्य में आँशिक अंधकार
- चार- प्रणाली में कोई अन्य घटना जिसका प्रस्तावित कटौती द्वारा प्रणाली सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।
- च. उत्पादन कंपनियों और लाइसेंसधारी अपनी कार्य योजना, एस०पी०सी० द्वारा अंतिम रूप दिये गये (आज तक हुये सभी समायोजनों के साथ) नवीनतम वार्षिक अनुसूचित कटौती (आउटेज) योजना के अनुसार बनायेंगी।
- छ. सभी प्रयोगकर्ता आउटेज प्राप्ति से पूर्व एस०एल०डी०सी० से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करेगे।

5.8 बहाली की प्रक्रिया

- क. आँशिक/पूर्ण अंधकार के अधीन राज्य विद्युत ग्रिड की पूर्ण बहाली के लिये विस्तृत योजनाओं और प्रक्रियाओं का एस०एल०डी०सी० द्वारा, सभी प्रयोगकर्ताओं /एस०पी०सी० सचिवालय से परामर्श करके विकास किया जायेगा और वार्षिक रूप से पुनरावलोकन/अद्यतन किया जायेगा।

- ख. राज्य के भीतर प्रत्येक प्रयोगकर्ता की प्रणाली के ऑशिक/पूर्ण अंधकार के पश्चात बहाली के लिये विस्तृत योजनाओं और प्रक्रियाओं को संबंधित प्रयोगकर्ता द्वारा अंतिम रूप एस0एल0डी0सी0 के साथ समन्वय करके दिया जायेगा । प्रक्रिया का प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में एक बार पुनरावलोकन, पुष्टि और/या पुनरीक्षण किया जायेगा । विभिन्न उप-प्रणालियों के लिये काल्पनिक परीक्षण अभ्यास प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार प्रयोगकर्ताओं द्वारा एस0एल0डी0सी0 को सूचित कर किया जायेगा ।
- ग. ब्लेक स्टार्ट सुविधा के साथ उत्पादन स्टेशनों, अंतर-राज्य/अंतः क्षेत्रीय गठबंधनों, संकालन बिन्दुओं और प्राथमिकता पर बहाल किये जाने वाले आवश्यक भागों की सूची एस0एल0डी0सी0 द्वारा तैयार की जायेगी और उसके साथ उपलब्ध रहेगी ।
- घ. पूर्ण अन्धकार के पश्चात बहाली प्रक्रिया के दौरान एस0एल0डी0सी0 वोल्टेज और आवृत्ति के लिये कम सुरक्षा मानको के साथ संचालन करने के लिये प्राधिकृत है जैसा कि ग्रिड की शीघ्रतम संभव बहाली को प्राप्त करने के लिये आवश्यक हो ।
- ड. बहाली प्रक्रिया के लिये अपेक्षित सभी संचार चैनलों का प्रयोग केवल संचालन संबंधी संचार के लिये किया जायेगा जब तक कि ग्रिड सामान्य अवस्था में वापस न आ जाये ।

5.9 घटना की सूचना

5.9.1 प्रारम्भ

यह अनुभाग लिखित में रिपोर्ट करने योग्य घटनाओं की सभी राज्य प्रयोगकर्ताओं, एस0पी0सी0 सचिवालय और एस0एल0डी0सी0 को बताने की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है ।

5.9.2 उद्देश्य

इस अनुभाग का उद्देश्य रिपोर्ट की जाने वाली घटनाओं, रिपोर्टिंग मार्ग जिसका अनुकरण किया जाना है और भेजे जाने वाली सूचना को परिभाषित करना है ताकि सुसंगत ढंग से कृत्यों /घटनाओं की रिपोर्टिंग हो ।

5.9.3 क्षेत्र

सभी प्रयोगकर्ता, एस0पी0सी0 सचिवालय और एस0एल0डी0सी0 इस अनुभाग के परिधि में है ।

5.9.4 उत्तरदायित्व

क. एस0एल0डी0सी0 घटनाओं को राज्य प्रयोगकर्ताओं/आर0एल0डी0सी0/एस0पी0सी0/आर0पी0सी0 सचिवालय को रिपोर्ट करने के लिये उत्तरदायी होगा।

ख. सभी राज्य प्रयोगकर्ता समस्त आवश्यक आँकड़ों के संग्रह और एस0ए0डी0सी0 और एस0पी0सी0 सचिवालय को रिपोर्टिंग के लिये उत्तरदायी होंगे ताकि घटना अनुश्रवण, रिपोर्टिंग और विश्लेषण हो सके।

5.9.5 रिपोर्ट करने योग्य घटनायें

निम्नलिखित घटनाओं में से कोई भी एस0एल0डी0सी0 /राज्य पारिषद ईकाई (एस0टी0यू0) /प्रयोगकर्ता द्वारा रिपोर्टिंग की अपेक्षा करती है:

- सुरक्षा मानकों का उल्लंघन
- ग्रिड अननुशासन
- एस0एल0डी0सी0 के अनुदेशों का अनुपालन
- प्रणाली का पृथक्करण/प्रणाली का विघटन
- राज्य का अंधकारमय होना/ऑशिक प्रणाली अंधकारमय होना।
- एस0टी0एस0 के किसी घटक की सुरक्षा की विफलता
- विद्युत प्रणाली अस्थिरता
- राज्य विद्युत ग्रिड के किसी घटक का ट्रिपिंग होना।

5.9.6 रिपोर्ट करने की प्रक्रिया

क. प्रयोगकर्ता की प्रणाली में घटित होने वाली सभी रिपोर्ट करने योग्य घटनाओं का , जितना शीघ्र संभव हो, अर्थात् 10 मिनट के भीतर, एस0एल0डी0सी0 को मौखिक रूप से सूचित करना होगा। मौखिक संचार के एक घंटे के भीतर एस0एल0डी0सी0 को एक लिखित रिपोर्ट भी प्रेषित करनी होगी। यदि रिपोर्ट करने वाली घटना वृहद् प्रकृति की है तो प्रारम्भिक लिखित रिपोर्ट दो घंटे के भीतर प्रस्तुत की जायेगी, प्रारम्भिक लिखित रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के 48 घंटे के भीतर व्यापक रिपोर्ट विधिवत

रूप से अग्रतर भेजी जायेगी। अन्य मामलों में रिपोर्ट करने वाला प्रयोगकर्ता पाँच कार्यदिवस के भीतर एस0एल0डी0सी0 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

- ख. यदि घटना से क्षेत्रीय ग्रिड के संचालन पर प्रभाव पडने की संभावना हो, तो एस0एल0डी0सी0 घटना को मौखिक रूप से यथासंभव शीघ्र लिखित में आर0एल0डी0सी0 को रिपोर्ट करेगा। जहाँ कहीं विषय को आर0पी0सी0 के संज्ञान में लाना अपेक्षित हो, एस0एल0डी0सी0 आर0एल0डी0सी0 को लिखित रिपोर्ट करते समय, उसके लिये आर0एल0डी0सी0 से अनुरोध कर सकता है।
- ग. उदाहारण के लिये निम्नलिखित विवरण लिखित रिपोर्ट का भाग होगा:

- घटना का समय और दिनांक
- स्थान
- संयंत्र और/या उपकरण जो सीधे अन्तर्ग्रस्त हो
- घटना का विवरण और कारण
- पूर्ववर्ती दशायें
- व्यवधानित हुयी माँग और/या उत्पादन (मेगावाट में) और व्यवधान की अवधि
- सभी सुसंगत प्रणाली डाटा जिसमें सभी रिकार्ड करने वाले उपस्करों के अभिलेख की प्रतियाँ सम्मिलित है। उपस्करों में व्यवधान रिकार्डर, इवेन्ट लागर, डी0ए0एस0 आदि सम्मिलित है।
- समय के साथ ट्रिपिंग का क्रम
- रिले फलेग्स का विवरण
- सुधार के उपाय
- सेवा की बहाली का अनुमानित समय
- कोई अन्य सुसंगत सूचना
- रिपोर्ट करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम

अध्याय- 6

अनुसूचीकरण करना एवं प्रेषण (डिस्पैच) कोड

6.1 प्रारम्भ

6.1.1 इस अध्याय में निम्नलिखित का उल्लेख है:-

- (क) अनुसूची बनाने और प्रेषण में विभिन्न प्रयोग कर्ताओं और एस0एल0डी0सी0 के मध्य उत्तरदायित्वों का विभाजन
- (ख) अनुसूची बनाने और प्रेषण की प्रक्रिया
- (ग) क्रियाशील विद्युत और वोल्टेज नियन्त्रण की युक्ति
- (घ) सहायक वाणिज्यिक युक्तियाँ (अनुलग्नक-1 में)

6.1.2 ए0 बी0टी0 व्यवस्था के अधीन, उत्पादन स्टेशनों (एस0एस0जी0एस0) के उत्पादन अनुसूचीकरण, आई0एस0जी0एस0 से अंश और उभयपक्षीय व्यापार और राज्य में दैनिक आधार पर लाभार्थियों द्वारा ड्राल हेतु कतिपय प्रक्रियाओं को अपनाया जाना है। प्रत्येक आई0एस0जी0एस0/एस0एस0जी0एस0 द्वारा उत्पादन क्षमता के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया और राज्य में प्रत्येक लाभार्थी द्वारा ड्राल अनुसूची का प्रस्तुत किया जाना इसलिये अभीष्ट है ताकि एस0एल0डी0सी0 पक्षकारों के मध्य हुयी संविदाओं के अनुसार उत्पादन और ड्राल अनुसूची तैयार करने में समर्थ हो सके। यह यथार्थ समय प्रेषण/ड्राल अनुदेशों और पुनः अनुसूची बनाकर जारी करने के लिये रीति-विधान की भी व्यवस्था करता है, यदि आवश्यकता हो तो इसमें अनुसूचियों से विचलन के लिए वाणिज्यिक व्यवस्था भी है।

6.2 उद्देश्य

इस कोड का उद्देश्य एस0एस0जी0एस0 से प्रेषणों (डिस्पैचेज) और अंतः राज्य उत्पादन स्टेशनों या किसी अन्य व्यक्ति से आयात की अनुसूची बनाने और दैनिक आधार पर लाभार्थियों द्वारा शुद्ध ड्राल और एस0एल0डी0सी0, आर0एल0डी0सी0, एस0एस0जी0एस0 और लाभार्थियों के मध्य सूचना के प्रवाह के ढंग के लिये भी अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करना है। प्रत्येक एस0एस0जी0एस0 द्वारा क्षमता घोषणा प्रस्तुत करने के लिये और

प्रत्येक लाभार्थी द्वारा डाल अनुसूची के प्रस्तुत करने की प्रक्रिया इस आशय से है जिससे एस0एल0डी0सी0 प्रत्येक अन्तरराज्यीय उत्पादन स्टेशनों के लिये प्रेषण अनुसूची और प्रत्येक लाभार्थी के लिये डाल अनुसूची तैयार करने में समर्थ हो सके। इस अध्याय में निहित उपबंध विद्युत अधिनियम की धारा 31 और 32 के अधीन एस0एल0डी0सी0 को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

6.3 क्षेत्र

यह कोड एस0एल0डी0सी0, राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) और राज्य विद्युत ग्रिड के प्रयोगकर्ताओं पर प्रयोज्य होगा।

6.4 उत्तरदायित्वो का विभाजन

6.4.1 एस0एल0डी0सी0 का निम्नलिखित के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व होगा :

- (क) राज्य विद्युत ग्रिड से संयोजित सभी एस0एस0जी0एस0 के उत्पादन का अनुसूचीकरण/प्रेषण।
- (ख) एस0एस0जी0एस0 और केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से (संबंधित संयंत्र की सम्भावित क्षमता में उनके अंश के भीतर) लाभार्थियों द्वारा डाल्स का अनुसूचीकरण।
- (ग) वितरण लाइसेंसधारियों और राज्य में अन्य लाभार्थियों की माँग को विनियमित करना।
- (घ) उभयपक्षीय अंतः विनियमों की व्यवस्था करना।
- (ङ) आर0एल0डी0सी0 से प्राप्त सूचना के अनुसार और एस0एस0जी0एस0 के अनुरोध पर और या लाभार्थियों के और पारेषण प्रणाली विफलता/बंधनों के परिणाम स्वरूप प्रेषण /डाल का अनुसूचीकरण।
- (च) ए0बी0टी0 प्रक्रियाओं और मुक्त गवर्नर संचालन का कार्यान्वयन, विद्युत स्टेशनों पर जहाँ संभव हो,।

6.4.2 लाभार्थियों को सर्वदा सी0एस0जी0एस0/एस0एस0जी0एस0 और उभयपक्षीय व्यापारो द्वारा, ए0बी0टी0 दिशा निर्देश के अधीन, अपने शुद्ध डाल को अपनी-अपनी डाल अनुसूचियों के भीतर सीमित करने का प्रयास करना चाहिये। लाभार्थी अपने विवके से डाल अनुसूची से विचलित हो सकते हैं, जहाँ तक ऐसे विचलन प्रणाली पैरामीटर्स का अनुमन्य सीमाओं के आगे विकृत न करें और या अस्वीकार्य लाइन भारों की ओर न ले जाये। शुद्ध डाल अनुसूची से

विचलनों का सी0ई0आर0सी0/यू0पी0ई0आर0सी0 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट और समय-समय पर यथा संशोधित अनुसूचित अन्तः विनिमय साधन के माध्यम से समुचित रूप से मूल्यांकन किया जायेगा।

परन्तु यह कि जब कभी प्रणाली आवृत्ति 49.5 हर्टज से नीचे हो एस0एल0डी0सी0 हमेशा राज्य में राज्य विद्युत ग्रिड से लाभार्थियों को अपनी-अपनी डाल अनुसूचियों के भीतर शुद्ध डाल को सीमित करने के लिये नियन्त्रित करेगा। जब कभी आवृत्ति 49.0 हर्टज से नीचे होगी, एस0एल0डी0सी0 लाभार्थियों को निर्देश देगा कि वे आवृत्ति सुधार और अधिक डाल्स को, यदि कोई हो, सीमित करने के लिये भार में अपेक्षित कमी करे। यद्यपि 49.5 हर्टज से नीचे आवृत्ति के पतन होने की स्थिति में लाभार्थियों पर यह बाध्यकारी होगा कि वे स्वतः कार्यवाही करे और अपनी माँग में कटौती करें।

- 6.4.3 राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) से परामर्श करके एस0एल0डी0सी0 राज्य के लिये अल्पावधि और दीर्घावधि माँग अनुमान के संबंध में नियमित रूप से आवश्यक गणना करेगा जिससे वह अग्रिम रूप में योजना बनाने में समर्थ हो सके कि कैसे वह ग्रिड से बिना अधिक आहरण किये शुद्ध माँग की पूर्ति करें।
- 6.4.4 एस0एस0जी0एस0 सामान्यतया, एस0एल0डी0सी0 द्वारा, वितरण लाइसेंसधारी और निर्बाध उपगम उपभोक्ताओं से प्राप्त अपेक्षाओं के आधार, पर उन्हे परामर्शित दैनिक अनुसूचियों के अनुसार, विद्युत उत्पादन के लिये और अपने उत्पादन स्टेशनों के उचित संचालन और अनुरक्षण के लिये इस प्रकार उत्तरदायी होंगे जिससे कि ये स्टेशन, सर्वोत्तम संभव, दीर्घावधि उपलब्धता और मितव्ययता को प्राप्त करें।
- 6.4.5 जबकि राज्य उत्पादन स्टेशन, लाभार्थियों से प्राप्त डाल अनुसूचियों के और आई0एस0जी0एस0 और उभयपक्षीय व्यापारों, यदि कोई हो से आयातो के हिसाब के आधार पर एस0एल0डी0सी0 द्वारा उन्हे परामर्शित दैनिक अनुसूची के अनुसार, सामान्यतः विद्युत उत्पादन के लिये के लिए उत्तरदायी होंगे, तथापि, लाभार्थियों को अनुमत लोच के समान ही, राज्य उत्पादन स्टेशन भी, संयंत्र और प्रणाली परिस्थितियों के आधार पर, दी हुयी अनुसूचियों से विचलित हो सकते हैं। विशिष्ट रूप से उन्हे विद्युत कमी (निम्न प्रणाली आवृत्ति) की

परिस्थितियों में दी गयी अनुसूची से आगे उत्पादन करने की अनुमति / प्रोत्साहन है। एक्स पावर संयंत्र उत्पादन अनुसूचियों से विचलन का यूआई0रीति के माध्यम से समुचित रूप में मूल्यांकन किया जायेगा।

परन्तु यह कि जब आवृत्ति 50.0 हर्टज से उच्चतर हो तो यथार्थ शुद्ध अन्तः क्षेपण उस अवधि के लिये अनुसूचित प्रेषण से अधिक नहीं होगा। और जब आवृत्ति 50.5 हर्टज से ऊपर हो उस समय उत्पादन केन्द्र एस0एल0डी0सी0 से परामर्श की प्रतीक्षा किये बिना (अपने विवेक से) पश्चगमन कर सकते हैं। जब आवृत्ति 49.5 हर्टज से नीचे हो, सभी एस0एस0जी0एस0 के उत्पादन को (पीक ड्यूटी वालों के सिवाय) अधिकतम किया जायेगा, कम से कम उस स्तर तक जिसे बनाये रखा जा सके यह सब एस0एल0डी0सी0 से परामर्श की प्रतीक्षा किये बिना होगा। ऐसी परिस्थितियों में अनुसूचित अंतः विनियम एकाउन्टिंग समय-समय पर आयोग द्वारा यथा संशोधित यू0पी0ई0आर0सी0 (उत्पादन टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियमावली के उपबंधों के अधीन होगा।

6.4.6 उपर्युक्त के होते हुये भी, एस0एल0डी0सी0 उत्पादन स्टेशनो / लाभार्थियों को, आकस्मिकता अर्थात् लाइनों / टॉसफारमरो पर अधिक भार, असामान्य वोल्टेज, प्रणाली सुरक्षा के खतरे की स्थिति में, अपने उत्पादन/डाल, में वृद्धि/कमी, के निर्देश दे सकता है। ऐसे निर्देशो पर तुरन्त अमल किया जायेगा। यदि स्थिति तुरन्त कार्यवाही की अपेक्षा न करे और एस0एल0डी0सी0 के पास विश्लेषण के लिये कुछ समय हो तो वह यह जाँच करेगा कि क्या परिस्थिति अनुसूचियों से विचलन के कारण या अल्पावधि निर्बाध उपगम के अनुसरण में किसी विद्युत प्रवाह के कारण उत्पन्न हुयी है। भार की कटौती की स्थिति में समय-समय पर यथा संशोधित यू0पी0ई0आर0सी0 (निर्बाध उपगम के निबन्धन और शर्तें) विनियमावली में यथा विनिर्दिष्ट दिशा निर्देशों का अनुकरण किया जायेगा।

6.4.7 उत्पादन और पारेषण प्रणाली की सभी कटौतियों के लिये जिनका राज्य विद्युत ग्रिड पर प्रभाव हो सकता है, सभी प्रयोगकर्ता एस0एल0डी0सी0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर एक

- दूसरे के साथ सहयोग करेंगे या ऐसी प्रक्रिया के निर्धारित न होने पर एस0एल0डी0सी0 के परामर्श के अनुसार अपने कार्यों का समन्वय करेंगे। विशिष्टतः कटौतियों (आउटेज) को जो उत्पादन को सीमित कर सकती है जिसे लाभार्थी प्राप्त कर सकता है (और जिसका वाणिज्यिक उपयोग हो सकता है) सर्वोत्तम उपयोग प्राप्त करने के लिये ध्यानपूर्वक नियोजित किया जायेगा।
- 6.4.8 एस0एस0जी0एस0 के लाभार्थी पृथक संयुक्त/उभयपक्षीय अनुबंध करेंगे जिससे वे एस0एस0जी0एस0 परियोजनाओं (उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा आवंटन पर आधारित, जहाँ प्रयोज्य हो) अनुसूचित ड्राल पैटर्न, टैरिफ्स भुगतान निबंधनों आदि में अपने अंश चिन्हित कर सकें। ऐसे अनुबंधों की एक प्रति एस0एल0डी0सी0 को अनुसूची बनाने और राज्य ऊर्जा लेखा बनाने हेतु प्रेषित की जायेगी। लाभार्थियों के मध्य दीर्घावधि/अल्पावधि आधार पर अनुसूचित अंतः विनिमयों के लिये कोई उभयपक्षीय अनुबंध अंतः विनिमय अनुसूची को भी विनिर्दिष्ट करेंगे, जिसे एस0एल0डी0सी0 के पास अग्रिम रूप में प्रेषित किया जायेगा।
- 6.4.9 ए0बी0टी0 योजना के अधीन अच्छादित सभी प्रयोगकर्ताओं से आवृत्ति से जुड़ी हुई भार प्रेषण की धारणा और अनुसूची से विचलनो का मूल्य अर्थात अनुसूचित अंतः विनिमयों का जैसे ही और जब अंतर्राज्यीय ए0बी0टी0 आयोग के आदेशों के अनुसार राज्य के भीतर लागू हो, अनुपालन किये जाने की अपेक्षा होगी। सभी एस0एस0जी0एस0, सामान्यतया आवृत्ति से जुड़े भार प्रेषण दिशा निर्देशो जैसे कि एस0एल0डी0सी0 द्वारा निर्गत किये (आयोग द्वारा निर्गत ए0बी0टी0 आदेश/विनियमावली के साथ) के अनुसार सम्भव सीमा तक संचालित किये जायेगे।
- 6.4.10 संयंत्र क्षमताओं को वफादारी के साथ अर्थात उनके सर्वोत्तम निर्धारण के अनुसार घोषित करना एस0एस0जी0एस0 के ऊपर निर्भर करेगा। यदि यह संदेह हो जाये कि उन्होने जानबूझकर क्षमता घोषणाओं के आधार पर जारी की गयी अनुसूचियों से विचलन हेतु, अपनी संयंत्र क्षमता को अधिक /कम घोषित किया है (और इस प्रकार या तो अनुचित क्षमता प्रभार के रूप में या अनुसूची से विचलनो के लिये प्रभार के रूप में धन अर्जित करना चाहते हैं) तो एस0एल0डी0सी0 एस0एस0जी0एस0 से कह सकता है कि वह आवश्यक समर्थकारी ऑकड़ों के साथ स्थिति को स्पष्ट करे।

- 6.4.11 यह राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) का उत्तरदायित्व होगा कि वह यथार्थ शुद्ध मैगावाट प्रति घंटा अंतः विनिमयों और मेगावाट एम्पियर प्रति घंटा डाल्ट्स को अभिलिखित करने के लिये सभी संयोजन बिन्दुओं पर विशेष ऊर्जा मीटरों को स्थापित करे। स्थापित किये जाने वाले मीटरों का प्रकार, मीटर योजना, मीटर क्षमता, परिक्षण और अंशॉकन अपेक्षाओं और मीटर में आये ऑकड़ों के संग्रह और प्रसार के लिये योजना संलग्न अनुलग्नक-2 में सविस्तार वर्णित है। सभी संबंधित इकाईयाँ (जिनके परिसर में विशेष ऊर्जा मीटर स्थापित है) एस0एल0डी0सी0 से पूर्ण सहयोग करेंगे और आवश्यक सहायता मीटर पठनोंक लेकर और उन्हें का प्रेषित करके करेंगे।
- 6.4.12 एस0एल0डी0सी0, उपर्युक्त मीटर पठनोंको पर आधारित 15 मिनट के समय खण्ड बार के आधार पर एस0एस0जी0एस0 और उभयपक्षीय व्यापार के माध्यम से कुल यथार्थ मैगावाट प्रति घंटा प्रवेश और प्रत्येक लाभार्थी के यथार्थ शुद्ध ड्राल के संगणना के लिये उत्तरदायी होगा। एस0एल0डी0सी0 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग/उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ए0बी0टी0 योजना के उपबंधों के अनुसार अंतरराज्यीय ऊर्जा के लेखों को तैयार करने के लिये भी उत्तरदायी होगा। एस0एल0डी0सी0 द्वारा की गयी सभी संगणनाये 15 दिन की अवधि के लिये सभी प्रयोगकर्ताओं को जाँच करने/पुष्टिकरण के लिये खुली रहेगी। यदि किसी त्रुटि/चूक का पता चले, तो एस0टी0यू0/एस0एल0डी0सी0 तुरन्त पूर्ण जाँच करेगा और उसे ठीक करेगा।
- 6.4.13 एस0एल0डी0सी0 प्रेषण से यथार्थ विचलन और जारी की जा रही शुद्ध ड्राल अनुसूचियों का अद्यावधिक पुनरावलोकन करेगा जिससे यह जाँच हो सके कि लाभार्थियों/एस0एस0जी0एस0 में से कोई अनुचित साधनों या जालसाजी में तो लिप्त नहीं है। यदि ऐसी किसी कार्यवाही का पता चले तो मामले को आयोग को रिपोर्ट किया जायेगा।

6.5 अनुसूची बनाम और प्रेषण (डिस्पैच) प्रक्रिया

(उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के निबंधन और शर्तों) विनियमावली, जो समय-समय पर यथा संशोधित है, के साथ पढा जाये)

- 6.5.1 00.00 घंटे से प्रारम्भ करके 24 घंटे तक, प्रत्येक दिन को अनुसूची बनाने और प्रेषण और ऊर्जा लेखे के प्रयोजन के लिये 15 मिनट के अंतराल के 96 समय खण्डों में विभाजित किया जायेगा।
- 6.5.2 प्रातः 9:00 बजे तक प्रत्येक दिन सभी एस0एस0जी0एस0 स्टेशन वार अगले दिन के प्रत्येक समय खण्ड के लिये यथापूर्व देखी गयी अर्थात् आने वाले दिन के 00:00 घंटे से 00:24 घंटे तक एक्स पावर प्लान्ट मेगावाट और मेगावाट प्रतिघंटा क्षमता के बारे में एस0एल0डी0सी0 को सूचना देंगे।
- 6.5.3 एस0एल0डी0सी0, आर0एल0डी0सी0 से, अगले दिन प्रातः 10:00 बजे तक प्रत्येक 15 मिनट के समय खण्डों के लिये केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन स्टेशनों से राज्य लाभार्थियों के लिये मेगावाट और मेगावाट प्रतिघंटा हकदारी से संबंधित सूचना भी प्राप्त करेगा।
- 6.5.4 एस0एल0डी0सी0 उभयपक्षीय विनियमों को, यदि कोई हो, ध्यान में रखते हुये उपर्युक्त सूचना का संग्रह करेगा और राज्य क्षेत्र उत्पादन स्टेशनों अंतः राज्य उत्पादन स्टेशनों और उभयविनियमों में लाभार्थियों की हकदारी पर आधारित अगले दिन के लिये उसे उचित अनुपात में बाँटेगा और उसे प्रातः 11:00 बजे तक सभी लाभार्थियों के लिये संसूचित करेगा।
- 6.5.5 लाभार्थी अपने पूर्व में देखे गये भार पैटर्न और अपनी निजी उत्पादन क्षमता के अनुसार (यदि कोई हो, उत्पादन संयंत्रों से जो कि लाभार्थी के निजी स्वमित्व में है, कैप्टिव संयंत्र और उनकी वितरण प्रणाली से संयोजित उन0सी0ई0एस0 पर आधारित संयंत्र) ड्राल अनुसूची तैयार करेंगे और साँय 1:00 बजे तक एस0एल0डी0सी0 को एस0एस0जी0एस0 और आई0एस0जी0एस0 में से प्रत्येक के लिये अपनी ड्राल अनुसूची और दीर्घावधि, अल्पावधि उभयपक्षीय व्यापारों के बारे में, जिनमें उनका अंश होगा सूचना देगे।
- 6.5.6 एस0एल0डी0सी0 लाभार्थियों से प्राप्त ड्राल अनुसूचियों का संकलन करेगा और साँय 3:00 बजे तक ड्राल अनुसूची आर0एल0डी0सी0 को आई0एस0जी0एस0 से और एस0एस0जी0एस0 को में से प्रत्येक के लिये जिसमें लाभार्थियों का अंश हो दीर्घावधि उभयपक्षीय अतः विनियम और

- अनुमोदित अल्पावधि उभयपक्षीय अतः विनिमय और अनुमोदित अल्पावधि उभयपक्षीय अंतः विनिमयों को सूचित करेगा।
- 6.5.7 एस0एल0डी0सी0, आर0एल0डी0सी0 को ऐसे स्थायी आदेश दे सकता है जिससे आर0एल0डी0सी0 स्वयं राज्य के लिये ड्राल अनुसूचियों निर्धारित कर सके।
- 6.5.8 प्रत्येक दिन साँय 5:00 बजे तक, एस0एल0डी0सी0 राज्य के लिये आर0एल0डी0सी0से अगले दिन के लिये प्रत्येक 15 मिनट के समय खण्ड के लिये मेगावाट में “शुद्ध ड्राल अनुसूची” प्राप्त करेगा।
- 6.5.9 एस0एल0डी0सी0, आर0एल0डी0सी0 से राज्य के लिये प्राप्त शुद्ध ड्राल अनुसूची को लाभार्थियों के मध्य उनकी हकदारियों के आधार पर जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आई0एस0जी0एस0 में और उभयपक्षीय व्यापारों में अनुमोदित हों , उचित अनुपात में बाँटेगा। एस0एल0डी0सी0, एस0एस0जी0एस0 में से प्रत्येक की प्रेषण (डिस्पैच) अनुसूची को आर0एल0डी0सी0 द्वारा संसूचित शुद्ध ड्राल अनुसूची के आलोक में (यदि आवश्यक हो) पुनरीक्षित भी करेगा। एस0एल0डी0सी0 साँय 6.00 बजे तक प्रत्येक दिन निम्नलिखित सूचित करेगा:
- एक— प्रत्येक एस0एस0जी0एस0 को एक्स पावर प्लान्ट ‘प्रेषण (डिस्पैच) अनुसूची’, मेगावाट में, अगले दिन के लिये प्रत्येक 15 मिनट समय खण्ड हेतु।
- दो— आई0एस0जी0एस0, एस0एस0जी0एस0 और उभयपक्षीय व्यापारों से ‘शुद्ध ड्राल अनुसूची’, मेगावाट में, प्रत्येक लाभार्थी को अगले दिन के लिये प्रत्येक 15 मिनट के समय खण्ड के लिये
- 6.5.10 उपर्युक्त ड्राल और प्रेषण (डिस्पैच) अनुसूचियों को अन्तिम रूप देते हुये, एस0एल0डी0सी0 यह सुनिश्चित करेगा कि वे संचालन संबंधी दृष्टि कोण से तर्कसंगत है, विशेष रूप से उतार चढ़ाव रेट्स और न्यूनतम और अधिकतम उत्पादन के मध्य अनुपात की दृष्टि से। एस0एल0डी0सी0 इसकी भी जाँच करेगा कि परिणामी विद्युत प्रवाह किन्ही पारेषण बन्धनों को उत्पन्न न करें। किन्ही पूर्व से देखे गये उत्पादन/पारेषण बंधनों की स्थिति में, एस0एल0डी0सी0 अनुसूचियों को अपेक्षित सीमा तक संयत करेगा जो संबंधित लाभार्थियों/एस0एस0जी0एस0 को सूचना के अधीन किया जायेगा।

- 6.5.11 सभी एस0एस0जी0एस0/आई0एस0जी0एस0 के लिये स्टेशनवार एक्स पावर प्लान्ट उत्पादन अनुसूचियों के योग उभयपक्षीय विनियमों के साथ, यदि कोई हो, मे से विभाजित आनुपातिक पारेषण हानियों (अनुमानित) को घटाने के पश्चात, लाभार्थियों की शुद्ध ड्राल अनुसूची बनेगी।
- 6.5.12 लाभार्थी एस0एल0डी0सी0 को ड्राल अनुसूची और उभयपक्षीय अन्तः विनियमों, यदि कोई हो, में किसी उपान्तर/परिवर्तन के बारे में साँय 9:00 बजे तक सूचित कर सकते हैं। इसी प्रकार से, राज्य क्षेत्र उत्पादन कंपनिया, एस0एल0डी0सी0 को पूर्व से देखी प्रेषण (डिस्पैच) क्षमताओं में किसी उपान्तर/परिवर्तन के बारे में साँय 9:00 बजे तक सूचित कर सकते हैं।
- 6.5.13 एस0एल0डी0सी0 आई0एस0जी0एस0 की स्टेशन-वार ड्राल अनुसूचियों में और उभयपक्षीय अंतः विनियमों में, यदि कोई हो, किये गये किसी उपॉतर/परिवर्तन की सूचना आर0एल0डी0सी0 को रात्रि 10:00 बजे तक देगा।
- 6.5.14 एस0एल0डी0सी0 केन्द्रीय आवंटन के विरुद्ध विद्युत के उभयपक्षीय विनियमों साथ, यदि कोई हो, अंतिम 'ड्राल अनुसूची' आर0एल0डी0सी0 से रात्रि 11:00 बजे तक प्राप्त करेगा।
- 6.5.15 एस0एल0डी0सी0, एस0एस0जी0एस0 की प्रेषण (डिस्पैच) अनुसूचियों और लाभार्थियों की ड्राल अनुसूचियों का आर0एल0डी0सी0 से प्राप्त अन्तिम ड्राल अनुसूची के आलोक में पुनरावलोकन और पुनरीक्षण करेगा और रात्रि 11:30 बजे तक सूचित करेगा।
- एक- प्रत्येक एस0एस0जी0एस0 को अगले दिन के लिये प्रत्येक 15-मिनट के समय खण्ड के लिये अंतिम एक्स पावर प्लान्ट 'प्रेषण (डिस्पैच) अनुसूची' मेगावाट में।
- दो- आई0एस0जी0एस0, एस0एस0जी0एस0 और उभय पक्षीय व्यापारो से अगले दिन के लिये, प्रत्येक 15 मिनट समय खण्ड के लिये प्रत्येक लाभार्थी को अन्तिम 'शुद्ध ड्राल अनुसूची' मेगावाट में।
- 6.5.16 एस0एस0जी0एस0 इकाई के बलात कटौती के मामले में, एस0एल0डी0सी0, एस0एस0जी0एस0 द्वारा पुनरीक्षित घोषित क्षमता के आधार पर अनुसूचियों को पुनरीक्षित करेगा। पुनरीक्षित घोषित क्षमता और पुनरीक्षित अनुसूचियों चौथे समय खण्ड से प्रभावी होगी, समय खण्ड की गणना एस0एस0जी0एस0 द्वारा पुनरीक्षण निवेदन के खण्ड को प्रथम मानते हुये होगी।

आई0एस0जी0एस0 इकाई की बलात कटौती के मामले में एस0एल0डी0सी0 आई एस0जी0एस0 द्वारा पुनरीक्षित घोषित क्षमता के आधार पर तैयार की गयी पुनरीक्षित अनुसूचियों को आर0एल0डी0सी0 से प्राप्त करेगा। पुनरीक्षित अनुसूचियों चौथे समय खण्ड से प्रभावी होगी, समय खण्ड की गणना आई0एस0जी0एस0 द्वारा पुनरीक्षण निवेदन के खण्ड को प्रथम मानते हुये होगी ।

- 6.5.17 अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली में किसी बंधन, कटौती (आउटेज), विफलता या सीमा के कारण विद्युत के निष्क्रमण में गत्यावरोध होने की दशा में, राज्य पारेषण सेवा प्रदाता के स्वमित्व के सहयुक्त स्विचयार्ड और उप केन्द्रो या अंतरराज्यीय पारेषण में लगे हुये किसी अन्य पारेषण लाइसेंसधारी को (एस0एल0डी0सी0 द्वारा यथा प्रमाणित) उत्पादन में कमी करने की आवश्यकता होने पर एस0एल0डी0सी0 अनुसूचियों को पुनरीक्षित करेगा जो कि चौथे समय से प्रभावी होगी, समय खण्ड की गणना विद्युत निष्क्रमण में गत्यावरोध के खण्ड को प्रथम मानते हुये होगी । ऐसी घटना के प्रथम, द्वितीय और तृतीय समय खण्डों के दौरान भी, एस0एस0जी0एस0 के अनुसूचित उत्पादन को यथार्थ उत्पादन के बराबर पुनरीक्षित किया हुआ समझा जायेगा, और लाभार्थियों के अनुसूचित ड्रॉल्स को उनके यथार्थ ड्रॉल्स के बराबर करने के लिये पुनरीक्षित किया हुआ समझा जायेगा।

अन्तः राज्यीय पारेषण प्रणाली में किसी बंधन, कटौती (आउटेज), विफलता या सीमा के कारण विद्युत के निष्क्रमण में गत्यावरोध की दशा में, आई0एस0जी0एस0 की उत्पादन में कमी करने की आवश्यकता होने पर, एस0एल0डी0सी0 पुनरीक्षित अनुसूचियों को आर0एल0डी0सी0 से प्राप्त करेगा जोकि चौथे समय खण्ड से प्रभावी होगी, समय खण्ड की गणना विद्युत के निष्क्रमण में गत्यावरोध के खण्ड को प्रथम मानते हुये होगी।

- 6.5.18 ग्रिड व्यवधान की स्थिति में, सभी एस0एस0जी0एस0 का अनुसूचित उत्पादन को और सभी लाभार्थियों के अनुसूचित ड्रॉल को उनके यथार्थ उत्पादन/ ड्रॉल के बराबर, ग्रिड व्यवधान द्वारा प्रभावित सभी समय खण्डों के लिये पुनरीक्षित किया हुआ समझा जायेगा। ग्रिड व्यवधान और उसकी अवधि का प्रमाणीकरण एस0एल0डी0सी0 द्वारा किया जायेगा।

- 6.5.19 किसी समय खण्ड के दौरान एस0एस0जी0एस0 द्वारा घोषित क्षमता का पुनरीक्षण और लाभार्थी द्वारा झाल अधियाचन को भी अग्रिम नोटिस के आधार पर अनुमत किया जायेगा। ऐसे मामलों में पुनरीक्षित अनुसूचियों/घोषित क्षमता छटे समय खण्ड से प्रभावी होगी, समय खण्ड की गणना एस0एल0डी0सी0 में पुनरीक्षण के लिये अनुरोध प्राप्त होने के खण्ड को प्रथम मानते हुये होगी।
- 6.5.20 आई0एस0जी0एस0 द्वारा घोषित क्षमता के पुनरीक्षण के मामले में और किसी समय खण्ड के दौरान लाभार्थी की अपेक्षा को भी आर0एल0डी0सी0 से सूचना प्राप्त होने पर अनुमत भी किया जायेगा। ऐसे मामलों में पुनरीक्षित अनुसूचियों /घोषित क्षमता छटे समय खण्ड से प्रभावी होगी, उस समय खण्ड की गणना करते हुये जिसमें उसे प्रथम बनाने के लिये आर0एल0डी0सी0 में पुनरीक्षण का अनुरोध प्राप्त हो गया है। एस0एल0डी0सी0 झाल प्रेषण (डिस्पैच) अनुसूचियों में ऐसे उपान्तरों के बारे में सभी राज्य लाभार्थियों को सूचित करेगा और उन्हें अपनी झाल अनुसूचियों में उन विनिमयों को प्रभावी करने के लिये परामर्श देगा।
- 6.5.21 यदि, समय के किसी बिन्दु पर एस0एल0डी0सी0 यह पाये कि श्रेष्ठतर प्रणाली संचालन के हित में अनुसूचियों के पुनरीक्षण की आवश्यकता है, वह ऐसा स्वयं कर सकता है, और ऐसे मामलों में, पुनरीक्षित अनुसूचियों चौथे समय खण्ड से प्रभावी होगी, समय खण्ड की गणना एस0एल0डी0सी0 द्वारा पुनरीक्षित अनुसूची जारी की जाने वाले खण्ड को प्रथम मानते हुये होगी।
- यदि, समय के किसी बिन्दु पर आर0एल0डी0सी0 यह पाये कि श्रेष्ठतर प्रणाली संचालन के हित में अनुसूचियों के पुनरीक्षण की आवश्यकता है, वह ऐसा स्वयं कर सकता है, और ऐसे मामलों में, पुनरीक्षित अनुसूचियों चौथे समय खण्ड से प्रभावी होगी, समय खण्ड की गणना आर0एल0डी0सी0 द्वारा पुनरीक्षित अनुसूची जारी की जाने वाले खण्ड को प्रथम मानते हुये होगी। आर0एल0डी0सी0 द्वारा ऐसे पुनरीक्षण की सूचना प्राप्त होने पर , एस0एल0डी0एस0 सभी राज्य लाभार्थियों को आहरण/प्रेषण अनुसूचियों में ऐसे उपान्तरों के बारे में सूचना देगा और उन्हें अपने झाल अनुसूचियों में उस परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिये परामर्श देगा।

- 6.5.22 काल्पनिक पुनरीक्षणों को हतोत्साहित करने के लिये, एस0एल0डी0सी0, एक मात्र अपने विवेक पर, पूर्ववर्ती अनुसूची/क्षमता के दो प्रतिशत से कम की अनुसूची/क्षमता परिवर्तनों को स्वीकार करने से मना कर सकता है।
- 6.5.23 24:00 घंटे पर संचालन दिवस की समाप्ति के पश्चात, दिन के दौरान अंतिम रूप से कार्यान्वित अनुसूची (उत्पादन स्टेशनों की प्रेषण (डिस्पैच) अनुसूची और प्रयोगकर्ताओं की ड्राल अनुसूची में सभी तथ्य पूर्व परिवर्तनों का ध्यान रखते हुये) एस0एल0डी0सी0 द्वारा जारी की जायेगी। ये अनुसूचियाँ वाणिज्यिक लेखा के लिये ऑकडा होगी। प्रत्येक उत्पादन स्टेशन के लिये औसत एक्स बस क्षमता का भी पता लगाया जायेगा जो एस0एल0डी0सी0 को सभी पूर्व परामर्शित (निवेदित) तथ्यों पर आधारित होगी।
- 6.5.24 एस0एल0डी0सी0 उपयुक्त सूचना अर्थात उत्पादन स्टेशनों द्वारा परामर्शित (निवेदित) स्टेशन-वार पहले से देखी गयी एक्स पावर प्लान्ट क्षमतायें, लाभार्थियों द्वारा परामर्शित ड्राल अनुसूचियों, एस0एल0डी0सी0 द्वारा निर्गत सभी अनुसूचियों और उपर्युक्त के सभी पुनरीक्षणों/अद्यतन स्थिति के समुचित दस्तावेज तैयार करेगा।
- 6.5.25 अनुसूची बनाने की प्रक्रिया और एस0एल0 एल0डी0सी0 द्वारा जारी अन्तिम अनुसूचियाँ सभी प्रयोगकर्ताओं के लिये किसी जॉच/पुष्टि के लिये 5 दिन की अवधि के लिये खुली रहेंगी। यदि किसी त्रुटि/चूक का पता लगे, तो एस0एल0डी0सी0 तुरन्त पूर्ण जॉच करेगा और उसे ठीक करेगा।
- 6.5.26 समय घटक पर सम्यक रूप से ध्यान देते हुये अनुसूचियों में परिवर्तन के सम्बन्ध में संचार को अभिलिखित करने के लिये प्रक्रिया राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) और प्रयोगकर्ताओं से परामर्श करके एस0एल0डी0सी0 द्वारा विकसित की जायेगी।
- 6.5.27 एस0एल0डी0सी0, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-32 के अधीन अपने विभिन्न कृत्यों के निर्वहन में, जिसमें अनुसूची बनाना और प्रेषण (डिस्पैच) प्रक्रिया सम्मिलित है, उसे सहायता करने के लिये ए0एल0डी0सी0 (पूरे राज्य में स्थापित) को समुचित कृत्य सौपेंगा।
- 6.5.28 जबकि एस0एस0जी0एस0 द्वारा उपलब्धता घोषणा में एक (1) मेगावाट और एक (1) मेगावाट प्रति घंटा का विभेदन हो सकता है, सभी हकदारियों, अपेक्षायें और अनुसूचियों को निकटतम दशमलव तक पूर्ण किया जायेगा जिससे 0.1 मेगावाट का विभेदन प्राप्त हो जाये।

टिप्पणी:- एस0एल0डी0सी0 द्वारा अनुसूची में किसी परिवर्तन को सभी लाभार्थियों, एस0एस0जी0एस0 और आर0एल0डी0सी0 को, जैसा आवश्यक हो, सूचित किया जायेगा।

6.6 क्रियाशील विद्युत और वोल्टेज नियंत्रण

6.6.1 क्रियाशील विद्युत प्रतिपूर्ति आदर्शतः स्थानीय रूप से दिया जाना चाहिये, क्रियाशील विद्युत उत्पादन, क्रियाशील विद्युत उपभोग के जितना निकट संभव होना चाहिये। इसलिये लाभार्थियों से यह आशा है कि वे स्थानीय क्रियाशील विद्युत प्रतिपूर्ति /उत्पादन की इस प्रकार व्यवस्था करे कि वे ई0एच0वी0 ग्रिड से, विशिष्टतः कम वोल्टेज की स्थिति में क्रियाशील विद्युत का आहरण न करे। तथापि, वर्तमान सीमाओं पर विचार करते हुये इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है। इसके स्थान पर राज्य विद्युत ग्रिड से संयोजित लाभार्थियों द्वारा क्रियाशील विद्युत डाल्स को हतोत्साहित करने के लिये, लाभार्थियों को क्रियाशील विद्युत विनिमय को निम्न प्रकार मूल्यांकित किया जायेगा:-

- क्रियाशील विद्युत ड्राल के लिये लाभार्थी भुगतान करेगा जब मीटरिंग बिन्दु पर वोल्टेज 97 प्रतिशत से नीचे हो।
- क्रियाशील विद्युत रिटर्न के लिये लाभार्थी को भुगतान मिलेगा जब वोल्टेज 97 प्रतिशत से नीचे हो।
- क्रियाशील विद्युत ड्राल के लिये लाभार्थी भुगतान पायेगा जब वोल्टेज 103 प्रतिशत से ऊपर हो।
- क्रियाशील विद्युत रिटर्न के लिये लाभार्थी भुगतान करेगा जब वोल्टेज 103 प्रतिशत से ऊपर हो।

प्रतिबन्ध यह है कि उत्पादन स्टेशन से सीधे निकलने वाली लाभार्थी की निजी लाइन पर उसके द्वारा क्रियाशील विद्युत ड्राल/रिटर्न के लिये कोई प्रभार/भुगतान नहीं होगा।

- 6.6.2 क्रियाशील विद्युत के लिये प्रभार/भुगतान नाम मात्र पैसा/किलो वोल्ट एंपीयर प्रतिघंटा पर देय होगा जिसे समय समय पर सी0ई0आर0सी0 द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये और क्रियाशील विद्युत अन्तः विनिमयों के लिये, एस0एल0डी0सी0 द्वारा संचालित राज्य क्रियाशील पुल लेखा और लाभार्थी के बीच में होगा।
- 6.6.3 उपर्युक्त के होते हुये भी, एस0एल0डी0सी0 किसी लाभार्थी को अपना क्रियाशील विद्युत ड्राल /प्रवेश में कटौती करने को निर्देशित कर सकता है यदि ग्रिड की सुरक्षा या किसी उपकरण की सुरक्षा खतरे में हो।
- 6.6.4 सामान्यतयः लाभार्थी अंतः विनिमय बिन्दु पर क्रियाशील विद्युत ड्राल को न्यूनतम करने का प्रयास करेगा जब उस बिन्दु पर वोल्टेज, रेटेड के 95 प्रतिशत से नीचे हो, और क्रियाशील विद्युत पर इन्जेक्ट नही करेगा जब वोल्टेज 105 प्रतिशत से ऊपर हो। संबंधित ड्राल बिन्दुओ पर आई0सी0टी0 टैप्स को क्रियाशील विद्युत अंतः विनिमय को नियंत्रित करने के लिये लाभार्थी के एस0एल0डी0सी0 से अनुरोध के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन केवल तर्कसंगत अंतरालो पर।
- 6.6.5 सम्पूर्ण राज्य विद्युत ग्रिड की सभी 400 किलो वोल्ट बस और सभी लाइन रियेक्टरों के स्वीच खोलना/बन्द करना एस0एल0डी0सी0 के अनुदेशों के अनुसार ही किया जायेगा। सभी 400/220 किलो वोल्ट आई सी0टी0 के टेप परिवर्तन भी केवल एस0एल0डी0सी0 के अनुदेशों के अनुसार ही किये जायेगे।
- 6.6.6 एस0एल0डी0सी0 के अनुदेशों के अनुसार एस0एस0जी0एस0 क्रियाशील विद्युत का उत्पादन/शोषण करेगा जो संबंधित उत्पादन इकाइयों की क्षमता सीमाओं के भीतर होगा अर्थात उस समय आपेक्षित सक्रिय उत्पादन का बलिदान किये बिना। उत्पादन कंपनियों को ऐसे क्रियाशील विद्युत उत्पादन /शोषण के लिये कोई भुगतान नही किया जायेगा।
- 6.6.7 लाभार्थियों (एकल या संयुक्त रूप से) के स्वामित्व की अंतः संयोजित लाइनों पर दो लाभार्थियों के मध्य सीधे क्रियाशील विद्युत विनिमय सामान्यतः स्थानीय वोल्टेज की समस्या को समाप्त या उत्पन्न करता है और सामान्यतः क्षेत्रीय ग्रिड के वोल्टेज प्रोफाइल पर प्रभाव नही डालता है। तदनुसार, ऐसी लाइनो पर क्रियाशील विद्युत विनियमो का प्रबंध/नियन्त्रण और वाणिज्यिक रख-रखाव, स्थिति के आधार पर, निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार होगा:

- एक- दो संबंधित लाभार्थी अंतः संयोजित लाइन पर आपस में क्रियाशील विद्युत विनियम के लिये कोई प्रभार/भुगतान न लेने के लिये परस्पर सहमत हो सकते।
- दो- दो संबंधित लाभार्थी आपस में क्रियाशील विद्युत विनियम के लिये सी0ई0आर0सी0 द्वारा अंतः राज्यीय पारेषण प्रणाली पर क्रियाशील विद्युत विनियमों के लिये विनिर्दिष्ट के समान भुगतान दर/योजना या उससे भिन्न, अपनाने हेतु परस्पर सहमत हो सकते हैं। यदि सहमत योजना में किसी अतिरिक्त मीटर लगाने की अपेक्षा हो, तो उसकी व्यवस्था संबंधित लाभार्थियों द्वारा की जायेगी।
- तीन- संबंधित लाभार्थियों के मध्य सहमति न होने की दशा में (उदाहरण के लिये, एक पक्ष वी0ए0आर0 विनियमों के लिये प्रभार/भुगतान योजना लागू करना चाहता हो और दूसरा पक्ष उस योजना से मना करता हो) तो अनुलग्नक-3 में यथा विनिर्दिष्ट योजना प्रवृत्त होगी। प्रति किलो वोल्ट एंपीयर प्रतिघंटा दर अंतः राज्य पारेषण प्रणाली पर क्रियाशील विद्युत विनियमों के लिये सी0ई0आर0सी0 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी।
- चार- ऐसे क्रियाशील विद्युत विनियमों के लिये गणना और भुगतान दोनों लाभार्थियों के मध्य पारस्परिक रूप से सहमत ही प्रभावी होंगे।

अनुलग्नक-1 सहायक वाणिज्यिक युक्ति

(सन्दर्भ धारा 6.1)

1. लाभार्थी संबंधित एस0एस0जी0एस0 को यू0पी0ई0आर0सी0 की सुसंगत अधिसूचनाओं और आदेशों के अनुसार, क्षमता प्रभार संयंत्र उपलब्धता के आधार पर एवं ऊर्जा प्रभार अनुसूचित प्रेषण (डिस्पैच) के आधार पर, भुगतान करेगा। संबंधित उत्पादन स्टेशन मासिक आधार पर प्रत्येक लाभार्थी को इन प्रभारों के लिये बिल जारी करेगा।
2. सभी लाभार्थियों द्वारा उपरोक्त दोनों प्रभारों का योग एस0एस0जी0एस0 को प्रेषण (डिस्पैच) अनुसूची के अनुसार उत्पादन के लिये पूर्णतः प्रतिपूर्ति करेगा। प्रेषण (डिस्पैच) अनुसूची से विचलन होने की स्थिति में संबंधित एस0एस0जी0एस0 को अतिरिक्त उत्पादन के लिये यू0पी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित यू0आई0 प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा। दी गयी प्रेषण (डिस्पैच) अनुसूची से यथार्थ उत्पादन नीचे होने की स्थिति में, संबंधित एस0एस0जी0एस0 संबंधित लाभार्थी को यू0आई0 युक्ति के माध्यम से उत्पादन में कमी के लिये वापस भुगतान करेगा।
3. प्रत्येक उत्पादन स्टेशन से स्टेशन-वार एक्स-पावर प्लान्ट प्रेषण (डिस्पैच) अनुसूचियों और प्रत्येक लाभार्थी के उभयपक्षता सहमत अन्तः विनिमयो को पारेषण हानियों के लिये समायोजित किया जायेगा, और इस प्रकार गणना की हुयी शुद्ध ड्राल अनुसूची की तुलना लाभार्थी के यथार्थ शुद्ध ड्राल से की जायेगी। अधिक ड्राल की स्थिति में, लाभार्थी से अपेक्षा की जायेगी की वह ऊर्जा के अधिक ड्राल के लिये यू0आई0युक्ति के माध्यम से भुगतान करें। कम ड्राल की स्थिति में, लाभार्थी को, आहरित न की गयी ऊर्जा के लिये यू0आई0 युक्ति के माध्यम से वापस भुगतान किया जायेगा।
4. जब लाभार्थी द्वारा अनुरोध किया जाये, एस0एल0डी0सी0 राज्य सीमा के भीतर या बाहर क्रेता/विक्रेता ढूढने में और अनुसूचित अन्तः विनिमय व्यवस्थित करने में लाभार्थी का सहयोग करेगा। एस0एल0डी0सी0 केवल सुविधा जुटाने वाले के रूप में (न कि व्यापारी दलाल) कार्य करेगा, और दो पक्षकारों के मध्य अनुबंध के अधीन

किसी दायित्व को नहीं लेगा, सिवाय— (एक) यह सुनिश्चित करने कि किसी अन्य प्रयोगकर्ता की विद्युत प्रणाली के किसी घटक पर ऐसे अन्तः विनिमय/व्यापार के कारण अधिक जोर (भार) न पड़े और (दो) संबंधित लाभार्थी के लिये शुद्ध अन्तः विनिमय अनुसूचियों में सहमत अंतः विनिमय/व्यापार सम्मिलित हो जाये।

5. राज्य ऊर्जा लेखा और यू0आई0 प्रभारों का विवरण एस0एल0डी0सी0 द्वारा साप्ताहिक आधार पर तैयार किया जायेगा और इन्हे सभी लाभार्थियों को सात दिन की अवधि के लिये, जो पूर्ववती रविवार को मध्यरात्रि में समाप्त होगी, शनिवार तक जारी की दी जायेगी। यू0आई0प्रभारों का भुगतान उच्च प्राथमिकता पर होगा और संबंधित लाभार्थी इंगित धनराशि का भुगतान विवरण जारी होने से 10 (दस) दिन के भीतर एस0एल0डी0सी0 द्वारा संचालित राज्य यू0आई0पूल लेखा में करेंगे। तब उन लाभार्थियों को जिन्हे यू0आई0 प्रभारों के कारण धन प्राप्त करना है, राज्य यू0आई0 पूल लेखा से तीन कार्य दिवस के भीतर भुगतान किया जायेगा।
6. आई0ई0जी0सी0की धारा 6.1 (घ) के अधीन आर0एस0डी0सी0 द्वारा राज्य पारेषण सेवा प्रदाता को बिल में दिये गये यू0आई0 प्रभारों का आवंटन एस0एल0डी0सी0 द्वारा तैयार किये गये राज्य ऊर्जा लेखा के आधार पर लाभार्थियों को साप्ताहिक बिल की प्रप्ति से दो कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा। राज्य पारेषण सेवा प्रदाता /संबंधित लाभार्थी बिल के निर्गत होने के दिनोंक से सात दिन के भीतर बिल का भुगतान करेंगे।
7. एस0एल0डी0सी0 सभी लाभार्थियों को, जो निम्न/उच्च वोल्टेज दशाओं में क्रियाशील ऊर्जा का शुद्ध झाल /प्रवेश करते हों, क्रियाशील ऊर्जा प्रभारों के लिये साप्ताहिक विवरण भी जारी करेगा। इन भुगतानों की उच्च प्राथमिकता भी होगी और संबंधित लाभार्थी एस0एल0डी0सी0 द्वारा संचालित राज्य क्रियाशील विद्युत लेखा में विवरण जारी होने से 10 (दस) दिन के भीतर इंगित धनराशि का भुगतान करेंगे। तब उन लाभार्थियों को जिन्हे क्रियाशील ऊर्जा प्रभारों के कारण धन प्राप्त करना है, राज्य क्रियाशील पूल रेखा से 3 (तीन) कार्य दिवस के भीतर, भुगतान किया जायेगा। एस0एल0डी0 सी0 विद्युत के अन्तः क्षेत्रीय अन्तरण के लिए क्रियाशील क्रियाशील

ऊर्जा आहरित / आपूर्ति के लिये क्षेत्रीय क्रियाशील लेखे से भुगतान भी देगा/प्राप्त करेगा।

8. यदि उपर्युक्त यू0आई0 और क्रियाशील ऊर्जा प्रभारों के भुगतानों में दो दिन से अधिक का अर्थात विवरण जारी होने से (12) बारह दिन से अधिक का विलम्ब होगा, तो व्यतिक्रमी लाभार्थी को विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिये 0.04 प्रतिशत की दर से साधारण व्याज का भुगतान करना होगा। इस प्रकार संग्रहीत व्याज का उन लाभार्थियों को भुगतान कर दिया जायेगा जिन्हे धनराशि प्राप्त करनी थी जिसके भुगतान में विलम्ब हुआ।
9. प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक सभी क्रियाशील ऊर्जा प्रभारों के भुगतान के पश्चात राज्य क्रियाशील विद्युत लेखा में शेष बचे धन का एस0एल0डी0सी0 संचालको के प्रशिक्षण और अन्य इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिये उपयोग करेगा जो संबंधित राज्य विद्युत ग्रिड के संचालन को उन्नत बनाने/सुप्रवाही बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
10. यदि किसी राज्य विद्युत ग्रिड की वोल्टेज प्रोफाइल इस सीमा तक उन्नत हो जाये कि क्षेत्रीय क्रियाशील ऊर्जा प्रभार लेखा से एक सप्ताह का शुद्ध भुगतान उस सप्ताह के लिये उसमें प्राप्त शुद्ध धनराशि से अधिक हो जाये, और यदि राज्य क्रियाशील ऊर्जा लेखे में घाटे की पूर्ति करने के लिये कोई अतिशेष न बचे तो उपर्युक्त लेखे में उपलब्ध कुल धन का भुगतान लाभार्थियों में समानुपातिक आधार पर कम कर दिया जायेगा।
11. एस0एल0डी0सी0 राज्य यू0आई0 लेखा और राज्य क्रियाशील ऊर्जा लेखा का पूर्ण विवरण त्रैमासिक आधार पर एस0पी0सी0 के समक्ष रखेगा।
12. सभी 15 मिनट के ऊर्जा ऑकड़ों को (कुल अनुसूचित, यथार्थ में मीटर में आए और यू0 आई0) निकटतम 0.01 मैगावाट प्रति घंटा तक पूर्णांकित किया जायेगा।

अनुलग्नक- 2 विशेष ऊर्जा

1. एक समान तकनीकी विनिर्देशन के विशेष ऊर्जा मीटरों की सभी संयोजन बिन्दुओं और इन्टरफेस बिन्दु पर व्यवस्था की जायेगी जिसमें उत्पादन स्टेशन, स्विच स्टेशन, उपकेन्द्रों और क्रास सीमा लोकेशन्स सम्मिलित है जिससे उनके राज्य विद्युत ग्रिड के साथ यथार्थ कुल अंतः विनिमय की ठीक-ठीक गणना तब भी संभव हो सके जबकि एक मुख्य मीटर, एक सी0टी0 या एक वी0टी0 में कोई समस्या हो।
2. विशेष ऊर्जा मीटर स्टैटिक प्रकार के, कंपोजिट मीटर, परिपथ-वार स्थापित, एक स्वानिहित युक्ति वाले, सक्रिय और क्रियाशील ऊर्जा के मापन और निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित कतिपय अन्य पैरामीटर के लिये होंगे। मीटर वोल्टेज ट्रॉसफारमरों से सीधे संयोजित किये जाने के लिये, जिनमें 110 वोल्ट की रेटेड सेकेन्डरी लाइन से लाइन वोल्टेज व्यवस्था और रेटेड सेकेन्डरी 1 एंपीयर धारा में (आदर्श ए) या 5 एम्पियर (आदर्श-बी) वाले करेन्ट ट्रॉसफारमरों के लिये उपयुक्त हो। रेफ्रेन्स आवृत्ति 50 हर्टज होगी।
3. मीटरों में स्थिर प्रकृति की स्मृतिशक्ति होगी जिसमें निम्नलिखित स्वतः संग्रहीत होगी:
 - एक- दो डिजिट कोड के रूप में प्रत्येक अनुवर्ती 15-मिनट के खण्ड के लिये औसत आवृत्ति (00 से 99 तक 49.0 से 51.0 हर्टज तक आवृत्ति के लिये)।
 - दो- दशमलव के द्वितीय अंक तक, धनात्मक / ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रत्येक अनुवर्ती 15 मिनट - के खण्ड के दौरान कुल प्रेषित (ट्रॉसमीटेड) डब्लू एच0।
 - तीन- छह डिजिट में, जिसमें एक दशमलव सम्मिलित है, प्रत्येक मध्यरात्रि में संचयी डब्लू एच0 प्रेषित (ट्रॉसमीटेड)
 - चार- एक दशमलव सहित छह डिजिट में, प्रत्येक मध्य रात्रि में निम्न वोल्टेज स्थितियों के लिये संचयी वी0ए0आर0एच0 प्रेषित (ट्रॉसमीटेड)।
 - पाँच- एक दशमलव सहित छह डिजिट में, प्रत्येक मध्यरात्रि में निम्न वोल्टेज स्थितियों में संचयी वी0ए0आर0एच0 प्रेषित (ट्रॉसमीटेड)।

छह- तारा (*) चिह्न के रूप में किसी भी फेज की वी0टी0 आपूर्ति की विफलता का दिनांक और समय खण्ड ।

4. मीटर दस (10) दिन की अवधि के लिये अपनी स्मृति में ऊपर सूचीबद्ध सभी आँकड़ों का संग्रह करेंगे। दस (10) दिन से पुराने आँकड़े स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे। प्रत्येक मीटर के अगले भाग में आप्टिकल पोर्ट होगा ताकि मीटर की स्मृति में संग्रहीत सभी आँकड़ों को हॉथ में पकड़ी हुयी आँकड़ा संग्रह युक्ति का प्रयोग करके टैप (हस्तान्तरित) किया जा सके।
5. सक्रिय ऊर्जा (डब्लू एच0) मापन 3-फेज, 4-तार सिद्धांत पर किया जायेगा जिसकी शुद्धता आईसी0-62053-22 के 0.2 एस वर्ग के अनुसार होगी। आदर्श-ए में, ऊर्जा की संगणना सीधे सी0टी0 और वी0टी0 सेकेन्डी मात्राओं में की जायेगी और वाट-घंटा में इंगित की जायेगी । आदर्श-बी में ऊर्जा प्रदर्शन और अभिलेखन सी0टी0 और वी0टी0 सेकेन्डी मात्राओं में डबलू एच संगणित का पाँचवा भाग होगा।
6. क्रियाशील ऊर्जा मापन आईसी0 62053-23 या श्रेष्ठतर वर्ग 2 शुद्धता के अनुसार 3 फेज, 4 तार सिद्धांत पर भी होगा। आदर्श (ए) में वी0ए0आर0 एच की गणना सीधे सी0टी0 और वी0टी0 सेकेन्डी मात्राओं में की जायेगी। आदर्श बी में इनका प्रदर्शन और अभिलेखन सी0टी0 और वी0टी0 सेकेन्डी मात्राओं में पाँचवे भाग के रूप में किया जायेगा। दो क्रियाशील ऊर्जा रजिस्टर होंगे, एक उस अवधि के लिये जब औसत आर0एम0एस0 वोल्टेज 103 प्रतिशत से ऊपर हो और दूसरा उस अवधि के लिये जब वोल्टेज 97 प्रतिशत से नीचे हो।
7. 15-मिनट डब्लू एच0 का चिह्न तब धनात्मक होगा जब उपकेन्द्र के संवाहक तारों से कुल डब्लू एच0 निर्यात हो और तब ऋणात्मक होगा जब कुल डब्लू एच0 आयात हो। डब्लू एच0 और वी0एस0 आर0 एच0 के लिये एकीकृत (संचयी) पंजियाँ अग्रगति करेंगी जब उपकेन्द्र संवाहक तारों से डब्लू एच0/वी0ए0आर0एच0 निर्यात हो और पश्च गति जब आयात हो।
8. मीटर (मॉग पर) क्रमशः, निम्नलिखित पैरामीटरों का भी प्रदर्शन करेंगे:
एक- मीटर की विशिष्ट पहचान संख्या


- दो- दिनांक और समय
- तीन- संचयी डब्लू एच0 रजिस्टर पठनांक
- चार- पूर्ववर्ती 15 मिनट खण्ड की औसत आवृत्ति
- पाँच- धनात्मक/ऋणात्मक चिह्न के साथ पूर्ववर्ती 15 मिनट खण्ड में कुल डब्लू एच0 अंतरण
- छः- औसत प्रतिशत वोल्टेज
- सात- क्रियाशील विद्युत, धनात्मक /ऋणात्मक चिह्न के साथ
- आठ- उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज वी0ए0आर0 एच0 रजिस्टर पठनांक
9. तीन फेज लाइन से न्यूट्रल वोल्टेज का अनवरत रूप से अनुश्रवण किया जायेगा, और यदि इनमें से कोई भी 70 प्रतिशत से नीचे गिरे तो समुचित रूप से इंगित और अभिलिखित किया जायेगा। मीटर वी0टी0 सेकेण्डरी परिपथो से आहरित विद्युत से संचालित होंगे, उन्हें किसी सहायक विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक मीटर में अन्दर कलेण्डर और घड़ी होगी, जिसमें 30 सेकेण्ड प्रतिमास या इससे क्षेप्टतर शुद्धता होगी।
 10. मीटर पूर्णतः सील्ड और छेड-छाड रहित होंगे, स्थल पर किसी समायोजन की कोई संभावना नहीं होगी, सिवाय घड़ी को शुद्ध करने की सीमित सुविधा के डब्लू एच0, वी0ए0आर0 और वी0ए0आर0एच0 का मापन करते समय हार्मोनिक विश्लेषण को फिल्टर किया जायेगा और केवल मौलिक आवृत्ति मात्राओं का ही मापन /संगणना की जायेगी।
 11. सभी मीटर संबंधी उपकरण श्रेष्ठ गुणवत्ता पूर्णवन्ता, पूर्णतः परीक्षित, एक-एक करके परीक्षण किये गये और निर्माता की कार्यशाला से प्रेषण (डिस्पैच) के पूर्व राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) द्वारा स्वीकृत होंगे।
 12. स्थल पर सभी मीटरों की क्रियात्मक जाँच और शुद्धता का सामान्य परीक्षण वर्ष में एक बार राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) द्वारा किया जायेगा,, 1.0 श्रेणी के ऊर्जा मीटरों के प्रकार स्वीकरण परीक्षण आई0 ई0 सी0 – 60736 का अनुपालन में सुवाह्य (पोरटेबल) परीक्षण उपकरण से किया जायेगा।

13. प्रत्येक मीटर का पूर्ण शुद्धता परीक्षण एस0टी0यू0द्वारा किसी प्रमाणिक प्रयोगशाला में पाँच (5) वर्ष में एक बार किया जायेगा।
14. धारा और वोल्टेज ट्रॉसफारमरो की, जिनमे उपर्युक्त विशेष ऊर्जा मीटर संयोजित है, मापन शुद्धता 0.5 श्रेणी या इससे श्रेष्ठतर की होगी। मेन और अतिरिक्त/जाँच मीटरों जहाँ कहीं उपलब्ध हो, विभिन्न सेट की सी0टी0 और वी0टी0 से संयोजित होंगे।
15. केवल नियामक संदर्भ हेतु क्रियात्मक आपेक्षायें इस कोड में दी गयी हैं। मीटरों, उनकी अनुषंगी सामग्री और परीक्षण की विस्तृत विनिर्दिष्टियाँ और उनके साप्ताहिक पठनोंको को संग्रह की प्रक्रिया को राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा।


अनुलग्नक-3

लाभार्थियों के स्वामित्वाधीन लाइनों पर क्रियाशील ऊर्जा विनियमों के लिये भुगतान (संदर्भ धारा 6.6.7 (तीन))

उदाहारण-1: लाभार्थी के स्वामित्वाधीन अंतः संयोजित लाइन -ए- मीटर का बिन्दु लाभार्थी का उपकेन्द्र -बी




उदाहारण-2 लाभार्थियों के स्वामित्वाधीन अंतः संयोजित लाइन-बी मीटर बिन्दु लाभार्थी का बिन्दु-ए



- लाभार्थी- बी लाभार्थी-ए को निम्नलिखित के लिये भुगतान करता है।
 एक- लाभार्थी -ए से प्राप्त कुल वी०ए०आर०एच० जबकि वोल्टेज 97 प्रतिशत से निम्न हो, और
 दो- लाभार्थी-ए को आपूर्तित कुल वी०ए०आर०एच जबकि वोल्टेज 103 प्रतिशत से ऊपर हो
 टिप्पणी - कुल वी०ए०आर० एच० और कुल भुगतान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है।

उदाहारण-3 : अंतः संयोजित लाइन संयुक्त रूप से लाभार्थी-ए और लाभार्थी -बी के स्वमित्वाधीन है।

मीटर का बिन्दु: लाभार्थी -बी के उपकेन्द्र



उपकेन्द्र-ए से निर्यातित कुल वी०ए०आर०एच०, जबकि वोल्टेज 97 प्रतिशत से अधिक हो, एक्स-1 उपकेन्द्र-ए से निर्यातित कुल बी०ए०आर०एच०, जबकि वोल्टेज 103 प्रतिशत से कम हो एक्स-2 उपकेन्द्र-बी पर आयातित कुल वी०ए०आर०एच० जबकि वोल्टेज 97 प्रतिशत से अधिक हो एक्स-3 उपकेन्द्र-बी पर आयातित कुल वी०ए०आर०एच० जबकि वोल्टेज 103 प्रतिशत से कम हो एक्स-4 एक- लाभार्थी- बी लाभार्थी-ए के लिये निम्न प्रकार भुगतान करता है:

एक्स-1 या एक्स 3 जो भी परिणाम में कम हो, और दो- लाभार्थी-ए लाभार्थी-बी को निम्न प्रकार भुगतान करता है एक्स 2 या एक्स 4, जो भी परिमाण में कम हो।

टिप्पणी :

- एक- कुल वी०ए०आर०एच० और कुल भुगतान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है।
- दो- यदि एक्स-1 धनात्मक हो और एक्स-3 ऋणात्मक हो या इसके विपरीत हो, ऊपर (एक) के अधीन कोई भुगतान नहीं होगा।
- तीन- यदि एक्स-2 धनात्मक हो और एक्स -4 ऋणात्मक हो या इसके विपरीत हो, ऊपर (दो) के अधीन कोई भुगतान नहीं होगा।

अध्याय-7 उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड का प्रबंधन

- 7.1 उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड (यूपी0ई0जी0सी0) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसार उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा। उक्त ग्रिड कोड में कोई संशोधन उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा ही विनिर्दिष्ट किया जायेगा।
- 7.2 यू0पी0ई0जी0सी0 और उसके संशोधन को यू0पी0ई0आर0सी0 द्वारा जारी विनियमावलियों के लिये अनुकरणीय विहित प्रक्रिया अपनाकर, अंतिम रूप और अधिसूचित किया जायेगा।
- 7.3 कोई प्रयोगकर्ता ग्रिड कोड में कोई संशोधन/उपॉतरण प्रस्तावित कर सकता है। यद्यपि यू0पी0ई0जी0सी0 में कोई संशोधन/उपान्तरण करने के लिये अनुकरणीय प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी:
- एक- यू0पी0ई0जी0सी0 में संशोधन/उपॉतरण के सभी अनुरोधों और कठिनाइयों के निवारण के लिये राज्य विद्युत समिति के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा और सचिव, राज्य विद्युत समिति को संबोधित किये जायेंगे। राज्य विद्युत समिति अपनी त्रैमासिक बैठक या विशिष्ट प्रयोजन के लिये आहूत तदर्थ बैठक में इस विषय पर विचार-विमर्श और गौर करेगी जिसमें वह यह प्रयास करेगी कि सदस्यों में इस विषय पर मतैक्य स्थापित हो जाये। ऐसे मतैक्य निर्णयों के आधार पर, एस0पी0सी0 अपनी संस्तुति और बैठक के कार्यवृत्त की प्रमाणित प्रति के साथ जिसमें प्रस्तावित उपान्तरण/संशोधन के लिये अनुरोध को आयोग को अग्रसारित करेगी।
- दो- ऊपर पैरा 7.3 (एक) के उपबंधों के होते हुये भी, एस0पी0सी0 की बैठक में विचारों में विभेद के मामले में या अन्यथा, कोई प्रयोगकर्ता आयोग के समक्ष यू0पी0ई0जी0सी0 में संशोधन/उपान्तरण हेतु याचिका पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे सभी मामलों में यू0पी0ई0आर0सी0 प्रस्तुत संशोधन/उपान्तरण पर राज्य विद्युत समिति की राय ले सकती है।

तीन- आयोग राज्य विद्युत समिति की संस्तुतियों/राय पर विचार करने के पश्चात प्रस्तावित संशोधन पर अन्तिम निर्णय लेगी। यद्यपि, राज्य विद्युत समिति की संस्तुति आयोग पर बाध्यकारी नहीं होगी।

चार- अग्रतर, यू०पी०ई०जी०सी० के निर्वचन से सम्बन्धित में किसी वाद या पूँछताँछ को सचिव, यू०पी०ई०आर०सी० को सम्बोधित किया जायेगा, और यू०पी०ई०आर०सी० द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण को अंतिम माना जायेगा और सभी संबंधित पर बाध्यकारी होगा।

पृष्ठभूमि टिप्पणी

1. विद्यमान उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड, 2000 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (राज्य पारेषण सेवा प्रदाता) द्वारा तैयार किया गया था और आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 8 अगस्त, 2000 द्वारा अनुमोदित किया गया था। यद्यपि, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) में राज्य आयोग से यह अपेक्षा है कि वह केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के अनुकूल राज्य ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करें।
2. अतएव, आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके यह नया ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करता है। इसे विद्युत विद्युत ग्रिड कोड, 2006 जिसे 'यू0पी0ई0जी0सी0' या ग्रिड कोड कहा गया है) कहा जायेगा। विद्यमान उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड, 2000 इस ग्रिड कोड के उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी गजट में अधिसूचित होने के दिनांक से निष्प्रभावी हो जायेगा।
3. ग्रिड कोड, 2000 में ग्रिड कोड पुनरावलोकन पैनल की व्यवस्था थी, इसके अध्यक्ष और सदस्य सचिव राज्य पारेषण ईकाई (एस0टी0यू0) द्वारा नाम निर्दिष्ट और राज्य विद्युत ग्रिड से संयोजित विभिन्न सेवा प्रदाताओं के अन्य सदस्य होते थे। पूर्ववर्ती ग्रिड कोड में परिवर्तन, पुनरावलोकन पैनल की संस्तुतियों और आयोग के अनुमोदन से किये जाते थे। चूँकि विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों के अधीन राज्य ग्रिड कोड को विनिर्दिष्ट करने का उत्तरदायित्व सीधे आयोग में निहित किया गया है, अतः ग्रिड कोड पुनरावलोकन पैनल की अब और आवश्यकता नहीं है। ग्रिड कोड के प्रबंधन से संबंधित मुद्दे तदनुसार ग्रिड कोड पुनरावलोकन पैनल के उपबंध के बिना अध्याय- 7 में व्यवहृत किये गये हैं।
4. अधिनियम की धारा 73 के खण्ड (घ) के अनुसार " पारेषण लाइनों के संचालन और अनुरक्षण के लिये ग्रिड मानक " केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने हैं। जैसे ही और जब सी0ई0ए0 द्वारा ग्रिड मानको को विनिर्दिष्ट कर दिया जाये और आई0ई0जी0सी0 को संशोधित कर दिया जाये ग्रिड कोड 2006 को भी संशोधित किया जायेगा।
5. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अनुसार राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस0एल0डी0सी0) राज्य ग्रिड के माध्यम से पारेषित विद्युत की मात्रा का लेखा

- रखेगा। अब से आर0 ई0 बी0 सचिवालय के साथ राज्य ऊर्जा लेखा की तैयारी का उत्तरदायित्व तदनुसार, इस ग्रिड कोड की अधिसूचना के दिनांक से एस0एल0डी0सी. को अंतरित हो जायेंगे।
6. विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों के अधीन क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों (आर0ई0बी0) को क्षेत्रीय विद्युत समितियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। केन्द्र सरकार ने अपने मूल प्रस्ताव दिनांक 25.05.2005 द्वारा आर0पी0सी0 के स्थापन को अधिसूचित कर दिया है। आई0ई0जी0सी0 का तदनुसार सी0ई0आर0सी0 द्वारा पुनरीक्षण कर दिया गया है। राज्य क्षेत्रीय घटकों और आर0पी0सी0 के मध्य श्रेष्ठतर समन्वय की व्यवस्था करने के लिये और संचालन से संबंधित राज्य विनिर्दिष्ट मुद्दों पर अधिक ध्यान देने के लिये राज्य विद्युत ग्रिड के प्रबंधन और नियोजन के लिये आयोग नें राज्य स्तर पर, आर0पी0सी0 के समान कृत्यों का निर्वहन के लिये इस ग्रिड कोड में एक समिति का गठन किया है जिसे राज्य विद्युत समिति कहा जायेगा।
7. पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड, 2000 उपयोगकर्ताओं के मध्य क्रियाशील विद्युत विनिमय के बारे में शान्त था। तथापि, पुनरीक्षित कार्य योजना के तहत क्रियाशील विद्युत विनिमय हेतु दरें एवं प्रक्रिया जैसे कि सी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित की गयी हैं, की संस्तुति राज्य विद्युत ग्रिड से जुड़े उपयोगकर्ताओं हेतु की गयी है।

